खण्ड-139, अंक-1
सोमवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(30 अगस्त, 1954 ई0)

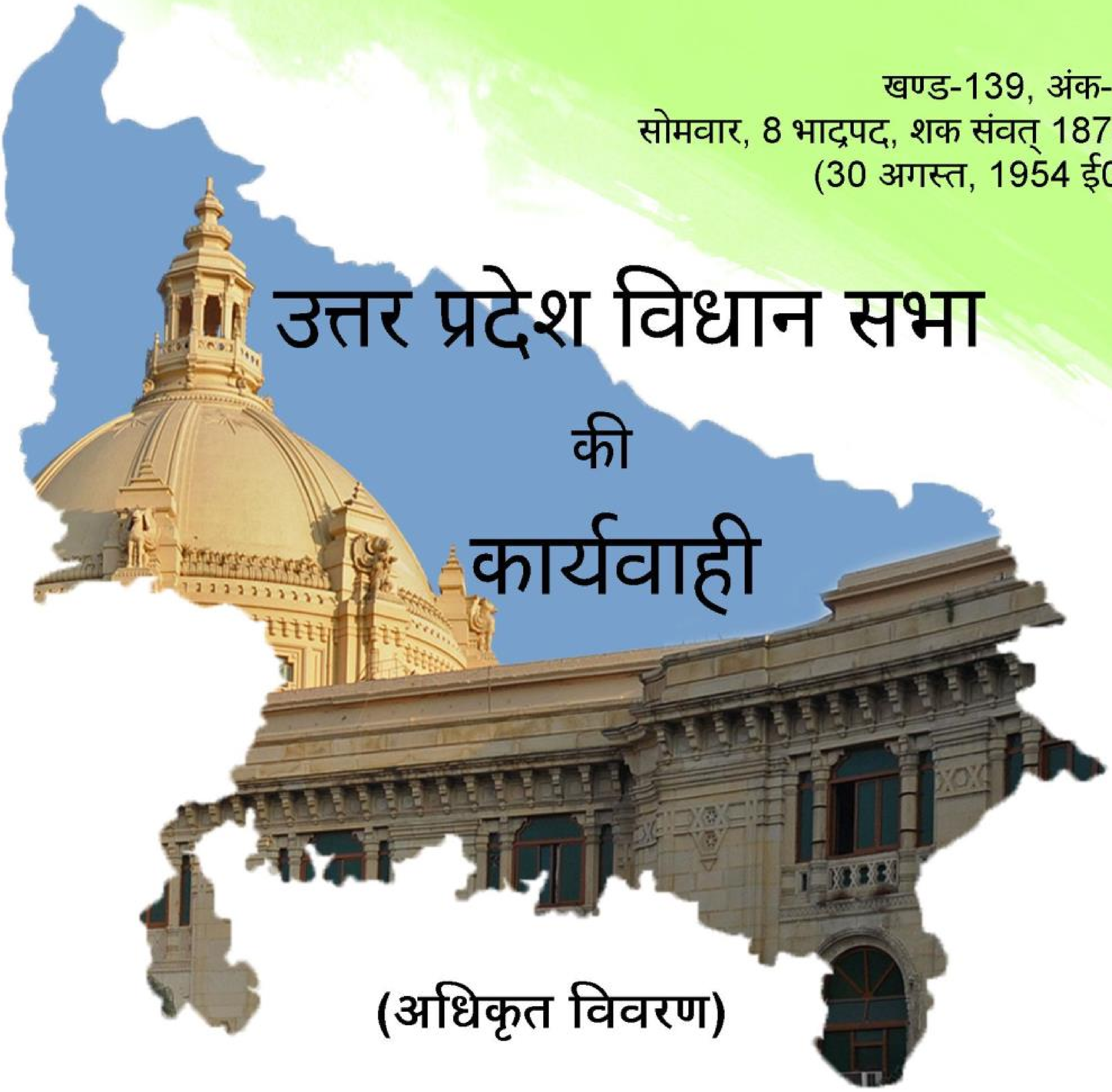

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 139 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम जां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली जां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपुर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महोनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में मादीसियाह, पकरी तथा महुला ग्राम के मीनाशयों पर दर्ज मल्लाहों को भूमिधरी अधिकार

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत मादी सियाह, पकरी और महुला ग्राम के मीनाशयों का ठेका भूमि प्रबंधक समिति द्वारा किन-किन लोगों को दिया गया है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)--ग्राम मादी सिपाह स्थित मादी सियाह ताल श्री बासदेव मल्लाह को ग्राम पकरी स्थित पकरी ताल, श्री हरिहर सिंह को और ग्राम महुला स्थित दिगिया नाला तथा अन्य ताल तलैयाओं के मीनाशयों का ठेका सर्वश्री खरबन मल्लाह और बसन्ती को दिया गया ।

*२--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों में मल्लाहों की आबादी है कि नहीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उपरोक्त गांवों में मल्लाहों की आबादी है ।

*३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस मीनाशय पर मल्लाहों का नाम वर्षों से लिखा हुआ है तथा वे मालगुजारी भी अदा करते रहे हैं क्या उन्हें भूमिधरी का अधिकार देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--केवल पकरी तथा मादी सियाह तालों के मीनाशयों पर कुछ मल्लाहों के नाम दर्ज हैं वे मालगुजारी नहीं बल्कि रकम सिवाय अदा करते रहे हैं। उन्हें भूमिधरी अधिकार देना कानूनन सम्भव नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पकरी गांव में जब मल्लाहों की आबादी थी तो पकरी ताल का ठेका हरिहर सिंह को क्यों दिया गया ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--नीलाम के वक्त मल्लाह नहीं आये इसलिये जब बोली बोली गयी तो हरिहर सिंह को ठेका दिया गया और मैं आपकी आज्ञा से यह भी कह देना चाहता हूं कि बाद में हरिहर सिंह ने दीवानी में मल्लाहों के खिलाफ इसी मीनाशय के सम्बन्ध में इनजेक्शन जारी कराया था जिसमें उनकी डिग्री हो गयी और अब मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी जिन मीनाशयों का ठेका नहीं बल्कि मालगुजारी मल्लाह अदा करते रहे हैं और उनको भूतपूर्व जमींदारों द्वारा रसीद मिलती रही है क्या उनको भूमिधरी का हक देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--मीनाशयों में भूमिधरी अधिकार देने का कोई नियम नहीं है और कानून में भी ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मीनाशयों से सरकार को कितनी आय हुयी है ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उत्पन्न नहीं होता। मूल प्रश्न मल्लाहों के सम्बन्ध में है।

श्री रामदास आर्य--मेरा मतलब है कि ठेके से कितनी आय हुयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

कानूनगोवों को एक जिले में १० साल से अधिक न रखने के सम्बन्ध में सरकारी आदेश

*४--**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि कोई कानूनगो एक जिले में १० साल से अधिक नहीं रह सकता ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी हां।

*५--**श्री बाबूनन्दन**--यदि हां, तो कब से ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--६ नवम्बर, १९५२।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ कानूनगो अब भी ऐसे हैं जो १० साल से अधिक एक जिले में रह रहे हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जौनपुर में एक थे, उनका ट्रांसफर हो गया है। अगर माननीय सदस्य कोई बतलायेंगे तो देखा जायगा।

नस्ल के हेराफेर के हेतु बाहर से मंगाये हुए जानवरों पर व्यय

*६--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने जानवर अमेरिका तथा अन्य स्थानों से नस्ल के हेर-फेर के हेतु मंगाये गये हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उत्तर प्रदेश में अमेरिका तथा अन्य स्थानों से निम्नलिखित जानवर मंगाये गये हैं.--

क--अमेरिका से--

१--	असली नस्ल के अंगोरा बक				४
२--	,,	,,	डेज		१०
३--	,,	,,	,,	रेम्बोलेट रेम्स	६
४--	,,	,,	,,	ईब्ज	१०
				योग ..	३०

(ख) आस्ट्रेलिया से--

नस्ल	रेम्स	ईब्ज	योग
१-- पोलबर्थ	२०	५०	७०
२-- कोरी डेल	२०	५०	७०
३-- बोरडेट लीस्टर	२०	५०	७०
	योग	२१०	
	कुल योग	२४०	

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन जानवरों के मंगाने में कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--आस्ट्रेलिया के जो जानवर हैं वह तो फूड एण्ड एग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन ने फ्री गिफ्ट के रूप में दिये हैं और जो अंगोरा बक हैं वह इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर ने दिये हैं। केवल बम्बई से पीपलकोटी तक ट्रान्सपोर्ट सरकार ने दिया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने जो मंगाये हैं उन पर १७,२७३ रु० ८ आ० ३ पा० खर्च किया है जिसमें से आधा हमारी सरकार ने और आधा कौंसिल आफ एग्रीकल्चर ने दिया है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो उत्तर प्रदेश से अमरीका तथा अन्य स्थानों को भेजे गये हैं ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--जहां तक मुझे मालूम है हमारी मारफत तो कोई नहीं भेजे गए।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जानवर विदेशों से मंगाये गये हैं और कौन से मुल्क के जानवरों ने अच्छे रिजल्ट्स दिये हैं जहां तक कि जानवरों की नस्ल के मल्टीप्लीकेशन का ताल्लुक है ?

श्री चरणसिंह--ज्यादातर भेड़ें आस्ट्रेलिया से इसी वर्ष ५-६ महीने हुए आयी हैं। ३ नस्लों की भेड़ें वहां से आयी हैं। उनमें से २ में तो कुछ बीमारी हो गयी है। उसके कारण क्या हैं यह अभी नहीं मालूम हो सका है और न इलाज का ही पता लगा है। आस्ट्रेलिया से भी पूछा गया उन्होंने लिखा कि हमारे यहां तो ऐसा कोई मर्ज नहीं होता। लेकिन पौलवर्थ किस्म की जो भेड़ है वह मालूम होता है कि हमारे यहां कामयाब हो जाय उसमें बीमारी अभी तक नहीं है। अभी एक्सपेरीमेंट के लिये उनको मंगाया गया है। अमरीका के जानवरों की बाबत अभी हम सही नहीं कह सकते उसके लिए नोटिस चाहिये।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी भी कुछ ऐसे निर्णय पर पहुंचे हैं कि विदेशों से सांड़ मंगाने पर कुछ अच्छे नतीजे नस्लों के बारे में नहीं निकल रहे हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अच्छे नतीजे निकलेंगे और निकल भी रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जानवर जो आस्ट्रेलिया और अमरीका से मंगाये गये हैं वह प्रदेश के कौन-कौन भागों में रखे गये हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--ऋषिकेश रिसर्च फार्म है और पीपलकोटी और ग्वालडंगी २ फार्म्स गढ़वाल जिले के हैं वहां पर रखे गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भविष्य में हिलवुल्फ स्कीम रिआर्गनाइजेशन के सम्बन्ध में भेड़ें बाहर से मंगाने की योजना है ?

श्री चरणसिंह--जी हां, योजना है और आस्ट्रेलिया से मंगाने का विचार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह योजना कबतक कार्यान्वित होगी और उसमें क्या व्यय होगा ?

श्री चरणसिंह--नोटिस की आवश्यकता है।

खाद्य तथा कृषि संगठन कार्यालय पर व्यय

*७--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भोजन तथा कृषि के उत्थान तथा संगठन के सम्बन्ध में जो एफ०ए०ओ० (फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनिजेशन) विशेषज्ञ रखे गये हैं उनके दफ्तर पर कुल कितना व्यय होता है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--प्रत्येक विशेषज्ञ के लिये अलग-अलग कार्यालय की व्यवस्था नहीं की गयी है। विशेषज्ञों के कार्यालय के कार्य की सुविधा के लिये एक खाद्य तथा कृषि संगठन कार्यालय (फूड एंड ऐग्रीकल्चरल आर्गेनाइजेशन मिशन आफिस) स्थापित किया है। इस कार्यालय का वार्षिक व्यय लगभग २५,००० रु० है।

*८--**श्री राजाराम शर्मा**--मितव्ययता के खयाल से क्या सरकार ने उक्त दफ्तर को तोड़ने के विषय में उक्त दफ्तरों से सलाह ली है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--प्रश्न नहीं उठता।

*९--**श्री राजाराम शर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विशेषज्ञों ने क्या सलाह दी है ? क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में सोहांस के इलाके के कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारियों द्वारा अपने सम्बन्धियों को पट्टे पर उठाना

*१०--**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में सोहांस का इलाका जो कोर्ट आफ वार्ड्स में था

उसकी बहुत सी जमीन को कोर्ट आफ वार्डस के कर्मचारियों ने अपने सम्बन्धियों व हमराहियों के नाम फर्जी तौर पर काश्तकारी में दर्ज करा लिया है जो उस इलाके के निवासी नहीं हैं ?

श्री चरणसिंह--जमींदारी विनाश के पहले श्री बंसीधर जिलेदार ने अपने लड़के रामायन जी तथा अपने संबंधियों बबऊ प्रसाद और नर सिंह प्रसाद के नाम कोर्ट से ६० बीघा १३ बिस्वा और १६ धूर जमीन मारूसी काश्तकारी के पट्टे पर ली। यह लोग देवरिया जिले के निवासी हैं, पर रामायन जी ने तो बस्ती में मकान बना लिया है और अपनी जमीन की काश्त स्वयं कर रहे हैं। इन तीनों व्यक्तियों ने भूमिधरी के अधिकार भी प्राप्त कर लिये हैं।

*११--**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे फर्जी लोगों के नाम दर्ज की हुई भूमि को वापस करके उस इलाके के खेती करने वाले किसानों को देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चरणसिंह--चूंकि यह लोग भूमिधरी के अधिकार प्राप्त कर चुके हैं अतः मौजूदा कानून में उनकी जमीन वापस नहीं ली जा सकती।

गांव समाज के रुपये के व्यय के विषय में सरकारी आदेश

*१२--**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है कि गांव समाज का रुपया ग्राम सभा की उन्नति तथा किसी अन्य कार्य में खर्च नहीं किया जा सकता ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में इस प्रकार का स्पष्ट निदेश मौजूद होने के कारण कोई आदेश जारी करना ग़ैर-जरूरी था।

नैनीताल जिले के तराई एवं भावर क्षेत्र, मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा तथा रामपुर की विलासपुर एवं सुआर तहसीलों में ओलों से हानि

*१३--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि फरवरी के तृतीय व चतुर्थ सप्ताह में नैनीताल जिले के समस्त तराई व भावर क्षेत्र काशीपुर व जसपुर तहसील तथा रामपुर व मुरादाबाद जिले के निकट वर्ती तहसीलों में जबरदस्त ओला वृष्टि हुई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--नैनीताल जिले की तराई व भावर क्षेत्र जिसमें काशीपुर भी शामिल है, मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा तहसील और रामपुर जिले की विलासपुर और सुआर तहसीलों में रबी की फसल को गत फरवरी में ओले की वृष्टि से हानि हुई।

*१४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--यदि हां, तो सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त जिलों व तहसीलों के किन-किन ग्रामों में ओला वृष्टि से कितनी हानि हुई और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--ग्रामों की ब्योरेवार संख्या तथा सहायता का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है। अलग-अलग ग्रामों के नाम का विवरण सभा सचिव के आफ़िस में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६८ पर।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा तहसील में ९६ गांवों में फसल का नुकसान होते हुये भी वहां तकावी का वितरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--तकावी के लिये रुपया तो मंजूर हो गया है। लेकिन सम्भव है उन लोगों ने न लिया हो। लोग लेंगे और उनको दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ठाकुरद्वारा तहसील में वितरण के हेतु कितना रुपया मंजूर किया गया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सूचना प्रस्तुत की गयी है उसके अनुसार जितनी मालगुजारी में छूट देना बतलाया गया है, दे दिया गया है अथवा नहीं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह तो विवरण में दिया हुआ है। मालगुजारी में छूट दी गई है उसके अनुसार कुछ दी गई है और कुछ दी जायगी। विवरण में दोनों दिया हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हल्द्वानी तहसील के किन पांच गांवों में लोगों का नुक्सान हुआ था ?

श्री अध्यक्ष--इसके लिये जवाब दिया जा चुका है और दफतर से हर एक गांव का नाम जान सकते हैं।

पडरौना तहसील में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से हानि

*१५--**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि पडरौना तहसील में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से उन्हीं गांवों को अधिक क्षति पहुंची जिन्हें पिछले वर्ष ओले से तथा उसके पहिले के वर्षों में भी फसल को क्षति पहुंची थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--पडरौना तहसील में गत वर्ष ८३ गांवों को बाढ़ तथा अति वृष्टि से क्षति पहुंची थी। इनमें से ४० गांव ऐसे थे जिनमें इसके पहिले पिछली रबी की फसल को ओलों से हानि पहुंची थी, परन्तु उसके पूर्व फ़सल को कोई हानि नहीं पहुंची थी ?

राजस्व मंत्री द्वारा देवरिया जिले के अकाल एवं अभाव ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

*१६--**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि १९५३ के वर्षाकाल में राजस्व तथा कृषि मंत्री ने देवरिया के अकाल तथा अभाव ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था ? यदि हां, तो वह कौन से क्षेत्र थे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह सच नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि जैसी बाढ़ इस साल आई है वैसी इससे पहले कई सालों से कभी नहीं आई ?

श्री चरणसिंह--मैं यह अर्ज करूंगा कि इस साल की बाढ़ का सवाल था नहीं। यह तो पिछले साल का था।

नोट--प्रश्न १५-१६ श्री जगन्नाथमल्ल ने पूछे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह सही है कि जिन गांवों में गत वर्ष बाढ़ आई थी, उन्हीं क्षेत्रों में इस वर्ष अधिक बाढ़ आई है और बहुत सी फस्ल को नुक्सान हो गया है ?

श्री चरणसिंह—इसकी इस वक्त सूचना नहीं दी जा सकती कि जिन गांवों में पिछले साल आयी थी उन्हीं में इस साल भी आई है, क्योंकि तफसील मेरे पास नहीं है।

*१७-१८—**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)—[२७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा चालित गोशालाएं और उनको सरकारी सहायता

*१९—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में इस समय कितने गोशाले सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—कृपया संलग्न सूची देखिये।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९ पर)

*२०—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर के गोशालाओं में से किस गोशाला को सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जौनपुर के जिले के किसी भी गोशाला को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार भविष्य में जौनपुर में गोशालाओं को कुछ रुपया अगले बजट में देने का विचार करती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—गाय वगैरह खरीदने के लिये तकावी की व्यवस्था है। तकावी अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। सहायता देने का कोई प्रश्न तो विचाराधीन नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोशालाओं को सरकारी सहायता देने का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष—अभी बताया गया कि सहायता दी ही नहीं जाती तो फिर आधार का प्रश्न ही नहीं उठता ?

श्री रामचन्द्र विकल—क्या इस प्रदेश में कहीं पर गोशालाओं को सरकारी सहायता दी जाती है या नहीं।

श्री चरणसिंह—कई साल पूर्व एक स्कीम बनी थी जिसके अधीन दस-दस हजार रुपये के लगभग कई गोशालाओं को दिया गया था। बाद में आर्थिक संकट के कारण वह स्कीम छोड़ दी गई। इस वक्त केवल इतना ही है कि बजट में ४० हजार रुपया गोशालाओं को तकावी के रूप मे देने के लिये है। जो गोशाला चाहे तकावी ले सकती हैं। वैसे ग्राण्ट के तौर पर देने के लिये कोई रक़म इस साल के बजट में नहीं है।

नोट—प्रश्न १९-२० श्री शिवनारायण ने पूछे।

जिला रामपुर के अन्तर्गत खाम इलाका और उसका वर्तमान प्रबन्ध

*२१—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले में खाम इलाके के अन्तर्गत कितने ग्राम हैं तथा सरकार को उनसे कितनी वार्षिक आमदनी होती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—रामपुर जिले में खाम इलाके के अन्तर्गत ७४८ ग्राम हैं तथा सरकार को उनसे लगभग २४ लाख रुपये की वार्षिक आमदनी होती है।

*२२—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार रामपुर के खाम विभाग के वर्तमान प्रबन्ध में कोई सुधार करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस इलाके का प्रबन्ध पहले एक मैनेजर तथा पांच असिस्टेण्ट मैनेजर करते थे। उनकी जगह अब सिटी मैजिस्ट्रेट, एस० डी० ओ० और तहसीलदार करते हैं, जिससे खर्च में कमी हो गई है। सरकार का इरादा है कि बहुत जल्दी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम इस इलाके में लागू करे और राज्य के दूसरे भागों की तरह प्रबन्ध किया जाय।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब पहली जुलाई से रामपुर में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू कर दिया गया है तो उस इलाके में क्या प्रबन्ध सुधार का किया गया है या करने का विचार है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—रामपुर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम पास हो चुका है और वह लागू हो चुका है और हाई कोर्ट में जिनके लिये मुकदमा चल रहा है उनको छोड़ कर सब जगह लागू है। इस ऐक्ट में सुधार तो वही हैं जो आमतौर पर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में है। लेकिन जहां-जहां हाई कोर्ट से रिट जारी हो गई है वहां-वहां वह लागू नहीं हो सका है।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर का जो खाम इलाका है वहां के प्रबन्ध आदि की और सुधार की क्या व्यवस्था है ?

श्री चरणसिंह—यह तो जवाब में दे दिया गया है कि वहां डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार इंतजाम करते हैं और पुलिस वहां है ही।

श्री अध्यक्ष—आप अपना सवाल स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं।

श्री कृष्णशरण आर्य—जो वहां की वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था है उसके कारण वहां के लोगों को जो अधिकार प्राप्त नहीं हैं और जो दिक्कतें हैं उनके सुधार के लिये खाम इलाके में सरकार की क्या व्यवस्था है, क्या योजना है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री चरणसिंह—मैं सवाल अभी तक समझ नहीं पाया हूं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि माननीय सदस्य मुझसे बाद में बात कर लें।

जमींदारी उन्मूलन के बाद जिलेवार मालगुजारी से आय

*२३—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की लगान मालगुजारी से जिलेवार क्या आय होती है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार द्वारा मालगुजारी से वसूल किये जाने वाली मांग सम्बद्ध सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७०–७१ पर)

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जमींदारी उन्मूलन के बाद मालगुजारी वसूल करने में सरकार को कितना खर्च पड़ता है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—एक करोड़ २५ लाख रुपये के करीब खर्च पड़ता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री कुल जिलों की आय बताने की कृपा करेंगे?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—१९ करोड़ ७८ लाख ५३ हजार ५ सौ २५ रुपये।

*२४–२५—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—[२० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिला स्थित लेहडा कैम्प के तोड़े जाने की सूचना

*२६—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—२२ मार्च, १९५४ के प्रश्न संख्या २६ तथा २७ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार को मालूम है कि भारत-ब्रिटिश सरकारों के एक समझौते के अनुसार गोरखपुर जिला स्थित लेहडा कैम्प के तोड़े जाने की सूचना अब सरकार को प्राप्त हो गई है?

श्री चरणसिंह—इस सम्बन्ध में इस सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*२७—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस कैम्प में लगी जमीन का अब क्या बन्दोबस्त सरकार करने का विचार कर रही है?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

आजमगढ़ जिले में चकबन्दी योजना का लागू किया जाना

*२८—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में चकबन्दी योजना लागू करने का उसका कब तक विचार है?

श्री चरणसिंह—सरकार आजमगढ़ जिले में जनवरी, सन् १९५५ में चकबन्दी योजना लागू करने का विचार कर रही है।

यू० पी० कामर्शियल कारपोरेशन से ट्रैक्टर लिये जाने के संबंध में निर्धारित शर्तें

*२९—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने U. P. Commercial Corporation लखनऊ से Tractors खरीदने के लिये कोई सौदा किया था? यदि हां, तो कब और उसकी शर्तें क्या थीं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां, १९४७ में सौदा किया गया था और उसकी शर्तें परिशिष्ट में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२ पर)

*३०—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सौदे के लिये सरकार ने U. P. Commercial Corporation, Lucknow को कोई पेशगी रक़म दी थी? यदि हां, तो कितनी और कब?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं।

*३१—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बतायेगी कि इस सौदे के मातहत कब-कब कितने कितने Tractors, U. P. Commercial Corporation लखनऊ ने सरकार को दिये?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—ट्रैक्टर्स निम्नलिखित वर्षों में आये :—

वर्ष	ट्रैक्टरों की संख्या
१९४७–४८	३०
१९४८–४९	६४
१९५१–५२	३

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब शर्त नम्बर एक और दो की पाबन्दी किसी कामर्शियल कारपोरेशन ने नहीं की तो उनको कोई जुर्माना या सजा दी गई या नहीं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इसमें आठ ट्रैक्टर्स नहीं मिले थे लेकिन उनसे १०,११६ रुपये १४ आने का सामान मिला है और कुछ सामान और भी मिल रहा है, इसलिये कोई सजा या जुर्माने का सवाल उठता नहीं।

श्री भगवान सहाय—परिशिष्ट ४ में दी हुई शर्त के हिसाब से सन् १९४८ के अक्तूबर के शुरू में ट्रैक्टरों की डिलीवरी हो जानी चाहिये थी लेकिन जब डिलीवरी नहीं हुई, तो उस शर्त के उल्लंघन में उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह कुल ट्रैक्टर्स पूरे नहीं हुये। यह जो मैंने अभी कहा कि यह भूतपूर्व कृषि इंजीनियर श्री पेटिन्सन ने ८ ट्रैक्टर्स की रसीद भेज दी थी मगर ट्रैक्टर्स आये नहीं थे और वह इंगलैंड के नागरिक थे और शासकीय कार्य के लिये उनको कण्ट्रैक्ट पर रखा गया था। अब वह नहीं हैं। लेकिन जो ट्रैक्टर्स के दाम चुकता कर दिये गये थे उनके बदले कुछ सामान आया है, कुछ और भी आ रहा है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १०० ट्रैक्टर्स में से ९७ लिये गये तो बाक़ी ३ ट्रैक्टर्स कमर्शियल कारपोरेशन ने नहीं दिये या गवर्नमेंट ने नहीं लिये?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जैसा मैंने कहा ८ ट्रैक्टर्स नहीं मिले बाद में ३ और मिले, बाक़ी ५ मिले ही नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो ट्रैक्टर्स दिये यह किस संगठन के मातहत काम कर रहे हैं और कितने काम कर रहे हैं तथा कितने बेकार हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री भगवान सहाय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ट्रैक्टर्स की क़ीमत का भुगतान कब-कब और कैसे-कैसे हुआ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ट्रैक्टर्स किस मेक के थे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--कम्पनी के बनाये हुये ट्रैक्टर्स थे।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में बाढ़ के हेतु सरकारी सहायता

*३२--**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष गोरखपुर देवरिया जिले में बाढ़ क्षेत्र में कितनी तकावी या अन्य सहायता दी गई थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--

	जिला गोरखपुर	जिला देवरिया
	रुपया	रुपया
१--तकावी	४,५२,०००	६,७७,०००
२--टेस्ट वर्क्स	६०,०००	१,५०,०००
३--अहेतुक सहायता	४०,०००	३६,०००
४--अहेतुक सहायता (गृह निर्माण) ..	१५,०००	१०,०००

५--इसके अतिरिक्त देवरिया जिले में चारे की कमी पूरी करने के लिये ४९ वैगन सूखी घास तथा १०, १० वैगन भूसा तथा ईख की खोई का प्रबन्ध किया गया।

६--देवरिया जिले में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से क्षति के कारण २,४२,९५१ रुपये की मालगुजारी में छूट दी गयी। गोरखपुर जिले में ३,१५,९९३ -६-० की मालगुजारी में छूट के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। नियमानुसार छूट दी जायगी।

श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिशिष्ट में दी हुई ४ पर अहेतुक सहायता गृह निर्माण किस तहसील में अथवा किस गांव में की गई थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री केशव पांडेय--गोरखपुर जिले में जो ६० हजार का टैस्ट वर्क बताया गया है वह किस तहसील में हुआ था ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री केशव पांडेय--गोरखपुर जिले में ३,१५,९९७ रु० ६ आने की छूट गत वर्ष मालगुजारी की विचाराधीन है और वह वसूल हुयी या नहीं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह जिस साल की बाबत सवाल किया गया उसी साल में है।

श्री केशव पांडेय--प्रश्न के उत्तर से मालूम होता है कि विचाराधीन है, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मालगुजारी गत वर्ष पूरी हो गई या नहीं ?

श्री चरणसिंह--विचाराधीन का मतलब यहां यह है कि आफ़िशियल आर्डर्स नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता है कि वह सस्पेंड कर दें अगर यहां से आर्डर जायं तो वसूल होती है।

श्री केशव पांडेय--जिनके क्षेत्रों में बाढ़ आयी थी, जहां छूट दी गई है और तकावी वसूल की गई है, क्या वहां पर ऐग्रीकल्चरल इंन्कमटैक्स पर छूट नहीं दी गई है ?

श्री चरणसिंह--कानून के मुताबिक दी जानी चाहिये । दी गई है या नहीं एक्चुअली इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--टेस्ट वर्क और मुफ्त सहायता के लिये जो रकम दी गई थी वह रकम खर्च नहीं हुई है ?

श्री चरणसिंह--हमने तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रकम दे दी है और उसी काम के लिये दी जिसके लिये मांगी थी, अब कितना पैसा बचा है या नहीं इसकी सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है ।

जिला आगरा की तहसील बाह में म्यूल ब्रीडिंग सेंटर खोलने की आवश्यकता

*३३--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)--क्या सरकार तहसील बाह, जिला आगरा में कोई Mule Breading Centre खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना की खच्चर की आवश्यकता को नजर में रख कर खच्चरों के लिये ब्रीडिंग केन्द्र खोलने के लिये ध्यान देंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बाजपुर में एक प्रजनन केन्द्र है । वैसे केंद्रीय सरकार को आवश्यकता है या नहीं, इसकी सूचना सरकार को नहीं है ।

उन्नाव जिले के अन्तर्गत ग्राम ताजकपुर और केदार खेरा के काश्तकारों के खातों में श्री रविशरण सिंह के नाम पर गलत इन्दराज

*३४--**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)--क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जिला के अन्तर्गत ग्राम ताजकपुर और केदार खेरा (तहसील पुरवा, थाना बीहर) में १३५९ फसली के खसरा और खतौनी में ६४ असली काश्तकारों के नामों की जगह पुराने जमींदार श्री रविशरण सिंह का नाम इंदराज पाया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, मौजा ताजकपुर में ४३ और मौजा केदार खेरा में २२ खातों पर १३५९ फसली के खसरा और खतौनी में पुराने काश्तकारों की जगह श्री रविशरण सिंह का नाम इन्दराज पाया गया ।

*३५--**श्री देवदत्त मिश्र**--क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जिलाधीश का ध्यान इस ओर आकर्षित करने पर उन खातों की जांच-पड़ताल कराई गई और कटे हुये खातों को दुरुस्त किया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां ।

*३६--**श्री देवदत्त मिश्र**--क्या यह सही है कि श्री रविशरण सिंह और तहसील के मातहत कर्मचारियों के सम्मिलित षड़यंत्र से ही ६४ खाते काटे गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--ये कागज़ात पुराने पटवारी, लेखपाल, रजिस्ट्रार, कानूनगो नायब रजिस्ट्रार कानूनगो, सुपरवाइजर कानूनगो, के हाथ में थे। अभी तक यह नहीं पता चला कि किस शख्स का यह काम है। पुलिस ने दफा २१८ ताजीरात हिन्द का मुक़द्दमा क़ायम कर लिया है और तफतीश हो रही है।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि लाठी के जोर से उक्त जमींदार बहुत से किसानों को अपने खेत के नजदीक नहीं जाने देता ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इसकी इत्तिला तो नहीं है लेकिन अगर कहीं ऐसा है और माननीय सदस्य बतलायें तो ऐसा किया जा सकता है।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या हमारी सरकार इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस को सख्त कार्यवाही करने की हिदायत करेगी ?

श्री चरण सिंह--माननीय सदस्य से बात करने के बाद उचित कार्यवाही पर सरकार गौर करेगी।

बनारस जिले में भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि का वितरण

*३७--**श्री रामलखन** (जिला बनारस) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस में भूदान यज्ञ में सन्त बिनोवा भावे को कुल कितनी जमीन अब तक प्राप्त हुई है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--७,६१६.१३ एकड़।

*३८--**श्री रामलखन** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बनारस जिले की तहसील-वार उक्त भूमि वितरण की प्रतिलिपि सदन में पेश करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--सम्बन्धित सूची सभा सचिव के कार्यालय में रखी है और देखी जा सकती है।

*३९--**श्री रामलखन** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भूमि में से तहसीलवार कितनी भूमि किन-किन गांवों में हरिजनों को दी गई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--सम्बन्धित सूची सभा सचिव के कार्यालय में रक्खी है और देखी जा सकती है।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि में जो दी गई है कितनी जोती भूमि है और कितनी परती ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--कितनी जोती और कितनी परती, इसका, विवरण नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस दान वाली भूमि में जो बनारस जिले में प्राप्त हुई है कितनी ऐसी है जो गांव सभाओं के द्वारा दी गई है और कितनी ऐसी है जो व्यक्तिगत लोगों ने अपनी निजी भूमि में से दी है ?

श्री चरणसिंह--गांव सभाओं को इस भूदान यज्ञ में अपनी भूमि देने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने दी है तो गलती की है। भूदान यज्ञ में प्राइवेट व्यक्तियों ने ही भूमि दी होगी।

नोट--प्रश्न ३७-३९ श्री बलदेव प्रसाद ने पूछे।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा करके सन्त विनोबा भावे को जो जमीन दी गई है उसको बांटने का अधिकार किसको है ?

श्री चरणसिंह—मैं माननीय सदस्य का ध्यान भूदान यज्ञ ऐक्ट की ओर आकर्षित करता हूं।

प्रतापगढ़ जिले में बारह साला खसरा व खतौनी में जाल बनाने के सम्बन्ध में शिकायत

*४०—**श्री रामअधार तिवारी** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में जिलाधीश या हाकिम तहसीलों के यहां बारह साला खसरा व खतौनी में जाल बनाने के सम्बन्ध में शिकायत प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

*४१—**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—[२० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

रोडवेज बस स्टेशनों को पक्का बनवाना तथा नये मार्गों पर सरकारी बस चलाना

*४२—**श्री नेकराम शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार रोडवेज बस स्टेशनों को पक्के बनवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—अधिक से अधिक सुविधा देने का विचार सरकार का हमेशा रहता है। काफी स्टेशन्स अब पक्के बन गये हैं और प्रति वर्ष कुछ न कुछ नये स्टेशन पक्के बनाये ही जाते हैं। यह कहना नामुमकिन है कि कब तक सारे स्टेशन्स पक्के बन जायेंगे क्योंकि सब स्टेशनों को पक्के बनाने में काफी धन की आवश्यकता होगी।

*४३—**श्री नेकराम शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन रूटों पर सरकारी बस नहीं चलती उन रूटों को कब तक सरकार लेकर उन पर सरकारी बस चलायेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह कहना कठिन है कि किस समय तक सरकार राज्य की सब रूटों पर सरकारी बसें चला देगी। प्रति वर्ष कुछ न कुछ नयी रूटें ले ली जाती हैं। इधर प्राइवेट आपरेटर्स के हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में जाने के कारण अधिक नयी रूटें नहीं ली जा सकती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब तक कितने रोडवेज के बस स्टेशन पक्के किये जा चुके हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब तक रोडवेज के बस स्टेशनों को पक्का करने में कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये भी सूचना की जरूरत है। लेकिन लाखों की तादाद में है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी जनता की सुविधा को देखते हुए स्टेशनों के अलावा भी अन्य जगहों पर बसें रोकने के बारे में सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो प्रश्न इससे उठता नहीं। प्रश्न तो पक्के बनाने का है।

नोट—प्रश्न ४२-४३ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ऐसे कौन से रूट्स हैं जिनको सरकार लेना चाहती थी, लेकिन न्यायाधिकरण में जाने के कारण नहीं ले पायी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--बहुत लम्बी सूची है। यहां पर मौजूद नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने रोडवेज बस स्टेशन कितने पक्के हुए उसके उत्तर में भी कहा कि सूचना नहीं है, ऐसे कौन से रूट्स हैं जो हाईकोर्ट बस के विचाराधीन होने के कारण सरकार नहीं ले सकी, यह भी सूचना नहीं है। इतनी आवश्यक सूचना भी लेकर जब मंत्रिगण नहीं आते तो किस प्रकार सदन का काम चल सकता है, और प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार मिल सकते हैं, इसकी व्यवस्था आप ही करें। केवल तीन प्रश्न मैंने किये जिनकी सूचना मांगनी अनिवार्य थी माननीय मंत्री जी ने उसकी सूचना नहीं मंगायी। कई बार ऐसा हो चुका है इसलिये मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया।

श्री अध्यक्ष--मैं मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैं अपनी सफाई में एक शब्द कहना चाहता हूं। इतने ज्यादा स्टेशनों और उनकी सूचना हर वक्त याद रखना नामुमकिन है। अगर वास्तव में सदस्यगण चाहते हैं कि किसी प्रश्न का अवश्य उत्तर दिया जाय तो एक लाइन और लिख दें प्रश्न करते समय, सब चीजें मिल जायंगी।

श्री अध्यक्ष--लेकिन यह भी सम्भव है कि वह नाम पूंछें और मैं लम्बा होने की वजह से इजाजत न दूं। इसीलिये मैंने कहा कि मैं बाध्य नहीं कर सकता हूं। मैंने आपकी तरफ से जवाब तो दे दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--पूरक प्रश्नों की व्यवस्था तो होनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष--वह तो ठीक है कि इन पूरक प्रश्नों पर तैयार हो कर आना है जो उठ सकते हैं। उस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि सूचना मंत्रीगण को मिल भी जाती है। लेकिन जिस वक्त नहीं मिलती है तो उस वक्त लाचारी है। अगर यह न सूझा हो कि यह प्रश्न उठ सकता है तो उसका जवाब ही नहीं आया होगा।

नैनीताल जिले के अभाव ग्रस्त भागों में टेस्ट वर्क खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र

*४४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास नैनीताल जिले के अनेक अभाव ग्रस्त भागों से टेस्ट वर्क खोले जाने के प्रार्थना-पत्र आये हैं ? अगर हां, तो कहां कहां से और उन पर क्या कार्यवाही हुआ ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--सरकार के पास गरम पानी रामगढ़ मुक्तेश्वर तथा नथुवा खां के लोगों की यह प्रार्थना पहुंची थी कि आलू की फसल को क्षति पहुंचने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है, अतः टेस्ट वर्क खोले जायं। इस पर जांच करने से पता चला कि आलू की फसल में हानि इतनी न थी कि टेस्ट वर्क की आवश्यकता हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामगढ़, मुक्तेश्वर, और नथुआखां में सरकारी जांच के अनुसार आलू की फसल में कितनी हानि हुयी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--रुपये में ६ आने से कम हुयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थानों के ग्रामवासियों और चौगढ़, कुशियां, कटौली ग्रामों की ओर से एक डेपूटेशन माननीय मुख्य मंत्री से मिला और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि अविलम्ब टेस्ट–वर्क्स खोले जायेंगे ?

श्री चरणसिंह——यह तो माननीय मुख्य मंत्री होते तो इसका जवाब देते लेकिन कृषि के उपमंत्री वहां जब गये थे मौके पर, तो उनसे कुछ किसानों ने यह वर्कर्स ने कुछ शिकायत की थी जून, १९५४ में, और तभी हमने तहकीकात कराई और डिप्टी कमिश्नर का यह जवाब आया था कि किसी टैस्ट–वर्क्स की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री जी के पास डिप्टी कमिश्नर महोदय की कोई फाइनल रिपोर्ट आयी है कि टेस्ट वर्क खोलना वहां अब जरूरी है ?

श्री चरणसिंह——यह तो आयी है कि जरूरत नहीं है ।

*४५–४६——**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)——[२७ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४७——**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)——[२० सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

विधान भवन के मुख्य द्वार पर सी० आई० डी० के व्यक्तियों की उपस्थिति पर आपत्ति

***श्री राजनारायण** (जिला बनारस)——श्रीमन्, मुझे कुछ निवेदन करना था । श्रीमन्, आज मैं आ रहा था तो गेट पर यह मालूम हुआ कि वहां सी० आई ०डी०का झुंड खड़ा रहता है । मैं जानना चाहता हूं कि वह आपके आदेश से खड़ा रहता है ? विरोधी पक्ष के सदस्यों के साथ जो लोग आते हैं उनका निरीक्षण करने के लिये खड़े रहते हैं, या किस-लिये सी० आई० डी० का झुंड खड़ा रहता है ?

श्री अध्यक्ष——सी०आई०डी० के बारे में पता लगाने के लिये तो एक सी०आई०डी० ही लगाना पड़ेगा तब पता लगेगा । न मैं किसी सी०आई० डी० को पहचानता हूं और न किसी सी०आई० डी० से व्यवस्था कराता हूं ।

श्री राजनारायण——मैंने आपकी जानकारी में यह बात डाल दी है कि जब मैं आ रहा था तो पुलिस के लोग खड़े थे और साथ ही सी०आई० डी० का एक झुंड खड़ा था । पुलिस वालों ने कहा हट जाओ तो उन्होंने कहा कि हमको भी तो यहां पर खड़े रहने को कहा गया है । मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं तो पुलिस वालों ने कहा कि सी०आई० डी० के लोग हैं । मैंने कहा कि ये क्यों खड़े रहते हैं तो उन्होंने कहा कि आप ही लोगों ने तो खड़ा किया है । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अवांछनीय है और इससे असेम्बली की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है कि वे हम लोगों की गतिविधि पर देखरेख करें ।

श्री अध्यक्ष——आपको टोका था ?

श्री राजनारायण——वे खड़े थे ।

श्री अध्यक्ष——तो उन्होंने टोका तो नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजनारायण---लेकिन जो पुलिस के लोग थे उन्होंने उनसे कहा कि हटिये तो उन्होंने कहा कि हमें भी खड़ा रहने के लिये हुक्म मिला है । मेरे पूछने पर कि ये कौन लोग हैं तो पुलिस वालों ने कहा कि ये सी०आई०डी के लोग हैं । जब पूछा कि किसके आदेश से खड़े हैं । तो जवाब मिला कि आप ही लोगों के हुक्म से यह अजीब हालत है । अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात हो सकती है कि आपकी नालेज (जानकारी) में न हो, लेकिन यह चीज प्रतिष्ठा पर धक्का लगाती है कि आपके नियंत्रण में जो भवन हो उसके दरवाजे पर सी०आई० डी० के लोग खड़े हों ।

श्री अध्यक्ष---दरवाजा तो कामन है । इस सेक्रेटेरियट का भी है और यहां अन्दर घुसने के लिये भी है ।

श्री राजनारायण---लेकिन इससे हम लोगों के सम्मान की रक्षा का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---अगर आपके ऊपर कोई रोक टोक होती तो मैं उसमें हस्तक्षेप करता लेकिन सी०आई० डी० के लोग अगर आपकी हिफाजत के लिये खड़े किये गये हों और सदन में जो दूसरे लोग आते हैं उनमें ऐसे लोग न घुस आयें जो यहां आकर गड़बड़ करें तो इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है । लेकिन सी०आई० डी० पहचाने गये उसकी शिकायत आप गृह-मंत्री से कर सकते हैं ।

मन्त्रिगण द्वारा सदन में अप्रतिष्ठित तथा असत्य बातों के प्रयोग पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---दूसरी बात मुझे और निवेदन करनी है । मैं सबेरे से इसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता था । इस सम्मानित और आदरणीय सदन में अगर कोई मंत्रीगण ऐसी बात कह दें जोकि हम लोगों की दृष्टि में और सामान्य नागरिक की दृष्टि में अप्रतिष्ठित और असत्य हो और बिलकुल 'सप्रेशन आफ ट्रुथ' (सत्य को ताक पर रख दिया जाता है) किया जा रहा हो तो इसकी व्यवस्था क्या होगी । मैं दो बार ऐसा सवाल उठा चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष---जिस समय सवाल पैदा हो उसी वक्त मैं व्यवस्था दे सकता हूं, किसी शर्तिया सवाल पर इस समय व्यवस्था देने के लिये तैयार नहीं हूं । जिस समय ऐसा कोई सवाल उत्पन्न हो तब आप उसे उठायें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, पहले दो बार ऐसा सवाल उत्पन्न हो चुका है, उस समय आपने कहा था.....

श्री अध्यक्ष---यह समय इसके लिये नहीं है । अगर कोई बात है तो आप मेरे पास मेरे दफ्तर में लिख भेजिये ।

श्री राजनारायण---आपने खुद कहा था कि माननीय गृह मंत्री किसी दिन सदन में बयान दे देंगे जैसे दो दिन लखनऊ में फायरिंग के समय .....

श्री अध्यक्ष---आप शर्तिया सवाल उठा रहे हैं । मैं इस तरह के प्रश्नोत्तर के लिये समय देने के लिये तैयार नहीं हूं ।

दर्शक दीर्घा में सी० आई० डी० के व्यक्तियों का बिना पास के प्रवेश

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या अध्यक्ष महोदय को मालूम है कि विजिटर्स गैलरी (दर्शक दीर्घा) में सी० आई० डी० के लोग बिना पास के बैठा करते हैं ?

श्री अध्यक्ष--मेरे पास कोई सूचना नहीं है। मैंने हर एक के लिये पास लेने की आज्ञा दी थी। उसी हिसाब से काम हो रहा होगा, मैं तो यही समझता हूं।

*उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४
†खण्ड २ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--श्री जोरावर वर्मा यह संशोधन तो आपका बाद में आया है। यह लिया नहीं जायगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या इस खंड को मैं दूसरे रूप में रख सकता हूं अगर खंड में संशोधन नहीं हो सकता तो ?

श्री अध्यक्ष--उसका समय तो निकल गया। अब इसका विरोध हो चुका है। उसी के ऊपर में राय लूंगा। अगर इस पर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--जो संशोधन अवधेश प्रताप सिंह जी ने सदन के सामने रखा है उसके समर्थन में मैं बोलना चाहता हूं। श्रीमन् जो यह कृषि आय कर संशोधन बिल में सरकार खंड २ रख रही है कि धारा २ के खंड (३) में से वर्तमान प्रतिबन्ध हटा दिया जाय। उसके विरोध में मैं कहना चाहता हूं कि जो इसको निकालना चाहते हैं उसके माने यह होंगे जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा था कि एडीशनल कमिश्नर के पास बहुत से काम हैं। अगर उन एडीशनल कमिश्नरों को यह काम दिया जायगा कि वह अपने यहां के जिलों की कृषि आयकर की अपील सुनें तो मैं यहां पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप इस कृषि आय-कर के पहले विधेयक को देखेंगे तो उसमें यह खासतौर पर रखा गया है कि कृषि आय-कर की अपील जो सुनेगा वह हाईकोर्ट के जज के समान होगा और उसके बराबर योग्यता का होगा जो कि जुडिशियल का आदमी हो, वही कृषि आय-कर की अपीलें सुनेगा। मुझे यहां पर सरकार से यह कहना है कि अगर सरकार टैक्स को बढ़ा रही है तो उसको हमारी बात पर भी ध्यान देना चाहिये। सरकार की हाउस में यह नीति रही है कि जुडिशियरी और एक्जेक्यूटिव को अलग अलग काम दिया जाय। जब यहां पर बहुत से उदाहरण इन्कमटैक्स के दिये जाते हैं कि जो दूसरे आदमी उनकी अपील सुनते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। जो आदमी कृषि आय-कर को लगायें वही एक्जेक्यूटिव आफिसर इसकी अपील को भी सुनें। मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि सब आफिसर एक तरह के तो नहीं होते, लेकिन आप देखेंगे तो यह मालूम होगा जो एक नायब तहसीलदार जो एक बार कर निर्धारण कर देता है उसके उस फैसले को बदला नहीं जाता है और ऊपर वाले उसको ही मंजूर करते चले जाते हैं और आगे उसकी कोई सुनवायी नहीं होती। तो श्रीमन्, मुझे यह भय है कि जब सरकार इस प्रकार से कर निर्धारण करेगी तो उसमें किस प्रकार से इन्साफ होगा और उसको अपनी अपील करने के लिये किस प्रकार से मौका होगा और फिर जब सरकार ने तीन हजार से ४२०० कर दिया है तो अब बहुत से ऐसे कम केसेज रह जायेंगे जो शिकायत के लिये आयेंगे। इसके लिये अगर सरकार एडीशनल कमिश्नर यहां पर नियुक्त कर दे तो अधिक अच्छा होगा और काम भी अच्छी तरह से होगा और जो टैक्स देने वाले हैं उनको भी इत्मिनान होगा। वर्ना मैं यह समझता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और जो अपीलें एडीशनल कमिश्नर के पास जायंगी, तो उसमें बड़ी असुविधा होगी। मैं समझता हूं कि २, ३, कमिश्नरी अभी एक कर दी गयी हैं और जालौन के लिये अगर इलाहाबाद जाना पड़े या लखनऊ आना पड़े तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। इसीलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
†२७ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, राजा साहब ने जो इस धारा का विरोध किया है वह मनुष्य की कमजोरी का परिचायक है। आदमी जिस करवट लेटता है जब उस तरफ तकलीफ होने लगती है तो वह दूसरी करवट लेटता है ताकि उसको कुछ आराम मिले। लेकिन यहां पर तो वह बात नहीं है जब वह उस करवट लेटे और तकलीफ करें तो तभी यह बात ठीक हो सकती है और तभी उनकी शिकायत भी सही हो सकती है। आमतौर पर यह कहा जाता था कि एक कमिश्नर लखनऊ में बैठा हुआ है और ५१ जिले हैं अगर किसी को अपील करना हो तो उसे ३०० मील से यहां पर अपील की सुनवायी के लिये आना पड़ता है और आमतौर पर अपने वकील भी यहां पर लोग लाते हैं तो खर्चा ज्यादा होता है और परेशानी लोगों को होती है, क्योंकि इतनी दूर से आना पड़ता है। इसलिये यह दिखायी दिया कि अपीलों का सुनना बजाय इसके सारे सूबे का एक जगह केन्द्र रहे, हर कमिश्नरी में कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मुझे राजा साहब की खास तौर से याद तो नहीं रही है लेकिन उनके बहुत से साथियों ने मुझसे यह शिकायत की कि यह सहूलियत हो जानी चाहिये। जब यह कर दिया गया तो उनको दूसरा पहलू दिखायी देने लगा। कमिश्नर्स जुडिशियल आफिसर्स की तरह से अपील सुनते हैं। यह कहना कि क्योंकि उनको एग्जिक्यूटिव अख्तियारात भी हैं इसलिये इंसाफ की सम्भावना कम है या ऐसा इशारा करना मैं इसके खिलाफ सख्त प्रोटेस्ट करता हूं। मैं उनसे या किसी भी हमारी स्टेट के सिटीजन से यह जानना चाहूंगा कि आज तक कभी गवर्नमेंट ने कमिश्नर्स के जुडिशिल फंक्शन्स में इंटरफीयर किया है या नहीं। कोई किसी को ऐसी शिकायत नहीं है। ये अफसरान किस तरह से डिसइंटरेस्टेड और निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं इसका यह सबूत भी है कि ७० लाख कंपेंसेशन स्टेटमेंट रोल्स तैयार हुए। एस० डी० ओज ने तैयार किये और उनके खिलाफ अपीलें हुयीं केवल ३ परसेंट उनको भी एग्जिक्यूटिव पावर्स हैं और वे भी गवर्नमेंट के अफसरान हैं और उन मामलों में भी गवर्नमेंट एक पार्टी है। गवर्नमेंट को भी कृषि आय-कर के मामलों में शिकायत हो जाती है और अपील में जाना पड़ता है। इसलिये अपील का अख्तियार कमिश्नर्स को दे देने से लोगों को सहूलियत होती है और बेइंसाफी की कोई आशा नहीं है, न पिछला ऐसा तजुर्बा है और न मौजूदा है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि जनता को सहूलियत होगी और जैसा बिल में है वही ठीक और उचित है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३--मूल अधिनियम की धारा ४ में--

(क) संख्या तथा शब्द "३,००० रु०" के स्थान पर संख्या तथा शब्द "४,२०० रु०" रख दिये जायं। — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा ४ में संशोधन।

(ख) पहले प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जो ३० एकड़ से अधिक भूमि पर खेती न करता हो।"

स्पष्टीकरण--ऐसी भूमि जिस पर बाग (grove) या फल का बाग (orchard) लगा हो कृष्ट (cultivated) भूमि है।

(ग) द्वितीय प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (क) की दूसरी पंक्ति में संख्या "४२००" के स्थान पर संख्या "३६००" रख दी जाय।

[श्री जोरावर वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो संख्या एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स की थी वह यह थी कि जिसकी किसानों पर ३,००० रुपए की आमदनी होगी उस पर टैक्स लगेगा लेकिन अब यह बढ़ा कर ४,२०० रुपए की जा रही है। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों इतनी अधिक सुविधा बड़े-बड़े किसानों को दे रही है। मैं समझता हूं कि जितने बड़े बड़े राजा जमींदार या ताल्लुकदार थे उनका सरकार पर जोर पड़ा है और उस मजबूरी से सरकार को ४२०० रुपए रखना पड़ा है। अपने उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुये मैं समझता हूं कि एक तो इसमें संशोधन होना ही नहीं चाहिये था और यदि आवश्यकता इस बात की है तो हमारे संशोधन के अनुसार ३,६०० रुपये से अधिक इनकम (आय) टैक्स लगाया जाय। क्योंकि इसमें लगभग ३०० रुपये मासिक की आय होगी। साधारण काश्तकार के लिये ३०० मासिक आय कम नहीं है। यह एक परिवार के भरण पोषण के लिये काफी है। इसलिये मैं चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

†श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जोरावर वर्मा के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् मुझे आश्चर्य होता है माननीय जोरावर वर्मा के तर्क के ऊपर की ३,००० रु० जो एक्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ा कर जब सरकार ने ४,२०० रुपया किया है तो इस संशोधन पर उनको आपत्ति है और वे यह चाहते हैं कि इसको घटा कर ४,२०० रु० से ३,६०० रु० कर दिया जाय। यदि वे इसके लिये आधार चाहते हैं कि किस आधार पर ऐसा किया गया तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने इनकम टैक्स के लिये भी यह कायदा बना रखा है कि ४,२०० रुपये तक टैक्सेबिल नहीं है। श्रीमन्, एक्जेम्पशन लिमिट जो बढ़ाया गया है वह इस आधार पर नहीं बढ़ाया गया है कि उसके पीछे कोई ताल्लुकेदारों, जमींदारों या राजाओं का दबाव था जैसा कि माननीय जोरावर वर्मा जी समझते हैं, बल्कि आज कल यह देखते हुये कि खेतिहर किसानों की क्रयशक्ति की न्यूनता हुई और जिस सिद्धान्त पर यह गुणांक बढ़ा है और जिस सिद्धांत पर यह कर लगाया गया उसी सिद्धांत के ऊपर आज इस आमदनी की न्यूनता पा कर सरकार ने इस एक्जेम्पशन लिमिट में वृद्धि की है। श्रीमन्, अगर ऐसी बात होती जैसा कि माननीय जोरावर वर्मा बतलाते हैं, यदि जमींदारों का असर होता तो आज जमींदारी क्यों टूटती और उनके बहुत से हक़ हकूक जो सरकार छीन रही है वह कभी नहीं छीन सकती थी। इस तरह का दोषारोपण सरकार के ऊपर करके माननीय सदस्य इस सम्मानित सदन में विवाद के स्तर को नीचे गिराते हैं कि कहने के लिये कहीं की बात उठा कर कह मारा। इसके पीछे कोई तर्क हो ही नहीं सकता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, जो सरकार की ओर से विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इस पर जो जोरावर वर्मा ने संशोधन पेश किया है, असल में जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि इसको तर्क की कसौटी और तथ्य की कसौटी पर रखा जाय तो दोनों उचित प्रतीत नहीं होते। अभी पारसाल इसी सदन में ३,००० रु० की रक़म की बात रखी गयी थी तो सरकार की ओर से बहुत तर्क किया गया था। माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य और माननीय चरण सिंह जी जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में अगर उस समय की कार्यवाही पढ़ी जाय तो मालूम होगा कि इसका समर्थन किया है कि ३,००० रुपये रहना चाहिये। मगर साल भर के बाद ही हमारे सामने वह कौन सा तथ्य प्रस्तुत हुआ कि एकाएक तीन हजार से बढ़ा कर ४,२०० रु० कर दिया गया? यह तथ्य सरकार की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया कि कौन सी ऐसी परेशानी है। मैं समझता हूं श्रीमन्, कि यह सरकार जिस ग़लत ढंग से चल रही है अगर कहा जाय तो मालूम यही होता है कि इसे कहीं से आकाशवाणी हुई है और समय समय पर होती रहती है, एक बात दिमाग में आयी और झट से कानून का

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप देने के लिये हमारी सरकार हठवादिता पर प्रस्तुत रहती है। चाहे कितना ही तर्क उठा कर रख दिया जाय। मगर वह उसे मानने के लिये तैयार नहीं होती। लेकिन मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। श्री जोरावर वर्मा जी ने जो ३ हजार से ६०० की रक़म बढ़ा दी वह भी मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं और कुछ बात समझ में नहीं आती। अगर देश के गरीब होने का जो तर्क है वह ६०० के बढ़ा देने से फिर नहीं रहता तो क्या इससे ग़रीबों की ग़रीबी कम हो जायेगी? यहां पर १० आने या १२ आने औसत आमदनी पड़ती है और उसका हिसाब लगाया जाय तो सालाना आमदनी २५०–२६० रु० औसत आमदनी पड़ती है लेकिन सरकार ने पिछले साल भी ३,००० तक छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा कि अगर सरकार १,२०० बढ़ाती है तो उसके आधे ६०० ही बढ़ा दें। मालूम नहीं कि वह ६०० बढ़ाने के लिये क्यों लाचार हो गये?

गत वर्ष सरकार ने ३,००० की लिमिट रखी थी वही वह रहने देती तो ठीक था। मैं तो को सरकार की बुद्धि को चुनौती देना चाहता हूं और ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे सरकार की गतिविधि को देखें कि साल भर पहले से देश की ग़रीबी अमीरी कितनी बढ़ गई और अगर नहीं देखते हैं तो यह हालत होगी कि साल में दो दो तीन तीन बार यह संशोधन होंगे और जितना भी जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया है उसे विधान के सदस्य नाजायज तौर से ख़र्च करेंगे। आप देखें कि एक एक बिल में कितना रुपया ख़र्च होता है। वही हिसाब हो जायगा कि "अन्धेरी नगरी अनबूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा।" मैं अध्यक्ष महोदय, आप से ही निवेदन करूंगा कि आप इस सदन से बाहर रह कर उनकी बुद्धि पर प्रभाव डाला करें, ताकि भविष्य में ऐसे संशोधन पेश न हुआ करें और इस प्रकार से समय नष्ट न हुआ करे और ट्रेजरी पर ज्यादा भार न पड़ा करे।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ़्फ़रनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने ३ भाषण इसी विषय पर सुने और वे तीनों भाषण अलग अलग लोगों की मनोवृत्ति जाहिर करते हैं। एक साहब कहते हैं कि ४,२०० से घटा कर ३,६०० कर दिया जाय और ४,२०० न रखे जायं, दूसरे साहब का कहना है कि ४,२०० ही ठीक है बल्कि इससे भी ऊपर जा कर अगर ५,००० कर दिया जाय तो अच्छा है। इनके अलावा एक तीसरे साहब तो ऐसे आये कि जिनका यही पता नहीं चला कि ३,००० चाहते हैं या ४,२०० चाहते हैं या क्या चाहते हैं, वह तो मालूम होता है कि केवल यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से सरकार की नुक्ताचीनी की जाय कि सरकार इस तरह से बुरी है उस तरह से बुरी है। मैं कहता हूं कि पिछले साल यहां पर ३,००० की लिमिट रखी गयी थी कि इसके ऊपर ही लगाया जाय लेकिन अब वही सरकार ४,२०० रखना चाहती है। माना कि पिछले साल ३,००० माना था, लेकिन वही सरकार जब देखती है कि ३,००० की लिमिट मुनासिब नहीं है बल्कि ४,२०० की ज्यादा मुनासिब होगी तो वह उसको ठीक कर देना चाहती है तो बजाय इसके कि वह सरकार की तारीफ करें उन्होंने उसकी नुक्ताचीनी करना शुरू कर दिया। मैं यहां बता देना चाहता हूं कि ४,२०० की लिमिट इसलिये मुनासिब और ठीक है। हमारे सेंट्रल इन्कम टैक्स ऐक्ट में भी ४,२०० की लिमिट रखी गयी है और उससे नीचे टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर ही लगेगा। तो इस बात की वजह से कि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स भी उसी प्रकार से हो जाय जिस प्रकार से सेंट्रल इन्कमटैक्स है यह चार हजार दो सौ की लिमिट रखी गयी है, क्योंकि अगर ४२ सौ सेंट्रल इन्कम टैक्स की लिमिट हो और जो खेती करने वाले हैं उनसे कम पर लिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गैर मुनासिब बात है और पिछले साल सरकार के सामने यह बात रखी गयी थी मगर इस साल यह खुशकिस्मती की बात है कि सरकार ने इस बात को मान लिया और उन्होंने ४,२०० की लिमिट रख दी। तो बजाय इसके कि हम सरकार की नुक्ताचीनी करें हमें तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने जो यह पिछले साल एक नामुनासिब बात हो गई थी तो उसको अब ठीक कर दिया है और इसके लिये वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं और इसलिये जो ४,२०० की बात है मैं उसका समर्थन करता हूं और जोरावर सिंह जी ने जो बात रखी है उसका विरोध करता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन का, साथी राजनारायण जी ने जो बात कही है उसके साथ और उसके संदर्भ में समर्थन करना चाहता हूं। मेरे आदरणीय साथी माननीय बलवन्त सिंह जी को कुछ गलतफहमी हो गई है कि माननीय राजनारायण जी ने कुछ स्पष्टमत अपना प्रकट नहीं किया माननीय राजनारायण जी का तो स्पष्ट कहना था कि यह जो ६ सौ रुपया बढ़ा करके श्री जोरावर वर्मा जी ने रखा है उसकी भी आवश्यकता नहीं थी और जैसा ३,००० पहले था वैसा ही रखना चाहिये था और ३,००० के स्थान पर ४२,०० रखना यह कोई न्यायसंगत बात प्रतीत नहीं होती।

दूसरी बात जो माननीय राजनारायण जी ने कही वह यही थी कि इस प्रकार के जो टैक्स सम्बन्धी विधेयक हैं उनमें इस प्रकार समय समय पर परिवर्तन करना, इसकी लिमिट्स को बढ़ाना, इसमें नये नये संशोधन लाना यह खर्चे को कंट्रोल करने वाली जो बात है उसके विपरीत है। यह जो हमारी टैक्स प्रणाली है उसको सुनियंत्रित और सुव्यवस्थित करना है लेकिन आज हमें उसमें कोई बुनियादी कमी मालूम पड़ती है जो हमें बराबर नये नये संशोधन ला कर दूर करनी पड़ती है। एक बार हम कमजोरी दूर करते हैं और फिर चार या पांच महीने बात कमजोरी आती है तो यह हमारी सारी टैक्स प्रणाली की कोई बुनियादी कमजोरी है। श्रीमन्, को याद होगा कि सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में भी दो तीन विधेयक इस सदन के सामने आये और इसी तरह से ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स की बात है। माननीय मन्त्री जी यह कहते हैं कि इन्कम टैक्स विधेयक की लिमिट भी ४,२०० की है इसलिये इसको भी मिटाने के लिये इन्कम टैक्स और ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को एक लेविल पर लाने के लिये यह मापदंड रखा गया है। श्रीमन्, यह सारी बातें टैक्स इन्क्वायरी कमीशन के सामने हैं। उसने सारे टैक्स स्ट्रक्चर को एक्जामिन किया है और उसकी सिफारिश मैं समझता हूं कि इस वर्ष के ही अन्दर आने वाली है। भारत सरकार भी चाहती है और राज्य सरकारें भी यह चाहती है कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट को अविलम्ब दे। श्रीमन्, मुझे तो जान मथाई साहब के वे शब्द याद हैं जो उन्होंने ने बम्बई में एक प्रेस कान्फ्रेन्स में कहे थे कि मैं चाहता हूं कि तमाम टैक्सों को खत्म करके एक निश्चित रकम रख दी जाय कि वह किसी भी नागरिक को स्टेट को देनी होगी। उनका यह ख्याल है कि डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेशन बिलकुल न रहना चाहिये बल्कि एक मुश्त रकम उसको देनी होगी। तो अभी यह मालूम नहीं है कि एक मुश्त रकम देनी होगी या क्या होगा, यह भी मालूम नहीं है कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की रकम तीन हजार से पांच हजार होगी या तीन हजार से दो हजार हो जायगी या इन्कम टैक्स तीन हजार ही रखा जायगा या क्या होगा तो जो एक समस्या टैक्स एन्क्वायरी कमीशन के सामने है और सरकार ने भी उसमें अपनी सिफारिशें दी हुई है कि सरकार की क्या इच्छा है तो मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी के दृष्टिकोण में यह बात बिलकुल स्पष्ट है, उनकी नीति है जब तक यह टैक्स स्ट्रक्चर जनता की पैइंग कैपेसिटी, देने की क्षमता को देखते हुये निश्चित नहीं होता तब तक इस संबंध में सरकार को बुनियादी रूप में थोड़े-थोड़े समय में छोटे-छोटे संशोधन लाना उचित नहीं है और मैं उसी बात को परिपुष्ट करने को माननीय मंत्री को कहूंगा कि इस संबंध में वह कोई शीघ्र कदम न उठायें और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो एग्रीकल्चरल इंकम टैक्स के संशोधन हों, उनको प्रस्तुत करें। इसी आधार पर जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं माननीय राजनारायण के द्वारा प्रस्तुत संदर्भ में श्री जोरावर वर्मा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वह श्री राजनारायण जी का संशोधन मान लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय जो संशोधन पेश है और जिस पर अभी हमारे माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं, उनको मैंने गौर से सुना। हमारे माननीय नारायण दत्त जी ने बताया कि श्री बलवन्त जी ने विरोधी नेता के भाव को समझा ही नहीं। उन्होंने हम लोगों को समझाया भी है कि श्री जोरावर वर्मा जी ने ३,६०० का विरोध किया है इससे ही ३,००० का समर्थन हो जाता है। नेता विरोधी दल ने बतलाया कि सरकार नें ३,००० का बड़े जोरों के साथ समर्थन किया था तो मेरा ख्याल है कि उसका विरोध भी बड़े जोरों के साथ विरोधी नेता ने किया था। इससे सिद्ध हो जाता है चूंकि उन्होंने ३,००० का विरोध किया फिर ३,६०० का विरोध किया ही और ४२०० को मानते नहीं है इसलिये श्री बलवन्त सिंह जी की बात सत्य हुई कि उनका कोई मत है ही नहीं। हां, एक बात अवश्य है कि उन्होंने कहा कि सरकार बारम्बार संशोधन लाती है और सदन को बुलाती है, इससे बड़ा खर्चा होता है। यह बात अवश्य कहने की है लेकिन अगर ऐसा न किया जाय तो इससे भी बड़ी बात कहने को उन्हें हो जाती है कि सरकार तो स्वयं सब काम कर लेती है, स्वेच्छाचारी है और वह किसी से परामर्श नहीं करती। तो उनको तो कहने के लिये कुछ न कुछ अवश्य मिलना चाहिये और वह कहेंगे अवश्य। इधर कहें या उधर कहें, उनको केवल कहना ही है। यह संशोधन जो पेश है सरकार की ओर से, मैं समझता हूं कि बड़े विचार से, छान-बीन कर, सोच समझ कर रखा गया है और मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं इसलिये कि ३० एकड़ तक का जो किसान है उसकी आमदनी, मेरे ख्याल में ४ हजार तक हो सकती है या इससे कम हो सकती है। तो वे मामूली किसान जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स भी नहीं दे रहे थे, अगर ३,००० रुपये आय पर टैक्स रखते हैं तो उनपर टैक्स लग जाता है। सरकार के इस संशोधन से मामूली किसान बरी हो जाता है टैक्स से और जो बड़े बड़े फार्म वाले हैं उन पर टैक्स लग जाता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने इसे बड़े सोच समझ कर रखा है और इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और श्री जोरावर वर्मा जी के ३,६०० आय का विरोध करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जोरावर वर्मा के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें मुझको प्रतिशोध की भावना दिखाई देती है। जोरावर जी ने जो चीज रखी है उससे प्रतिशोध टपकता है और हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने जो कहा उनकी बातों से तो तथ्यों का पता ही नहीं लगता, उनके प्रोग्राम का पता नहीं लगता। मैं यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को हक है कि वह जब चाहे टैक्सेज को अप्स एन्ड डाउन कर सकती है एकार्डिंग टु दि मारकेट। समय के अनुसार हम अप्स और डाउन्स जब चाहें कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार ने यह सोच रखा है कि ३० एकड़ से ऊपर जो लोग जोतते हैं उनके ऊपर यह टैक्स ३,६०० से ४,२०० कर दिया गया है जिसकी वजह से ३० एकड़ तक के लोग इससे बच जायेंगे। हमारे देश में ऐसे ही लोगों की संख्या अधिक है और इसी को सोच कर सरकार ने यह किया है कि ४,२०० तक जिनकी आमदनी है वे बच जायं और ४,२०० से ऊपर वालों पर यह टैक्स लगे। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय यह है कि ४,२०० जो रखा गया वह गलत नहीं है। आज हमारे ग्रामीण लोग पंचायत राज के टैक्स, नाना प्रकार के टैक्सों की वजह से परेशान हैं और उन्हें शिकायत है, तो गवर्नमेंट ने यह सोचा इन लोगों को कुछ निजात दी जाय और जो बड़े बड़े जमींदार हैं जिनकी आमदनी काफी है, अच्छी खेती होती है, नौकरियों में भी उन्हीं के लड़के हैं, अच्छे वकील है, क्योंकि उनके पास पढ़ाने के लिये पैसा है। इसलिये सरकार ने इस चीज को रखा। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग प्रतिशोध की भावना नहीं रखना चाहते। अपोजीशन की तरफ से हमारे हर कदम की मुखालफत की जाती है। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाय। गवर्नमेंट तो यही सोच कर कार्य करती है जिससे लोगों को राहत मिले, और खासकर उस देहाती जनता को जिसकी संख्या हमारे देश में अधिक है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ उनके अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में माननीय नेता विरोधी दल का भाषण जो हुआ उसको सुन करके मुझे कुछ परेशानी हुई। मेरी

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

समझ में नहीं आता कि आपको हम लोग कैसे राजी रखें। जब हम इधर चलें तो उधर धक्का देते हैं और उधर चलें तो इधर। आपने सरकार की बुद्धि पर आक्षेप किया। तो जहां तक बुद्धि का संबंध है उस संबंध में एक कहावत है कि दुनिया में कुल दो अक्ल हैं उसमें से हर आदमी समझता है कि डेढ तो मेरे पास है और आधी में दुनियां है। यही बात शायद नेता विरोधी दल पर यहां लागू होती है। या यह भी हो सकता है कि जब भगवान के यहां बुद्धि का बटवारा होने लगा तो सारी बुद्धि इन्होंने ले ली और सरकार जो बाद में पहुंची उसको कुछ नहीं मिली। ऐसी बातों में कोई तथ्य नहीं है। सीधी सी बात है। टैक्सेशन कोई ऐसी फारमूला नहीं है जिसके बारे में कोई शास्वत सनातन नियम बना दिया जाय कि बस इसके आगे पीछे नहीं हटा जा सकता है। अभी नहरी रेट के बारे में आप लोग शोर मचा ही रहे हैं कि वह ज्यादा है और जब हम दूसरी तरफ आयकर टैक्स में कमी कर रहे हैं तब भी कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि यह बातें ऐसी हैं जिनसे हमें बहुत परेशानी होती है कि हम कैसे इनको राजी करें। इन लोगों की आदत है कि यह हमारी सब बातों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। एक दृष्टान्त मैं देता हूं--

हमारी सीमेंट फैक्ट्री जब बनने लगी तो इसी फ्लोर पर इन लोगों की ओर से ऐसी स्पीचेज हुई कि यह फैक्ट्री कभी कामयाब नहीं होगी। लेकिन मैं आपके द्वारा सदन को यह शुभ-संवाद सुनाना चाहता हूं कि हमारी सीमेंट फैक्ट्री कल चालू हो गई और कल पहले पहल लगभग ३ घंटे में ३०० टन सीमेंट उसमें निकली। मैं कल रात ९ बजे वहां से नमूना अपने साथ लाया हूं। हमने कामयाबी हासिल करके यह दिखा दिया कि हम जितनी योजनाएं लेकर चलते हैं उनको पूरा करते जा रहे हैं और हर दिशा में हमारा कदम सही उठ रहा है। लेकिन हर वक्त आपका हमारे साथ एक ही रवैया रहता है इससे यह सिद्ध है कि हम किसी तरह इनका समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जो हमारे भारतीय इंनकम टैक्स का सिद्धान्त है ४,२०० रुपये का, उसी आधार पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को भी समानता दी गई है। जब एक सिद्धान्त केन्द्रीय आयकर का वास्तव में लागू है और उसी को हमने अपने यहां लागू किया तो हमने कुछ अनुचित नहीं किया। यह एक बड़ी मामूली और साधारण सी बात थी। इसके लिये यदि आप थोड़ा सा धन्यवाद देते या इसकी सराहना करते तो हमें भी खुशी होती कि आप हमारे साथ हैं लेकिन हमें वह इनकी ओर से कभी नहीं मिलता। इसलिये, अन्त में, मैं ४,२०० रुपये का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह न्याय संगत, बुद्धि संगत और तर्क संगत है इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, जो बहस भवन के सामने उपस्थित है और इसके मुताल्लिक जो विचार मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से उपस्थित हुये उनको सुनकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। ३,००० रुपये से एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की लिमिट को हटा कर जो ४,२०० रुपये की लिमिट कर दी है और जिस सिद्धान्त पर ही की है वह भवन के सामने रख दिया गया है। इन्कम टैक्स क्योंकि ४,२०० रुपये पर निर्धारित किया जाता है इसलिये एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स भी इतने ही रुपयों पर लगना चाहिये। असल में जहां तक मेरी विचारधारा का ताल्लुक है वह कुछ मुख्तलिफ है। मेरे विचार में ४,२०० रुपये की लिमिट कम है इन्कम टैक्स का जो सवाल है तो वह एक कारोबार पर लगता है। जिस कारोबार पर यह टैक्स लगता है वह यह मद ऐसी है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। वह बैठा हुआ दुकान में काम कर रहा है। समान खरीदता है और फरोख्त करता है और उसको ज्यादा खतरा नहीं है। यदि उसकी आमदनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

४,२०० रुपये से ज्यादा होगी तो उस पर इन्कम टैक्स लगा दिया जायगा। लेकिन एग्रीकल्चर इंनकम टैक्स में मुख्तलिफ बात है। खेती में कितना खतरा होता है। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है।

अभी हमने देखा कि बाढ़ आई और एक बड़े रकबे में पानी ही पानी हो गया। कहां कितनी हानि हुई, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। हम इसके लिये ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि उनका लगान बिल्कुल माफ कर दें या घटा दें या तकाबी दे दें। लेकिन उनकी क्षति हम किस प्रकार पूरी कर सकते हैं यह बड़ा मुश्किल काम है। एक साल की खेती की क्षति जाकर ४,५ साल में पूरी होती है। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि एक साल की आमदनी का ब्यौरा देखना है और ब्यौरा रखना कोई आसान काम नहीं है, जो लगान का साढ़े बाहर गुना होगा उसको आमदनी तस्व्वुर करके यह लगान लागू किया जायगा। खेती का काम खतरे से भरा रहता है। ऐसे व्यवसाय में जिसमें खतरा बहुत ज्यादा होता है उसमें ४,२०० रुपये की लिमिट रखना न्यायोचित नहीं है, परन्तु गवर्नमेंट जहां तक जा सकती थी जा करके इस लिमिट को इन्कम टैक्स की लिमिट के बराबर उसने रख दिया। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें सरकार की ऐसी कौन सी बात थी जिससे यह समझा जाय कि सरकार न्याय से बाहर होकर काम कर रही है। अगर ३,००० रुपये की लिमिट रखी जाती या इससे कम की लिमिट रखी जाती तब तो मैं समझता कि सरकार ने न्याय नहीं किया है और यह न्याय के बाहर की चीज थी। लेकिन ४,२०० रुपये की लिमिट कायम करना मुनासिब है। इस सिद्धान्त पर कि एग्रीकल्चर के व्यवसाय को भी उनके बराबर समझ लें जिन पर कि इन्कम टैक्स लगाया जाता है और इस बात का कोई ध्यान न दें कि ऐग्रीकल्चर में कितना रिस्क आता है, कितने नुक्सानात होते हैं और किन किन हालत में काश्तकार लोग रहते हैं और उसी लेबिल पर रखा जाय तो ४,२०० की रकम कुछ गैर मुनासिब नहीं है।

अभी, माननीय विरोधी दल की तरफ से, नारायण दत्त जी की स्पीच हुई। उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने दुहाई दी टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की और यह कहा कि जब तक कि उसका फैसला न हो जाय उस वक्त तक सरकार जो टैक्सेशन घटाया बढ़ाया करती है, यह उचित नहीं है और उसको घटाना बढ़ाना नहीं चाहिये। मैं उनसे दरयाफ्त करना चाहता हूं कि जब इनहांस्ड इरिगेशन रेट पर वह अपने विचार प्रकट कर रहे थे तो उस वक्त उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की दुहाई क्यों नहीं दी थी कि जब तक रिपोर्ट सामने न आ जाय तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। तो वह कमेटी की रिपोर्ट वाली दलील तो उस रोज भी दी जा सकती थी। इससे जाहिर होता है कि हमारी जो मुखालिफ पार्टी है, प्रजासोशलिस्ट पार्टी है, उसकी जो विचारधारा है वह परिपक्व नहीं है और जो वक्तन-फवक्तन अपनी बातें और अपने नये नये सिद्धान्त इस भवन के सामने लाते हैं उन पर वह अपने पहले से विचार नहीं करते। किसी विधेयक पर कोई सिद्धान्त आ जाया करता है और उसी किस्म के दूसरे विधेयक जो हाउस में विचाराधीन आते हैं तो उसके मुख्तलिफ या खिलाफ एक सिद्धान्त पेश कर देते हैं। इससे शंका यह होती है कि हमारा जो विरोधी दल है उसका कार्य सुचारु रूप से पूरा होता नहीं है, क्योंकि प्रजातन्त्र में विरोधी दल का भी एक स्थान है। इसलिये मैं विरोधी दल के नेताओं से यह प्रार्थना करूंगा कि उनको सही मानों में विरोधी दल का काम इस भवन में करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--अब आप असली विषय पर आ जाइये। आप विषय से दूर होते जा रहे हैं।

श्री खूबसिंह--बहुत अच्छा हुजूर। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह भी कहा गया कि जो इस किस्म के प्रस्ताव लाते हैं, क्यों लाते हैं कि टैक्सेशन की लिमिट

[श्री खूबसिंह]

बढ़ायी जाय या घटायी जाय, उससे भवन का समय और रुपया नष्ट होता है। तो रुपया तो बचाने की नीति होनी ही चाहिये, इसलिये विरोधी दल को उसका सही रूप में प्रदर्शन करना चाहिये और अगर वह सही रूप में विरोध का प्रदर्शन करे तो बहुत रुपया इस भवन और स्टेट का बढ़ सकता है और अगर उन्होंने अपने विचारों में और कार्यों में कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखाई और पूर्व विचार करने के बाद कोई कार्य-क्रम न बनाया तो उससे न सिर्फ इस भवन का बल्कि सारी स्टेट का ज्यादा रुपया खर्च हो सकता है और होता होगा।

इन अल्फाज के साथ मैं जो ४,२०० रुपये की लिमिट है उसका समर्थन करता हूं और दरख्वास्त करूंगा कि सरकार उसमें किसी मौके पर अगर वृद्धि कर दे। वह बढ़ने पर वह पांच हजार या साढ़े पांच हजार कर दी जाय तो वहां तक भी यह बात बेजा न होगी।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रश्न यह है कि जो मिनिमम है, यानी जहां तक कि कर न लगाया जायगा, उसकी रकम ३,००० होनी चाहिये या जैसा विधेयक में किया जा रहा है, वह रकम ४,२०० रहे। इस पर जोश के साथ बहस करना अनावश्यक है। प्रश्न सरल है और जहां तक मैं देख रहा हूं, उसका निश्चय उस आधार पर किया जा सकता है कि यदि हम थोड़ी देर के लिए इस पर ध्यान दें कि आया सरकार की इच्छा क्या है, सरकार का मतलब क्या है, तो वह यह है कि आम जनता का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग, जीवन स्तर, बढ़ाये। ३,००० आमदनी को अगर माफ किया जाय तो उसका मतलब यह हुआ कि यदि सरकार की उस नीति को ध्यान में रखते हुए कि फी आदमी या फी परिवार के पास ३० एकड़ से अधिक जमीन न हो, तो उसका हिसाब पड़ता है कि एक सौ रुपया की आमदनी तक एग्जेम्प्ट किया जाय। अब उस ३० एकड़ की सीमा को रख कर ४,२०० के हिसाब से फी एकड़ की आमदनी १४० रुपया तक एग्जेम्प्ट करने का विचार प्रकट होता है। साथ ही यदि वर्ष के साथ इसका हिसाब लगाया जाय तो ३ हजार के हिसाब से...

श्री चरणसिंह--जरा सा एक्सप्लेनेशन के तौर पर यह कहना चाहता था कि ४,२०० की सीमा है जिसके नीचे कि टैक्स नहीं लगाया जायगा? यह नहीं है कि ३० एकड़ की आमदनी को खींचकर के ४,२०० कर दिया गया है। मान लीजिए अगर २८ एकड़ है और उसका सर्किल रेट बहुत ऊंचा है, ४,२०० पहुंच जाता है तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो जो आप कह रहे हैं, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा वह मैं समझ रहा था और समझता हूं। इस सम्बन्ध में इस स्थान पर यह बताना शायद उचित न होगा कि जो कुछ माननीय मंत्री महोदय ने कहा वह यदि लगभग का साढ़े बाईस गुना किया जाय तो शायद वह उस सीमा से बाहर निकल जाय किन्तु जब वह धारा आयेगी उस पर उस समय बहस करना उचित होगा। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि ३० एकड़ की आमदनी ४२ सौ से कम होती है तो उस पर मैं मानता हूं, समझ रहा हूं, कि उस पर ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स नहीं लगेगा। किन्तु जैसा मैं समझा रहा था और मैंने तो शुरू में ही बता दिया कि मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं इसलिये नहीं कि मैं समझता हूं कि इसके ४२ सौ करने का कोई विशेष अर्थ है बल्कि मैं इसलिये इसका विरोध करूंगा कि मैं समझता हूं कि ४२ सौ रकम उस दृष्टि से देखते हुए कि ३० एकड़ तक जमीन सरकार के एक व्यक्ति के हाथ में रखना स्वीकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रही है, या ऐसा विचार किया है सरकार ने, तो मैं समझता हूं कि इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध कुछ गलत प्रतीत होता है। हर एक किसान की जो ३० एकड़ भूमि अपने हाथ में रखता है, उसकी चेष्टा यह होगी और यदि उसकी चेष्टा सफल हुई तो मैं समझता हूं कि उसकी आमदनी ४२ सौ से अधिक हो सकती है और जब कि उसकी आमदनी ४२ सौ से अधिक हो सकती है तो उस पर हमको फिर यह विचार करना पड़ेगा कि आया ४२ सौ ऐसी रकम है जिसके पाने के बाद वह उस स्टैंडर्ड आफ लिविंग पर पहुंच सकता है या नहीं जो कि हमारा मकसद है। ४२ सौ की आमदनी का अगर माहवारी हिसाब लगाया जाय तो वह लगभग ३५० रुपये महीने बैठती है। ३५० रु० महीना बहुत कम लोग भारतवर्ष के निवासी पाते हैं। किन्तु दुर्भाग्य यह है कि यह मानी हुई बात है कि टैक्सेज के सम्बन्ध में जो वास्तविक एक्सपेंसेज होते हैं असेसमेंट के समय जिनका कि विचार करना आवश्यक होता है, बहुत सी ऐसी बातें उस समय छूट जाती हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि हालांकि बाहरी रूप से एक व्यक्ति की आमदनी शायद ४२ सौ रुपये के हिसाब से ३५० रुपये महीने की कही जाती है फिर भी वास्तव में उसके हाथ अपने स्टैंडर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करने के लिये, अपने परिवार की देखभाल करने के लिए, उससे कहीं कम रकम आती है। इसलिये संशोधन का केवल विरोध ही नहीं बल्कि मैं तो इस मत का होऊंगा कि सरकार पहले इस पर विचार करे कि आया जिस स्तर पर वह जनता को लाना चाहती है, उस स्तर पर कितने पैसे माहवारी या सालाना की आमदनी पर एक व्यक्ति रह सकता है और तब इस मिनिमम गारन्टी को नियत करें। इस प्रकार यहां किसी सदस्य ने यह भी चर्चा की कि बार बार टैक्सेज में और इग्जेम्प्शन लिमिट में फ्लक्चुएशन करना या परिवर्तन करना अनुचित है। मैं इस मत का विरोध करता हूं। मारकेट फ्लक्युएशन जो होता है उस पर सरकार का ध्यान न देना अनिवार्य है और उसके हिसाब से सरकार को अपने कर की नीति तथा कर से एग्जेम्प्ट करने की नीति निर्धारित करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से कानून सरकार की ओर से आते हैं जिनका विशेष मकसद किसी एक ग्रुप या विचार या सिद्धान्त के विरोध में होता है जैसा कि जमींदारी उन्मूलन का स्पष्ट रूप से जमींदारियों का उन्मूलन करने का उद्देश्य था। नेशनलाइजेशन के बिलों का भी सिद्धान्त स्पष्ट है। मगर इस कृषि-आयकर के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि हमारा यह सोचना कि यह एक विशेष ग्रुप या किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध है मैं यह समझता हूं कि यह गलत होगा। मैं मानता हूं कि हर मनुष्य के अपने अपने काम्प्लेक्सेज होते हैं और हमारी सरकार मनुष्यों का झुंड है। उनके अपने काम्प्लेक्सेज भी हैं। किन्तु मेरा यह विश्वास है कि कहीं कहीं कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। किसी विशेष ग्रुप को अधिक चोट लगना सम्भव है, फिर भी यह इस विधेयक का सिद्धान्त नहीं है। मेरे दल में ही शायद लोग मेरे इन विचारों से सहमत न हों, किन्तु जहां तक मैं समझ पाया हूं मुख्यतः इस विधेयक का कोई ऐसा सिद्धान्त प्रतीत नहीं होता कि जो बड़े जमींदार हैं जिनकी जमींदारियां लेने के बाद उनके बड़े फार्मों के ऊपर कोई विशेष चोट पहुंचायी जाय। मैं जानता हूं कि इधर के काफी सदस्य हैं जिनके पास बड़े फार्म्स हैं। मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि उस ओर बैठे हुए भी माननीय सदस्य हैं जिनके पास ३० एकड़ से कहीं अधिक बड़े फार्म्स हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि इस बिल को केवल इसी दृष्टि से देखना कि इसमें किसी एक विशेष वेस्टेड इंटरेस्ट वाले सदस्य या ग्रुप को छीनने की चेष्टा की जा रही है। मैं समझता हूं कि इस बिल की जो विशेष बातें हैं और जो इस बिल में खामियां हैं उसके सम्बन्ध में सरकार के हाथ में एक प्रकार का प्रेजुडिस पैदा करना होगा। इस दृष्टिकोण को छोड़कर यदि हम इस बिल को एक आब्जेक्टिव रूप में देखें और जैसा कि मैंने बताने की कोशिश की कि इसलिये नहीं कि यदि इसका एग्जेम्पशन तीन हजार से बढ़ाकर ४,२०० कर दिया गया है, बजाय इसके अगर हम इस दृष्टि से इस बात को देखें कि चार हजार दो सौ रुपये

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

तक एग्जेम्पट करने से हमारा जो दूसरा सिद्धान्त है और मैं कहूंगा कि हमारा मुख्य सिद्धान्त हल होता है या उस पर अड़चन पहुंचती है, यदि इस दृष्टि से इसको देखें तो मैं समझता हूं कि अधिक लाभ होगा।

मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे विचार से सरकार ने उचित किया कि तीन हजार की जो मैक्सिमम फीगर थी उसको बढ़ा कर ४,२०० तक कर दिया। केवल इतना ही न कहूंगा बल्कि यह भी अवश्य प्रगट करूंगा कि उचित समय पर और मैं समझता हूं कि वह उचित समय शीघ्र ही आयेगा कि इस रकम को ४,२०० से भी ऊपर बढ़ाना आवश्यक हो जायगा। इसलिये नहीं कि उससे मैं या मेरे मित्र बच जायेंगे बल्कि इसलिये कि शनैः शनैः आम जनता का स्टैंडर्ड आफ लाइफ जैसे बढ़ेगा उसी के साथ ही यह आवश्यक हो जायगा कि सरकार उनके हाथ में थोड़ी आमदनी और छोड़े। इसी हिसाब से आमतौर से सरकार की कर नीति बनती है और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि कृषि आय कर के सम्बन्ध में सरकार को शीघ्र ही परिवर्तित करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा काफी अधिक हो चुकी है। अन्त में मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि माननीय तिवारी जी ने जो खामियां इस बिल में बताई मैं उनके अलावा एक विशेष खामी पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक सब से बड़ी खामी जो हर एक टैक्सेशन बिल में पाई जाती है और जिसका हल करना एक कठिन समस्या सा प्रतीत होता है, किन्तु उसका हल करना भी मैं समझता हूं कि एक बहुत जरूरी बात है। वह यह कि टैक्सेशन हमेशा पिछले साल की आमदनी पर होता है। जहां बिजनेस का सम्बन्ध है पिछले साल की आमदनी के हिसाब से अगले साल की आमदनी का अनुमान काफी एक्यूरेटली लगाया जा सकता है लेकिन कृषि की आमदनी के सम्बन्ध में अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। हालांकि सरकार ने काफी धाराएं ऐसी रखी हैं कि यदि बाढ़ आ जाय, और किसी और तरह से फसल में नुकसान हो जाय तो उसमें रियायत देने का प्रबन्ध कर रक्खा है। किन्तु फिर भी मैं कहूंगा कि कृषि के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा एक्योरेट एंटिसिपेशन नहीं किया जा सकता और न यह उचित होगा कि पिछली आमदनी के हिसाब से जो फसल खड़ी है उस पर कर ले लिया जाय और साथ ही साथ रिफंड का जो प्राविजन दिया है इससे मैं समझता हूं कि आम जनता में असंतोष की भावना पैदा होने की संभावना है। मैं दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दे पा रहा हूं। मैंने शुरू ही में कहा कि बहुत कठिन समस्या है। लेकिन सरकार के सामने दिक्कत यह है कि कोई बेसिस उसके सामने होना चाहिये जिसके आधार पर वह टैक्सेशन करे। फिलहाल यह एक आधार बनाया गया है कि पिछले साल की आमदनी पर टैक्सेशन किया जाय। उस पर रियायतें देने के भाषण टैक्सेज लिये जाते हैं, लेकिन मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर विचार करें और जब भी इसका कोई उपाय निकल पाये उसको शीघ्रातिशीघ्र कानून द्वारा बनाने की चेष्टा करें।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से इधर और उधर के माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था। इस सदन के कुछ सदस्यों ने तो ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धि का ठेका ले लिया है। खैर, उस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे यह कहना है कि गत वर्ष इसी विधान सभा भवन में यह कृषि आय-कर विधेयक स्वीकृत हुआ। माननीय कृषि मंत्री जी, मुझे मालूम है कि कृषि के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। उन्होंने हिसाब किताब लगा कर एक हिसाब लगाया कि ३० एकड़ से जिनकी जोत अधिक है या जिनकी आमदनी ३,००० से अधिक है

उन्हें कृषि आय कर देना होगा। पिछले साल मैंने इसका विरोध किया था कि जमींदारी एबोलीशन के बाद जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, उन्होंने जब कृषि आय-कर की बात आई तो व्यक्तिगत रूप से आपस में फार्म्स का बटवारा कर लिया। उन्होंने सोचा कि ३० एकड़ तक का प्रतिबन्ध है तो उन लोगों ने २५ एकड़ के टुकड़े कर लिये और आपस में इस तरह से बटवारा करके अपने को टैक्स से वंचित रखा। लेकिन अब साल भर के बाद हमारी समझ में नहीं आया कि माननीय मंत्री जी ने अपने उस उद्देश्य को जो उन्होंने विधेयक में रखा था उसको सालभर के बाद अपने को उसमें असफल समझा और उस अपनी ३० एकड़ की बात को और ३ हजार वाली लिमिट को जो एक साल पहले रखा था अब उसको वसूल नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसी वजह से उन्होंने ३ हजार के बजाय ४२०० रखने का विचार किया है? अगर वह इतने पर भी सफल रहे हों तो फिर ३ हजार और ३० एकड़ को बदलने की बात समझ में नहीं आती है। पिछले साल हमारे सदस्यों ने ३० एकड़ और ३ हजार की बात का समर्थन किया था और जो अब सरकार ४,२०० करने जा रही है तो उसका समर्थन करते हैं। श्री जोरावर वर्मा का संशोधन आया है कि ३,६०० कर दिया जाय तो उसका भी समर्थन करते हैं। यह एक बात पर नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हिसाब से देखा जाय तो उसका मतलब यह है कि ३० एकड़ से ऊपर जिसके पास भूमि है उसके ऊपर यह कर लगेगा। अगर उसकी आमदनी जो पैदावार से होती हो। उसका हिसाब लगाया जाय तो एक एकड़ में ८ मन गेहूं पैदा होता है और ३० एकड़ भूमि में २४० मन गेहूं की पैदावार हुयी। तो आजकल बाजार में जो गेहूं की बिक्री है वह १२ रुपया ८ आना मन है। तो इस हिसाब से करीब करीब ३० एकड़ की पैदावार के हिसाब से ३ हजार ही आमदनी होती है। तो इसी हिसाब से कृषि आयकर मंत्री जी ने लगाया था। वह उसी बुनियाद पर लग गया और इसी बुनियाद पर हमारे विरोधी दल के नेता ने इस बात का समर्थन किया है और ३६,०० रुपये का विरोध किया है अगर ३० एकड़ की आमदनी ३ हजार नहीं होती है तो वह माननीय मंत्री जी बतलायें कि ४,२०० किस प्रकार होती है और किस प्रकार से वह ४,२०० कर रहे हैं। ३ हजार पर उनको वसूल करने में कुछ गड़बड़ी हुयी और वह इसमें असफल रहे तो सफाई दे सकते हैं नहीं तो उनको यह प्रस्ताव मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये जैसा कि हमारे माननीय नेता ने बतलाया कि तीन हल के जोत से अधिक जिसके पास हो उस पर यह कर लगना चाहिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का का एक उद्देश्य यह था कि जो बीच के कृषक हैं उनको कुछ सुविधा दी जाय। तो सरकार ने यह आवश्यकता समझी कि कृषकों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है और उनकी पैदावार का जो खर्चा है उसको देखते हुये तीन हजार के बजाय ४,२०० टैक्सेबिल आमदनी कर देना यह एक सरकार का उचित कदम था। लेकिन जो संशोधन हमारे मित्र श्री जोरावर वर्मा ने रखा है उसको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैं यह समझता था कि उन्होंने यह संशोधन उसी भूल से रखा है जिस प्रकार से उन्होंने दूसरा संशोधन मल्टीपिल का १२॥ के बजाय २० कर देने का रखा था और जिसके बारे में मेरी उनसे बातचीत भी हुयी थी, लेकिन अब मैं समझता हूं कि यह भूल नहीं थी, बल्कि उन्होंने जानबूझकर रखा है तो वहां पर आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन जब हम अपने समाजवादी भाई को यह कहते सुनते हैं कि टैक्सेशनबिल आदमी ४,२०० के बजाय ३६०० कर देना अच्छा है तो ताज्जुब होता है। पहले उनकी ओर से बराबर इस बात को दोहराया जाता था और कहा जाता था कि यह टैक्स जनता के ऊपर एक प्रहार है इसके ऊपर सत्याग्रह करना ठीक है। आज मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या ४,२०० से ३,६०० करना काश्तकार के बोझे को बढ़ाना नहीं है। मैं समझता हूं कि अधिक संख्या तो बीच के काश्तकारों की है। टैक्सेबिल इनकम का कम करना कृषक समाज का शोषण करना है। उसकी परिस्थिति को कमजोर करना है। आप इस बात की दुहाई देते हैं कि कृषकों के प्रतिनिधि बन कर यहां आये हैं और यह भी दोनों ओर से कहा जाता है कि हमारा भारतवर्ष

[श्री वीरेंद्रपति यादव]

का काश्तकार हमारे ग्रामों में निवास करता है। लेकिन आज दूसरे दल की ओर से इस संशोधन का समर्थन होता है कि टैक्सेबिल इनकम ४,२०० से ३,६०० कर दी जाय। यह हो सकता है कि वह राजनैतिक स्वयंसिद्धि की वजह से ऐसा करते हों, हालांकि जाती स्वार्थसिद्धि तो नहीं कही जा सकती। आज वह कहते हैं कि ४,२०० से ३,६०० टैक्सेबिल इनकम कर दी जाय। मैं समझता हूं कि ४,२०० की आमदनी पर ही टैक्स लेना उचित है और मैं मंत्री जी से यह आशा करूंगा जैसा कि मेरे साथी ने कहा, कि निकट भविष्य में यदि सम्भव हो तो ४,२०० से बढाकर ५,००० टैक्सेबिल इनकम कर दी जाय।

श्री चरणसिंह—मैं बहुत संक्षेप में ३,४ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि टैक्सेबिल लिमिट ३,००० या ४,२०० या दो हजार या कितनी भी सही, उसकी बाबत कोई एबसोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। कोई भी रकम रखी जाय, वह एक तरह से आरबिट्रेरी ही होगी। उसके हक और खिलाफ में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। हमने एक स्टैन्डर्ड रखने की कोशिश की है और वह यह है कि सन् ४८ में जब यह ऐक्ट बना था तो हमने टैक्सेबिल इनकम लिमिट वही रक्खी थी जो सेंटर की थी। यानी जो उस समय तीन हजार थी। अब वह ४,२०० है तो हमने भी ४,२०० कर दी है। पारसाल का मुझे ठीक याद नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के टैक्स की लाइन में लाना हमने उचित समझा। माननीय राजनारायण जी कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम सेंटर से बिलकुल टैग हो जावें? जो वहां चेंज हो वह यहां भी हो जाय। ऐसा हमारा इरादा नहीं है वर्ना तो हम लिख देते कि जो सेंटर में हो। जैसे भाव तेज हों टैक्सेबिल लिमिट बढ जाय और अगर भाव कम हो तो वह घट जाय। ४,२०० से ३५० रुपये महीना आता है। राजा साहब बालेन्दुशाह जी ने कहा कि ३५० पर और भी खर्चे होते हैं। अगर उनका ख्याल यह था कि ग्रास इनकम है तो यह ठीक नहीं है, यह नेट इनकम एक तरीके से है। टैक्सेबिल इनकम तो नेट इनकम होती है। जो टैक्सेबिल इनकम है वह साढे तीन सौ से ऊपर ही है। साढे तीन सौ तक के इनकम को हम एक्जेम्प्ट करते हैं। साढे तीन सौ रुपये हमारे देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये मिडिल क्लास के लिये बड़ा अच्छा इनकम है, बड़ा अच्छा स्टैन्डर्ड है।

दूसरी बात जो मुझे मालूम हुई, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। श्री जोरावर वर्मा साहब ने यह कहा कि यह तो ताल्लुकेदारों के मशविरे के ऊपर शायद बनाया गया है। ताल्लुकेदार किसको कहते हैं इसके ऊपर मेरी और उनकी समझ में फर्क है। ताल्लुकेदार और जमींदार तो अब तक जिसको हम समझते रहे हैं वह मध्यवर्ती को समझते रहे हैं, जो खेती खुद नहीं करता है। आज यहां कोई ताल्लुकेदार नहीं है। ताल्लुकेदार के खिलाफ हम पहले थे और जमींदार को गाली देते रहे मगर भूल नहीं पाये हैं इन अल्फाज को तो इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। आज न कोई ताल्लुकेदार है, न कोई जमींदार है। सब किसान हैं, छोटे और बड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी परसों जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था कि सन् १३५२ फसली के आंकड़े के अनुसार १ लाख १४ हजार आदमी २५ एकड़ से ऊपर वाले थे जिनमें ८२ हजार तो काश्तकार ही थे और जमींदार सिर्फ ३२ हजार ही थे। तो अब तक वही अनुपात है जो पुराने काश्तकारों और पुराने जमींदारों का रहा है। आज न कोई काश्तकार है न कोई जमींदार है बल्कि आज सब किसान हैं, छोटे और बड़े। यह जो हमारा बिल है यह हिफाजत करता है छोटे किसानों की। लेकिन जो बड़े किसान है ख्वाह वे पहले काश्तकार रहे हों चाहे जमींदार रहे हों, बेशक उनको टैक्स देना चाहिये और उनकी जिम्मेदारी है कि वे टैक्स दें और खासतौर से जितनी ज्यादा जमीन उनके पास है उनके ऊपर टैक्स दें क्योंकि जमीन नेशनल एसेट है तो कंट्रिब्यूट करने की लायबलिटी हर एक पर होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरी बदकिस्मती है कि मैं विरोधी दल के माननीय नेता की तकरीर के समय यहां मौजूद नहीं था। मुझे कौंसिल में जाना पड़ा था लेकिन मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने यह कहा कि टैक्सेशन मेजर्स में कोई

मेजर चेंज नहीं होता है। उन्होंने कहा कि टैक्सेशन की पालिसी फिक्स्ड होनी चाहिये। फ्रिक्वेंट चेंज होना चाहिये कुछ दिनों के लिये, क्या यह सही है कि नहीं ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे दूं। मैंने जो कुछ कहा उसका तात्पर्य यह है कि इस सरकार की टैक्सेशन की कोई नीति नहीं है। "देयर मस्ट बि पैरिटि बिट्वीन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऐंड इंडस्ट्रिअल प्रोड्यूस" यानी खेती से जो चीज उत्पन्न होती है और इन्डस्ट्रीज से जो चीज उत्पन्न होती है उसमें सन्तुलन होना चाहिये। अभी उसका भाष्य में बाद में करूंगा। अगर इसमें कोई रिश्ता नहीं दिखलाई देता है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में और गवर्नमेंट की टैक्सेशन पालिसी में जहां कि एक एग्रीकल्चरल इनकम है और दूसरा अनएग्रीकल्चरल इनकम है तो मेरी बुद्धि का कसूर है कि उनको समझा नहीं पाया हूं। सेंटर का इनकम टैक्स अनएग्रीकल्चरल होता है जब कि यहां का एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स होता है, लेकिन रिश्ता दोनों का बराबर होता है। हो सकता है कि और माननीय सदस्यों ने सुनने में गलती की हो, लेकिन जो उन्होंने मुझसे कहा वह यही कि माननीय राजनारायण जी ने टीका की कि पिछले साल कुछ आया, इस साल कुछ और आया, इस तरह से नहीं करना चाहिये। मैं उनकी इत्तिला के लिये यह बतला देना चाहता हूं कि टैक्सेशन मेजर्स में हर साल चेंज होता है। आप किसी भी देश को, किसी भी मुल्क को देख लीजिये, हर जगह टैक्सेशन मेजर्स हर साल बदलता है। मसलन बिहार का एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऐक्ट है, उसमें लिखा है, मैं आपकी इजाजत से पढ़ देता हूं :--

"Agricultural income-tax shall be payable by a person whose total agricultural income of the previous year exceeds Rs. 3,600, at such rates or grades as may be laid down from year to year by an annual Bihar Finance Act.,

श्री चरणसिंह--वह हर साल बदलेगा, उसमें साफ लिखा है। सेंट्रल इनकम टैक्स में भी वह हर साल कुछ न कुछ तब्दीली करते हैं। कभी लिमिट ३,००० की होती है कभी ३,६०० की होती है, कभी ५ हजार की होती है। मैनुअल के सेक्शन ३ में दिया हुआ है कि--

"Where any act of the central Legislature enacts that income tax shall be charged for any years at any rate or rates, tax at that rate or those rates shall be charged for that year in accordance with and subject to the provisions of this act."

वहां पर वह हर साल एनेक्ट होता है और हर साल उसके मेजर्स बदले जाते हैं। मैं यहां के विरोधी दल के बारे में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना कहे बिना न चूकूंगा कि विरोधी दल के नेता या माननीय सदस्यों को अगर यह कहा जाय कि वह अगर पावर में होते तो क्या करते तब तो उनकी बातों पर ध्यान अधिक दिया जाय, लेकिन अगर अपोजीशन अपोजीशन की ही खातिर किया जाय तो यह तो उनके ही हित में नहीं है गवर्नमेंट के हित में चाहे हो या न हो, क्योंकि इस तरह से उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता और समझा जाता है कि यह अपोजीशन केवल अपोजीशन की खातिर है। अगर किसी ने टैक्सेशन के बारे में जरा भी स्टडी किया है तो यह एक मोटी सी बात है कि पब्लिक की माली हालत को देखते हुये टैक्सेशन मेजर्स हमेशा बदलते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात अन्त में और कहना चाहता हूं और वह यह है कि बुद्धि वगैरह की कुछ बात कही गई। तो बुद्धि का ठेका किसी का दुनिया में नहीं है। बिना वजह यह कहना कि सरकार के पास बुद्धि की कमी है, इससे कोई यहां के एटमासफियर को अच्छा बनाने में सहयोग नहीं मिलता बल्कि वह तो उनकी बुद्धि पर ही दलालत करता है।

चौथी बात यह है कि मेरे माननीय मित्र जो टेहरी-गढ़वाल को रिप्रिजेंट करते हैं, उन्होंने कहा था कि क्या ही अच्छा होता कि अगर सरकार जिस साल की आमदनी हो उस साल का टैक्स

[श्री चरणसिंह]

उसी साल लगा लिया करे। इतना तो मैं भी इससे सहमत हूं कि अगर ऐसा हो सके तो अच्छा है लेकिन मुश्किल इसमें यह है कि टैक्स के लिये जो असेसमेंट होता है वह ज्यादातर जुलाई के महीने में होता है, तो इस तरह से मुमकिन यही है कि पिछले साल की आमदनी पर ही वह लगाया जा सकता है। सेंट्रल इन्कम टैक्स भी पिछले साल के ऊपर ही लगता है। अगर कोई ऐसी तरकीब निकल आये कि जिस साल की आमदनी हो उसी साल उस पर टैक्स लग सके तो अच्छा है लेकिन यह ना मुमकिन है। इसलिये इसमें यह कठिनाई है लेकिन अगर वह कोई तरकीब बता सके तो मैं उनके विचार को स्वीकार कर सकता हूं। इन शब्दों के साथ मैं सब संशोधनों का विरोध करता हूं और आशा करता हूं वे इसको वापस ले लेंगे। मैं उन से ऐसी आशा नहीं करता।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे संशोधन पर कई लोगों ने भाग लिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें कहीं जो कि इससे संबंधित नहीं हैं जैसे हमारे मित्र अवधेशप्रताप सिंह जी ने कहा कि श्री जोरावर वर्मा का यह संशोधन सरकार को प्रोत्साहित करता है कि जमींदारों को हलाल किया जाय। इसमें ऐसी कोई भावना नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर यह संशोधन न रखा जाता तो ये विचार प्रकट न होते। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमारा कहना मानती तो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट ही पास न होता। उनकी समझ से भले ही जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के पास होने से उन को भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और मेरा जहां तक विचार है उस ऐक्ट से यहां की गरीब जनता पर और विशेषतः लैंडलेस लेबरर (भूमिहीन मजदूर) पर इसका कोई अधिक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे किसी और ऐक्ट के बनने से भले ही अच्छा प्रभाव पड़ जाय लेकिन गवर्मनेंट ने जमींदारी अबालीशन ऐक्ट और अधिक अन्न उपजाओ के बहाने जमींदारों से परती जमीन तुड़वा कर क्या किया और बाद में २१ मई सन् ५२ में ठप्पा भी लगा दिया कि वह पट्टे सब जायज हैं। यद्यपि एक आदेश के अनुसार संभवतः सन् १९४७ में यह बात निश्चित कर दी गई थी कि अब जो पट्टे होंगे सन् १९४७ के बाद वे सब नाजायज होंगे। तो यह कहना कि सरकार के ऊपर उनका कोई असर नहीं है गलत है। मैं फिर यह कहता हूं कि जहां तक होता है गवर्नमेंट का रवैया यही रहा है कि जो बड़े-बड़े काश्तकार कहिए या भूतपूर्व जमींदार कहिये या सत्ताधारी कहिये या जिनके हाथ में शक्ति है, जो प्रभावशाली हैं, उनकी ही मनोवृत्तियों का वह परिचय देती है और उनकी ही सुखसुविधा के लिये प्रयत्नशील है। आज तक सरकार ने, मुझे दो सवा दो साल देखते हुये हो गया, जितने भी कानून बनाये उनमें किसी में यह प्रदर्शित नहीं होता कि गरीब जनता का एक पाई भी लाभ हुआ हो। अगर भूतपूर्व जमींदार लोग इस तरह की बात न कहें तो भला सरकार फिर इस प्रकार के कानून उनके फायदे के कानून क्यों बनावे। इसके साथ ही साथ माननीय राजनारायण जी ने कहा कि यह समझ में उनकी नहीं आया कि मैंने क्यों ४२ सौ के स्थान पर ३ हजार न रख कर ३६ सौ क्यों रख दिया है। पहले ३ हजार था और अब जो प्रस्ताव है वह ४२ सौ का है मैंने तो सिर्फ एक मध्यम मार्ग अपनाया है कि अगर बीच का मार्ग अपना लिया जाय तो बहुत अच्छा हो।

सबसे अधिक आश्चर्य मुझे माननीय शिवनारायण जी के भाषण को सुनकर हुआ। वे इस समय हैं नहीं, नहीं तो मैं उनको बड़ा उचित जवाब देता। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिशोधन की भावना प्रकट होती है। पता नहीं, इस समय किसी सत्ताधारी ने उनका गला दबा दिया, वरना उन्होने तो कितनी ही बार यहां कठिन शब्दों में अपने भाव प्रकट किये हैं और ऐसी ऐसी बातें भूतपूर्व जमींदारों और बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ कही हैं जिनसे और भी अधिक प्रतिशोधन की भावना प्रकट होती है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि ४२ सौ की लिमिट इंकम टैक्स की लिमिट के अनुसार रखी गई है। जहां तक मुझे जानकारी है संभवतः इस कानून का यह संशोधन गतवर्ष किया गया था। अगर सरकार को सचमुच इसी ऐक्ट के अनुसार चलना था तो सरकार

को गत वर्ष ही संशोधन लाना चाहिये था। अगर मेरा यह प्रस्ताव न होता तो लोग यही समझते कि यह एक यों ही संशोधन हो गया है और सरकार जैसा समझती है वैसा करती रहती है और उसको आम जनता का ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वीरेंद्रपति जी यादव ने कहा कि यह जो ४२ सौ वाली इनकम है वह बीच के काश्तकारों की इनकम को देखते हुये ही रखी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि किसी भी गांव में कहीं भी जाइये मुश्किल से पांच काश्तकार ऐसे होंगे जिनकी आमदनी ४२ सौ से अधिक हो। अधिकतर किसानों की आमदनी ३ हजार से नीचे ही है। जब यह परिस्थिति है तो मैं नहीं समझता कि माननीय यादव जी किस प्रकार इस बात का दावा करते हैं कि बीच के काश्तकारों ली सुविधा के लिये यह संशोधन लाया गया है। हो सकता है कि उनके पास या उनके और लोगों के पास इतनी जमीन हो और ऐसी बात उन लोगों के सुख-सुविधा के लिये की जा रही हो।

श्री अध्यक्ष--आप वापस लीजिये। आपने प्रत्यक्ष रूप से उनकी नीयत पर हमला शुरू कर दिया है। आप इन शब्दों को वापस लीजिये।

श्री जोरावर वर्मा--जो बातें उनसे व्यक्तिगत संबंध रखती हैं मैं उनको वापस लेता हूं। माननीय बालेन्दुशाह जी ने, मेरी समझ में नहीं आया, क्या कहा? उन्होंने ३० एकड़ वाली बात कही है और उससे इस ४२ सौ या ३६ सौ या ३ हजार वाली बात पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने अपनी पार्टीबन्दी का प्रदर्शन किया है। जो मैं समझता हूं कि इस सदन के सामने उपस्थित करना अच्छा नहीं। इन शब्दोंके साथ मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--(श्री चरणसिंह से) आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री चरणसिंह--मैं सिर्फ पांच मिनट लेना चाहता हूं।

श्रीमन्, मेरे माननीय दोस्त ने यह कहा कि इस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई काम नहीं किया। इस सरकार को सदन में आये हुये दो-ढाई साल हो गये, लेकिन इसने गरीबों के फायदे के लिये कोई काम नहीं किया। काम तो गवर्नमेंट ने बहुत किये हैं, लेकिन उनको ऐसा मालूम होता है कि शायद सब के सब गरीबों को दबाने के लिये और बड़े आदमियों के फायदे के लिये किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात उनसे कह देना चाहता हूं कि जहां एडल्ट फ्रेन्चाइज है वहां कोई गवर्नमेंट जो आम मासेज की है, कभी उनका अहित नहीं करना चाहेगी, मासेज के खातिर न सही अपने खेतिहर ही सही और हर गवर्नमेंट चाहती है कि अपने को बरकरार रखे। तो यह जो कहा गया है कि यह गरीब लोगों के फायदे के लिये नहीं है गलत है, लेकिन यहां जो एक्जेम्पशन लिमिट की बात कही गई कि बजाय ४,२०० के ३,६०० होना चाहिये, तो इसमें हम जिस आमदनी पर टैक्स था उसको बढ़ा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे इससे गरीबों का नुकसान होगा और सरकार की बड़े आदमियों से दोस्ती बढ़ेगी? अध्यक्ष महोदय, हर आदमी के पास जबान है और यहां हर बात कहने का हक है। सदस्य पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन यहां तो कहने पर कोई लगाम ही नहीं है चाहे जो कुछ बात कह दें। साफ और सरियत बात है कि हम बड़े आदमियों पर टैक्स बढा रहे हैं फिर भी यह कहा जाता है कि हम उनके फायदे का यह काम कर रहे हैं। मिड पेजेन्ट्री पर कोई टैक्स न आने पाये इसीलिये इसकी लिमिट बढाई गई है लेकिन इसे भी शोषण कहा जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरह से तो शोषण की कोई सीमा ही नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे देशों में मालगुजारी नहीं होती केवल एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स होता है लेकिन हमारे यहां जो दो बीघा जमीन जोतने वाला है वह भी लैंड रैवेन्यू दे रहा है। हम तो यहां जो ज्यादा कमा रहा है उससे कुछ और ज्यादा ले रहे हैं। इनसे कोई दोस्ती नहीं दीखती। अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (क) की दूसरी पंक्ति में संख्या "४,२००" के स्थान पर संख्या "३,६००" रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री, हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन को पेश करना चाहता हूं—

खंड ३ के उपखंड (ख) में संख्या "३०" के स्थान पर संख्या "५०" रख दी जाय।

इसमें मुझे यह निवेदन करना है कि जब सरकार ने रकम बजाय ३,००० के ४,२०० कर दी है तो कोई वजह समझ में नहीं आती कि रकबा ३० एकड़ के बजाय ५० एकड़ न कर दिया जाय। जहां तक मुझे याद है, माननीय मंत्री महोदय जी ने खुद ही इस बात को फरमाया है कि ४२०० की रकम करीब ५८ एकड़ के रकबे पर आती है। तो ऐसी सूरत में क्या जरूरत रह जाती है कि बजाय ५० एकड़ के ३० एकड़ ही लिखी रह जाय। मेरी समझ में तो यह बिलकुल एक ऐसी चीज है जिसका या तो मंत्री महोदय संशोधन करना भूल गये या जानबूझ कर ऐसी छोड़ दी है। तो यह बिलकुल गलत है और इस चीज को साफ करने के लिये निहायत जरूरी है कि यहां पर कम से ५० एकड़ रखें ताकि लोगों को भ्रम न रह जाय कि इसके क्या माने निकलते हैं जबकि ४,२०० रकम बढ़ा दी है और शरह भी वही रखी गई है और रकबा नहीं बढ़ाया गया। तो समझ में नहीं आता कि इसके माने क्या हो सकते हैं। ऐसी सूरत में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि अगर भूल से यह शब्द रह गये हो तो संशोधन कर लें।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह गलती से नहीं रह गया कि ५० एकड़ नहीं लिखा यह बात नहीं है।, जान बूझ कर यह बात रखी गयी कि औसतन ५८ एकड़ पर की होल्डिंग पर टैक्स नहीं लगेगा। यह मैंने कहा था और अब भी कहता हूं। लेकिन अगर औसत होल्डिंग हो तथा औसत किस्म की जमीन हो, जो सारे सूबे की औसत है, लेकिन यह मैंने कहीं नहीं कहा था कि ५८ एकड़ से नीचे नहीं लगता। ५७ एकड़ पर लग सकता है, ४४ एकड़ पर लग सकता है, ३६ एकड़ पर लग सकता है। लेकिन औसत किस्म की अगर होल्डिंग है तो ५८ एकड़ से कम पर नहीं लगेगा। औसत से बेहतर है तो ५८ एकड़ से कम पर लग जायगा। औसत से बदतर है तो ५८ एकड़ से ज्यादा पर लगेगा। आपके पड़ोस में जो राजा साहब बैठे हैं इनके इलाके में १००, ११५, १२० एकड़ की होल्डिंग टैक्सेबिल होंगी। लेकिन पश्चिमी जिलों में ५८ एकड़ से नीचे के करीब-करीब ९० फीसदी होल्डिंग टैक्सेबिल हो जायेगी। तो इसलिये उसमें ५० यों नहीं रखा। हां, ३० की लिमिट इसलिये रखी कि एक साइकोलोजीकल दृष्टि से ३० एकड़ से ज्यादा बड़ा रकबा बड़ी होल्डिंग में शुमार है। तो इसलिये हमने कहा कि ३० एकड़ पर तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ३० एकड़ से नीचे की होल्डिंग्स केवल उन इलाकों में टैक्सेबिल हो जायंगी जहाँ १२, १३ या ११ रुपया सरकिल रेट हो। मसलन मेरठ जिले में साढ़े नौ रुपया औसत है सरकिल रेट का, जब कि बुन्देलखंड में ३।, तो साढ़े नौ की औसत होल्डिंग वैसे भी टैक्स में नहीं आती। लेकिन कुछ इलाके हो सकते हैं और बहुत थोड़े होंगे। मैं समझता हूं जौनपुर, मिर्जापुर और बनारस का जो इलाका मिला है वहां का सरकिल रेट काफी ऊंचा है। तो ऐसी प्रौक्टिस हो सकती है जहां का १२ रुपया फी एकड़ सरकिल रेट हो तो वहां पर २८–२९ एकड़ की भी जमीन टैक्सेबिल हो जायगी। ३० एकड़ की बात आ जाती है। ३० एकड़ तो साइकोलोजीकल अफेक्ट की वजह से रखा है। १००–२०० होल्डिंग्स भले ही अफेक्ट हों बाकी होल्डिंग्स के एरिया से इसका कोई वास्ता नहीं है। एरिया भले ही कम हो या ज्यादा हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर उसकी आमदनी ४,२०० रुपये से ज्यादा हो जाती है तो वह जमीन टैक्सेबिल हो जायगी और आमदनी यदि ४,२०० से कम होती और रकबा ज्यादा तब भी वह टैक्सेबिल नहीं होगी। हम तो आमदनी को टैक्स कर रहे हैं। जमीन को टैक्स कहां कर रहे हैं। सेंट्रल इन्कम टैक्स में भी आमदनी देखी जाती है। यह नहीं कि किसी के पास एक फैक्ट्री है या किसी के पास दो या तीन फैक्ट्रीज हैं बल्कि आमदनी देखी जाती है। ३० एकड़ तो सिर्फ इसी ख्याल से है कि इसको बड़ा नहीं समझते हैं, इसलिये रखा है। पहले मैं नहीं रख रहा था। बाकी इसका एरिया से कोई कनेक्शन नहीं है। सरकिल रेट को मल्टीपिल से गुणा करके आमदनी निकाली जाय और देखा जाय कि टैक्सेबिल है या नहीं। मैं समझता हूं कि श्री उम्मेद सिंह जी इस पर पुनः विचार करेंगे और मुझसे सहमत हो जायेंगे। मैं चाहता था कि आज यह बिल पास हो जाय। इसलिये वह ज्यादा झंझट नहीं करेंगे और इसको वापस ले लेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स विधेयक के संबंध में बड़ी-बड़ी बातें हो गई हैं और जो तीसरा खंड है उसके (क) और (ख) दोनों एक दूसरे से संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष—उसके बारे में तो फैसला हो चुका है।

श्री राजनारायण—किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय नहीं होगा जो ३० एकड़ से अधिक भूमि पर खेती नहीं करता है। भाषा स्पष्ट है श्रीमन्, कि ३० एकड़ से अधिक जो खेती करे उसी पर यह कर देय होगा। मगर अब राजस्व मंत्री जी इसको भाष्य करते हैं और कहते हैं कि हिसाब-किताब लगाकर रकबा कम भी होगा और उत्पादक शक्ति ज्यादा होगी तो उस पर लग जायगा। राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि विरोधी दल की तरफ से अगर कोई ऐसा सुझाव प्रस्तुत किया जाय जो उनकी दृष्टि में निर्दोष हो तो उसको वह मानेंगे मगर उनको तो हमेशा ऐसा लगता है कि विरोधी पार्टी की ओर से महज विरोध के लिये विरोध होता है।

मैं श्रीमन्, निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं और वह दिन देखना चाहता हूं कि जिस दिन माननीय राजस्व मंत्री जी अपने दिमाग से ऐसी बात निकाल देंगे, ऐसी धारणा निकाल देंगे, मैं उस दिन के लिये लालायित हूं। अब हमें यह देखना है कि वह दिन हमें देखना पड़ेगा या नहीं। श्रीमन्, इसी संशोधक विधेयक पर बोलते हुये अभी-अभी इससे पहले राजस्व मंत्री जी ने कहा कि कर लगाने का सिद्धांत फिक्स नहीं होता है और हमारे ऊपर यह आक्षेप किया था कि विरोधी पार्टी की ओर से यह कहा जाता है हर समय कर लगाने में परिवर्तन क्यों होते रहते हैं। मैं आपके जरिये निहायत अदब के साथ उनसे कह दूं कि विरोधी पार्टी का ऐसा ख्याल नहीं है। असेम्बली में जो विरोधी दल है वह जो कहता है उसे माननीय राजस्व मंत्री ध्यान से सुन लें कि कर के भाव में परिवर्तन होते रहे हैं। हों, ठीक है, मगर किस हिसाब से परिवर्तन होते हैं, उसका कोई न कोई प्रिंसिपिल, होता है, कोई न कोई आधार होता है और उसी प्रिंसिपिल को, आधार को, सिद्धांत को आज मैं वर्तमान सरकार में नहीं देख पाता। मैंने कभी नहीं कहा और न हमारी विरोधी पार्टी का ऐसा ख्याल है. . . .

श्री चरण सिंह—क्या यह जरूरी ही है कि हर बात का जवाब दिया जाय। आप कुछ कह लें हम उसका जवाब नहीं देते और अगर ऐसे ही जवाब देते रहें तो सुबह से शाम हो जाय।

श्री राजनारायण—आप न दीजिये जवाब। आपको भी समय मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—इसका पूर्व इतिहास क्या है, यह मैं जानता नहीं हूं। माननीय सदस्य से, यह प्रार्थना करूंगा कि जो संशोधन सदन के सामने है, उसी पर बोलें।

श्री राजनारायण—उसी पर आ रहा हूं। मगर संशोधन क्यों रख रहे हैं, इसको तो स्पष्ट करना ही पड़ेगा और सदन की परिपाटी रही है कि जो विवाद होते हैं उनको दृष्टि में रखते हुये जो विषय होता है उस पर प्रकाश डाला जाता है।

[श्री राजनारायण]

तो मैं यह कहा रहा हूं कि यह ३० एकड़ की परिधि क्यों रखी गयी ? इसकी परिधि को ५० एकड़ तक बढ़ाने की मांग क्यों की गयी और आगे के संशोधनों में आप देखेंगे कि ५० एकड़ की जगह २० एकड़ रखने का भी सुझाव आया हुआ है, यह क्यों ? इसका कोई न कोई तर्क है सब का, कोई न कोई सिद्धांत है सब का ? कहा गया था सरकारी पक्ष की ओर से कि ३० एकड़ और ४,२०० रुपये का तारतम्य है । यों बताया गया, श्रीमन्, कि ३० एकड़ में जो प्रोड्यूस (उत्पादन) होगा उसकी कीमत करीब-करीब ४,२०० रुपये होती है, यह यहीं इसी सदन में कहा गया ।

श्री चरणसिंह--मैंने नहीं कहा ।

श्री राजनारायण--अच्छा है, आपने नहीं कहा । ३० एकड़ की प्रोड्यूस, अगर सही तरीके से हिसाब लगाकर देखा जाय तो आज ३,००० रुपये से ज्यादा नहीं होगी । ये सरकारी आंकड़े हैं, श्रीमन्, सरकार की ओर से जो हमारे पास आंकड़े प्राप्त हैं उनके अनुसार एक एकड़ में ८ मन की पैदावार मानी गयी गेहूं की और अगर ३० एकड़ की पैदावार २४० मन हुई तो साढ़े बारह रूपये मन के हिसाब से उसकी कीमत ३,००० रुपये हो जाती है ।

श्री चरणसिंह--तो क्या सारे में गेहूं ही गेहूं बोयेगा वह ?

श्री राजनारायण--आप जरा शांति से सुनिये । अब हमारे ऊपर यह लांछन लगाया जाता है कि ३० एकड़ तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग चिल्लाते थे, इसलिये "साइकोलाजिकल एफेक्ट" (मानसिक प्रभाव)--यह वर्ड (शब्द) माननीय राजस्व मंत्री ने प्रयोग किया--को मारने के लिये ३० एकड़ रख दिया गया, वह चाहते नहीं थे । वह "साइकालाजिकल एफेक्ट" क्या है श्रीमन्, उसका रहस्योद्घाटन होना चाहिये, उसे बहुत गोपनीय नहीं होना चाहिये, जिससे मूल पर, तत्व पर, पहुंचने में बाधा हो । तो मैं चाहता हूं कि जो मनोवैज्ञानिक या मानसिक प्रतिक्रिया है, साईकालाजी है, उसके संबंध में थोड़े, में आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री की खिदमत में निवेदन कर दूं । वह यह है कि श्रीमन्, कि अभी अभी माननीय राजस्व मंत्री ने चर्चा की कि सोशलिस्ट पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं, नहर के बढाये हुये रेट को तो यह कहते हैं कि अनजस्टिफाइड है ।

श्री चरण सिंह--मैंने नहीं कहा ।

श्री राजनारायण--तो आपकी ओर से कहा गया । अब मान लीजिये । इस तरह रंज होने से कोई फायदा नहीं होगा । मैं तो राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि उनकी बात हमने बहुत धीरज के साथ सुनी, अब वह भी सुनें । तो हमारे ऊपर यह लांछन लगता है कि नहर के बढ़ाये हुये रेट के विरोध में आन्दोलन करते हैं और जब यहां किसानों को सहूलियत दी जाती है तीन हजार से बढ़ाकर ४,२०० किया जाता है और ३० एकड़ का तारतम्य मिलाया जाता है, तो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य विरोध करते हैं । सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं । ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है । इसके बारे में बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन कर दूं । तीस एकड़ के ऊपर जो जोत है वह कितनी है ? यह माननीय राजस्व मंत्री जी बता दें, माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी बता दें । आधी फीसदी भी नहीं होगी । ७३ फीसदी दो एकड़ के नीचे, ८० फीसदी ६ एकड़ के नीचे, ९५ फीसदी तक किसान दस एकड़ के नीचे हैं । क्या यह तीन हजार से ४,२०० बढ़ा कर तीस एकड़ का तारतम्य मिला कर माननीय राजस्व मंत्री किसानों को राहत पहुंचा रहे हैं ? राहत देने की बात कही गयी और बुद्धि विभ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश की गयी । उसके संबंध में मुझे निवेदन करना है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है । हमने नहर के बढ़ाये हुये रेट का विरोध किया । हमारा वह विरोध जायज था । क्या सरकार यह हिम्मत करती है कि चूंकि सरकार ने नहर का रेट बढा दिया इसलिये एक तरफ बढाया तो दूसरी तरफ सरकार कुछ कम कर रही है ? अगर वह

साफ-साफ यही कह दें तो हम उनकी दलील में कुछ वजन समझेंगे। यद्यपि वह वजन शून्य है, क्योंकि ३० एकड़ के ऊपर जो किसान हैं वह किसान नहीं के बराबर हैं। राजस्व मंत्री कहते रहते हैं और जब जब जमींदार और ताल्लुकेदार का शब्द कहीं से निकल आता है तो उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जमींदार कोई है नहीं, ताल्लुकेदार तो कोई है नहीं। माना, संज्ञा में कोई जमींदार नहीं है, कहते हैं कि सब किसान हैं। किसान शब्द भी बड़ा भ्रामक है। आप भी जानते हैं कि वह जमींदार जो कि बहुत ही छोटे थे, एक पाई के, दस रुपये के, पचास रुपये के, २०० रुपये के, उसको जमींदार नहीं माना जाता था और देहातों में वह किसान जिसके पास जमींदारी नहीं थी, लेकिन उसके पास हजारों, लाखों, अरबों की सम्पत्ति रहती है वह जमींदार की संज्ञा से संबद्ध होता रहा है। इसलिये केवल यह कह देने से कि जमींदार नहीं है, ताल्लुकेदार नहीं है, संज्ञा उनके नाम में नहीं रही, जमींदारी अबालिश (जमींदारी टूटने) होने से, लेकिन इससे वस्तु-स्थिति पर प्रकाश नहीं पड़ता। हमारे सामने जो विवादास्पद प्रश्न है वह यह है कि हम तीस एकड़ की छूट क्यों दे रहे हैं। तीस एकड़ से ऊपर वालों पर ही टैक्स क्यों लगा रहे हैं और तीस एकड़ के ऊपर वालों के लिए यह आमदनी में तीन हजार की जगह ४,२०० क्यों कर रहे हैं, इस बात पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा।

श्री चरणसिंह--मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि संशोधन यह है कि तीस एकड़ के बजाय पचास एकड़ होना चाहिए। उसको सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, उसकी बाबत एक शब्द नहीं कहा।

श्री राजनारायण--मुंह हमारा, जीभ हमारी।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो सब ठीक है। लेकिन प्रश्न तो केवल ३० एकड़ और ५० एकड़ का है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं अपनी ओर से पूरा-पूरा आश्वासन देता हूं कि चाहे राजस्व मंत्री कितना ही गरम होकर खड़े हो जायं, लेकिन हमारी ओर से, बिल्कुल निश्चिन्त रहिये, हमारी ओर से कभी गरमी नहीं पायेंगे।

क्यों तीस एकड़ हुआ, क्यों पचास एकड़ हुआ ? क्यों बीस एकड़ हुआ ?

एक सदस्य--आप तो तीस एकड़ के पक्ष में बोल रहे हैं ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने एक संशोधन अभी-अभी जब कि नान आफिशल डे, शुक्रवार को था उस दिन रखा था कि जो किसान एक हल बैल से बिना दूसरे की श्रम शक्ति का अपने लिए इस्तेमाल किये हुए, बिना मशीन की सहायता के, जितनी खेती कर सके, उसके तीन गुने से ज्यादा खेत किसी के पास न रहे। इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्य उस वक्त उपस्थित थे। मुझे आश्चर्य होता है कि आज उनके मस्तिष्क में कुछ भ्रम है हमारे सिद्धान्त के बारे में। सिद्धान्त साफ है कि एक किसान एक हल बैल से जितनी खेती करेगा अगर तीन गुना ३० एकड़ से ज्यादा होता है तो उसको माना जायगा, उसी तीन गुने को मानेंगे चाहे २० एकड़ आये या १६ एकड़। किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--माननीय सदस्य ने पहले कितने ही संशोधन पेश किये हों, उन पर हमें इस समय विचार नहीं करना है। इस समय यही विचार करना है कि ३० एकड़ हो या ५० एकड़।

श्री राजनारायण--मेरा कहना यह है कि जो २० एकड़ का संशोधन रक्खे हुए हैं उनका वह संशोधन भी इससे कवर (पूरा) हो जायगा। हमने जो प्रिन्सिपल (सिद्धान्त) तय किया है उसके डिटेल्स (ब्योरे) तय करना सरकार का काम है या हमारी सरकार

[श्री राजनारायण]

बनेगी तो हम करेंगे। हमने तो एक आधारभूत सिद्धान्त को प्रतिपादित कर दिया है। माननीय मंत्री जी खुद कितनी कांट्रेडिक्टरी (परस्पर विरोधी) तर्क रख रहे हैं। एक तरफ तो वह कहते हैं कि ३० एकड़ की सीमा कोई सीमा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तीस एकड़ क्यों रखा गया। दो मुंह से सरकार को कोई बात न कहनी चाहिये। राजस्व मंत्री यह कहें कि तीस एकड़ से कम की जमीन के ऊपर अगर आमदनी ज्यादा होगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो फिर ३० एकड़ क्या माना जाता है। इस सिलसिले में सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष प्रकाश डाला जाय, क्योंकि यह अनावश्यक क्लाज है। राजस्व मंत्री के कथनानुसार ही यह अनावश्यक क्लाज है और इस अनावश्यक क्लाज की वजह से मजबूर होकर सरकार को फिर अगले साल एक संशोधन लाना होगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संशोधन के अन्दर ही महदूद रहना चाहिये। प्रस्ताव यह है कि तीस एकड़ होना चाहिए या ५० एकड़ होना चाहिये, इस पर अगर माननीय सदस्य बोलें तो बात समझ में आ सकती है। उनकी तकरीर से यही समझ में नहीं आया कि वह ३० के पक्ष में हैं या ५० के पक्ष में।

श्री राजनारायण--मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, यद्यपि टु दी प्वाइंट कह रहा हूं, लेकिन मौर्य जी, चरण सिंह जी की तरफ से जो बात कह रहे हैं उसके बाद उनकी भी स्पीच बन्द हो जायगी। जो सूरत वह मेरे ऊपर लगा रहे हैं उस पर वह स्वयं चल नहीं सकते जो वह दूसरे के लिये लागू कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनका यही सिद्धान्त है मीठा मीठा हप्प और कड़ुवा कड़ुवा थू। मंत्री जी ने न मालूम कितनी असंगत और अनर्गल बातें कीं, उनको तो इसका अधिकार था लेकिन जब हम कोई तर्कसंगत बात कहें, अपने पक्ष की बातों पर अच्छी तरह से प्रकाश डालें तो बीच में खड़े होकर अनाप-शनाप बकने लगें, यह कहां तक उचित है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य --आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनाप शनाप बकते हैं,' यह किसी माननीय सदस्य के लिये ऐसा कहना शोभनीय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं इसे स्वीकार करेंगे।

श्री राजनारायण--द्वारका प्रसाद जी को 'अनाप शनाप' शब्द से कष्ट है तो मैं उनको कष्ट नहीं देना चाहता। वह कहें तो हजार बार वापस ले लूं।

श्री चरण सिंह--मैं यह पूछना चाहता हूं कि "अनाप-शनाप बकते हैं" क्या यह पार्लियामेंटरी है, मौर्य जी का यही प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष--यह पार्लियामेंटरी नहीं है। माननीय सदस्य को इसे वापस ले लेना चाहिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, उनकी बात जल्दी समझ में नहीं आती। मैं तो हजार बार वापस लेने को तैयार हूं अगर उनको कष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष--आप वापस लेते हैं या नहीं?

श्री राजनारायण--मैं आपसे कह दूं कि मैं आपकी रूलिंग के साथ नहीं हूं कि "अनाप शनाप" शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं। मगर आप की बात मान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--कभी ऐसा होता है कि दोनों दलों का ऐसा ख्याल होता है कि कोई दूसरा विचार यहां पर सदन में प्रकट किया जा रहा है। यहां पर तो ऐसी बातें कहनी चाहिये जिनसे आपस में समझौते का वातावरण पैदा हो जाय। अगर यहां पर ऐसे भाषण होते रहे तो शायद सदन का काम भी नहीं चलेगा। अगर आपस में कोई सलाह करके यहां पर संशोधन लाये जायं तो यह ठीक हो सकता है। अब जो संशोधन सामने है उसी पर माननीय सदस्य बोलें, तो अच्छा है।

श्री राजनारायण--मैं तो श्रीमन्, उसी पर बोल रहा हूं। आप एक बात भी ऐसी बतायें जो मैं बाहर बोला हूं।

श्री शिवनारायण--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। वह यह है कि श्री राजनारायण जी ने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया है।

श्री उपाध्यक्ष--वापस ले लिया है।

श्री राजनारायण--जिन बातों से प्रकट होता है कि उनके ऊपर करारी चोट पड़ती है तो तब इस सदन में प्वाइंट आफ आर्डर उठने लगता है। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने सदस्यों को समझा दें कि अगर वह इस प्रकार से करेंगे तो वह भी नहीं बोल पायेंगे। आपके जरिये से श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह तो ऐसी बातें हर वक्त कहते रहें और हम उनकी बातों को सुनते रहें और उनको सहन करके हम यहां पर बैठे रहें, यह नहीं हो सकता है। आखिर जब हमको जवाब देने का मौका आता है तो फिर हमारी बातों को क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों बिना प्वाइंट के प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाने लग जाते हैं, अनावश्यक ढंग से .....

श्री उपाध्यक्ष--प्वाइंट आफ आर्डर कोई बेजा चीज नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इसके विरोध में बोल रहे हैं या पक्ष में?

श्री राजनारायण--मैं इस संशोधन के बिल्कुल विरोध में बोल रहा हूं। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि बहुमत वाले यह समझ लें कि किसी बल के प्रभाव में, हमें नहीं दबा सकते हैं, न सदन में, न सदन के बाहर।

तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने ऐसी असंगत बातें यहां पर कह दीं कि जिन बातों का स्पष्टीकरण मैं अब भी चाहता हूं और जिनकी वजह से मुझको ऐसी बातें यहां पर कहनी पड़ीं। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही सुचारुरूप से चले। यदि माननीय राजस्व मंत्री जी उस बात पर प्रकाश डाल दें कि क्यों वह ३० एकड़ ही रखना चाहते हैं और ५० की बात को क्यों नहीं वह स्वीकार करते तो मैं अपने विचार बदलने के लिये तैयार हूं। उन्होंने क्यों यह कहा कि वह ३० को रखना चाहते हैं और इस बात पर प्रकाश क्यों नहीं डाला कि वह क्यों इसको रखना चाहते हैं। अगर अब भी प्रकाश डाल दें तो मैं बैठने के लिये तैयार हूं। हम तो यहां पर सत्य का शोध करने के लिये आये हैं। अगर कोई पानी को दूध बतावे तो हम उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर कोई पानी को दूध बताकर हमको पिलाना चाहे तो हम उसको नहीं पी सकते हैं। हम तो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं और यही समझ कर, हम दूध पीने वाले हैं। हमारा कहना यह है कि यह हमारा देश गरीब है और हमारे यहां किसानों के पास इतनी कम जोत है और वह भी इतनी छोटी-छोटी जोत हैं कि जिन जोतों के आधार पर आप जो यह ३० एकड़ की बात कह रहे हैं उसके स्थान पर ५० एकड़ रखना आज के समय के बिल्कुल विपरीत है। यह ३० काफी है। हमारे टैक्स लगाने का जो तरीका है उसमें कोई तारतम्य होना चाहिये। रूस में स्टेट प्रोडेक्शनिज्म का एक प्रिन्सिपल लागू किया गया था

[श्री राजनारायण]

और उसके मुताबिक वहां की एग्रिकल्चरल प्रोडयूस का प्रयोग किया जाता है। उसको सस्ता करना और उसको मंहगा करना वहां की सरकार के हाथ में रहा और इस सिद्धान्त पर वहां की सरकार बहुत दिनों तक चली। अब जब माननीय राजस्व मंत्री जी कभी-कभी रूस की चर्चा कर दिया करते हैं, अभी परसों इसी सदन में उन्होंने चर्चा की थी तो मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि उसी सिद्धान्त पर तो वे नहीं चलना चाहते हैं जिस सिद्धान्त पर चल कर एक झूठा आश्वासन यह आम किसान के दिल में देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक तरफ तो बढ़े हुए नहर रेट का विरोध करती है और दूसरी तरफ जब टैक्स लगाने में कुछ ढिलाई करते हैं तो इस सदन में उसकी भी मुखालिफत करती है? मैं उनसे निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी आदत ऐसी नहीं है, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने इसके लिये एक भी तर्क नहीं दिया कि उन्होंने ३ हजार से ४,२०० क्यों बढ़ाया? उनके दूसरे समर्थक जो ट्रेजरी बेंचेज के हैं वे ३० से ४२ का तारतम्य करते हैं जब कि हमारे राजस्व मंत्री जी ३० एकड़ से इसका तारतम्य करते हैं। मैं समझता हूं कि एक ही मनुष्य दो जीभ से बोले यह उचित नहीं है और न इससे सदन की मर्यादा बढ़ती है। सीधी सादी बात राजस्व मंत्री जी कह दें कि किसानों के ऊपर टैक्स का कितना बोझ है ... ...

श्री चरण सिंह--मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। संशोधन यह है कि ५० एकड़ कर दिया जाय और उसके खिलाफ आप जितने भी आर्गूमेंट्स हैं दे सकते हैं, लेकिन आप तो यह कहते हैं कि ३० एकड़ भी नहीं होना चाहिये, उसके नीचे होना चाहिये। तो जब इस तरह का संशोधन लाया जाय कि ३० एकड़ से नीचे २० एकड़ या १५ एकड़ किया जाय तब आप उसके ऊपर बोल सकते हैं। इस समय ५० एकड़ के खिलाफ जितनी भी दलीलें हैं आप दे सकते हैं लेकिन यहां तो आपने ५० एकड़ के खिलाफ एक फिकरा कहा और जितनी सारी तकरीर है वह ३० एकड़ के खिलाफ है। तो मेरा कहना यह है कि जो भी तकरीर हो वह रेलिवेंट होनी चाहिये। ऐसे तो आप घंटों बोलते चले जायं उससे क्या हो सकता है। तो मेरी दरख्वास्त यह है कि डिस्कशन रेलिवेंट प्वायंट पर रहे। अगर आप समझते हैं कि ५० एकड़ नहीं हो सकता है और ३० एकड़ भी ज्यादा समझते हैं तो जब कोई ३० एकड़ से नीचे के लिये संशोधन हो तो उस पर आप बेशक बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है तो....

श्री राजनारायण--क्या आप समझते हैं कि यह व्यवस्था का प्रश्न है? अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो उनको बैठा देता।

श्री उपाध्यक्ष--मुझे जान पड़ता है कि माननीय सदस्य किसी बात से नाराज हो गये हैं। मैं यहां था नहीं, इसलिये जानता नहीं कि क्या बात हुई है मगर सब बातें होते हुए भी कम से कम यहां की कार्यवाही तो नियमपूर्वक ही होनी चाहिये और जितनी जल्दी समाप्त हो सके उतनी जल्दी समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस संशोधन पर काफी बोल चुके, अगर और कोई बात उनको कहनी हो तो कह सकते हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसमें तो कोई बात ऐसी है नहीं जो प्वायंट आफ आर्डर की हो। हां, इसी बहाने उनको एक छोटी तकरीर करने का मौका मिल गया। मुझे श्रीमन्, इतना ही कहना है और अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात यह कि प्वाइंट आफ आर्डर को तो आपने भी नहीं माना और अगर मैं आपकी जगह होता तो उनको बोलने की इजाजत ही नहीं देता। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि माननीय

चरण सिंह जी ने सही कहा है कि ५० एकड़ के मैं खिलाफ हूं और जब २० एकड़ का संशोधन श्री जोरावर वर्मा का आयेगा तब मैं फिर बोलने के लिये खड़ा हो जाऊंगा। मैं उनकी बात मानता हूं चूंकि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि ३० एकड़ से नीचे वाली जमीन टैक्सेबिल है इसलिये ५० एकड़ वाला जो संशोधन है अनावश्यक है, बकौल माननीय राजस्व मंत्री के। माननीय राजस्व मंत्री की ओर से इस पर सफाई हो जाय तो ३० एकड़ की बात जब आयेगी तो निवेदन करूंगा इस वक्त मैं बैठता हूं।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह बतलाना चाहता हूं कि ३० एकड़ से ५० एकड़ क्यों किया गया है। औसतन ३० एकड़ में अगर ८ मन प्रति एकड़ पैदा होता है लेकिन अगर श्री राजनारायण जी ने कभी एग्रीकल्चर के पन्ने उल्टे हैं....।

श्री राजनारायण—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि जब आप सुन न रहे हों तब भी कोई भाषण जारी रख सकता है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं वह आप गौर से सुनते रहें और उनकी तकरीर के तर्क को आप सुनते रहें, क्योंकि जिस प्रकार की तकरीर वह कर रहे हैं उनके जवाब हमें उसी प्रकार के देने पड़ेंगे। इसलिये आप कृपा करके सुनते रहें।

श्री शिवनारायण—मुझे खेद है कि विरोधी दल के नेता ने इस तरह का प्वाइंट आफ आर्डर पेश किया है जो कि पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त की जगह बैठने को तैयार हैं और जो तरीका उन्होंने प्वाइंट आफ आर्डर पेश करने का इस्तेमाल किया है वह कहां तक सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, यह मेरी समझ में तो आता नहीं। अभी उन्होंने फरमाया कि सरकार की किस्मत फूट गई। मैं समझता हूं कि सरकार की नहीं, उन्हीं की किस्मत फूट गई है कि वह २१ को लिए हुए उधर बैठे हैं। गवर्नमेंट खूब मजबूत है और वह वीक हैं, अपोजीशन वीक है, वह वीक हैं, वीक वीक और वीक हैं। आप अपने अपोजीशन को तो ठीक कीजिये।

मैं आपकी इजाजत से फिर कहूंगा कि ३० एकड़ से ५० एकड़ क्यों रखा जाय। देखना यह है कि किसान ३० एकड़ में केवल गेहूं ही नहीं बोयेगा। वह दूसरी चीजें भी बोवेगा। तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। हम ५० एकड़ नहीं रखना चाहते हैं, वह अनर्गल है, गलत है और गलत है और हवाई बात है और जो ऐसी बातें अनाप-शनाप और अनर्गल करते हैं वह कुछ समझते नहीं हैं और जो चाहें...।

श्री जोरावर वर्मा—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

(इस समय ३ बज कर ४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त ने, अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया।)

श्री जोरावर वर्मा—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। श्रीमन् अभी माननीय सदस्य ने फरमाया कि 'अनर्गल' बातें कर रहे हैं, क्या यह पार्लियामेंटरी लेंगुएज है?

अधिष्ठाता—"अनर्गल" शब्द जो है, वह बिल्कुल पार्लियामेंटरी है, इसका मतलब "इर्रेलेवेण्ट" है।

श्री राजनारायण—और "अनाप शनाप" भी क्या पार्लियामेंटरी है?

अधिष्ठाता—यह पार्लियामेंटरी है।

श्री शिवनारायण--३० एकड़ में पैदावार कितनी भी होती हो लेकिन किसान केवल गेहूं ही नहीं बोता वह चना, गन्ना, सन वग़ैरह सब चीजें बोता है और नाना प्रकार की फसलें वह बोता है और ३,००० से कम उसकी आमदनी हो जाती है वह किसानों के शुभचिन्तक बनते हैं। वास्तव में वह कभी किसान के शुभचिन्तक नहीं हैं और बिल्कुल हवाई बात करते हैं जिसमें कोई तत्व नहीं है। वह ३० एकड़ का विरोध करते हैं परन्तु स्वयं नहीं कहते कि वह कितने एकड़ चाहते हैं। एक जोड़ी बैल की वह बात करते हैं। बैल की जोड़ी १०० से ५०० की और १,००० रुपये की भी हो सकती है और वह १०० बीघा, ५० बीघा जैसी जोड़ी होगी वैसी ही जुताई कर सकेगा, जैसे दाम लगेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आपका गणित निराला है, लेकिन मैं तो उसको मानने वाला नहीं हूं और न आपके अर्थशास्त्र को मैं मानने को तैयार हूं। हम लोग अपनी सरकार की तरफ से कोई बात ग़लत बात नहीं करना चाहते हैं। हम मुल्क में ग़लत प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहते हैं, देश में जहर नहीं फैलाना चाहते हैं, हम देश की भलाई सोचते हैं और हर किसान के तथा देश के प्रत्येक व्यक्ति के शुभ-चिन्तक हैं और न हमारी किसी चमार से दुश्मनी है और न किसी मुसलमान से। हम सब के शुभचिन्तक हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय उम्मेदसिंह के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस सम्मानित सदन का वातावरण कुछ इस तरह का हो गया है कि मैं सोचता हूं कि जो कुछ मैं कहूंगा उस पर माननीय सदस्य ध्यान देने को तैयार न होंगे, इसलिये सब से प्रथम मैं यह कह देना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को, कि मैं सदन का समय नष्ट करने नहीं खड़ा हुआ हूं मैं कुछ बातें उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह उन्हें सुनने की कृपा करेंगे।

श्रीमान् इसके समर्थन के लिये पहली बात तो यह है कि आज इस अमेंडिंग बिल से एक प्राविज़ो जो कि पहले सेक्शन ४ में था, हटाया जा रहा है। मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ देना चाहता हूं:

"Provided further that the Provincial Government may, for specified areas, prescribe a higher limit for the area of land which may be cultivated by a person exempted from payment of tax under the first proviso."

श्रीमान्, यह संशोधन जो आया है वह पैरा ४ के प्राविजो १ में है कि यह ३० एकड़ जो आज तक था उसको बढ़ा कर ५० एकड़ कर दिया जाय। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि वह प्राविजो इस अमेंडिंग बिल द्वारा न हटाया जाता तो संभवतः मुझको इस बात पर इतनी अधिक आपत्ति न होती। आज इससे जो सरकार करने जा रही है वह यह है कि वह ३० एकड़ पर ही निर्भर करेगी और उसको, अगर भविष्य में चलकर यह प्रतीत हुआ कि किसी भी क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिये तो सरकार के हाथ बंधे हुए होंगे और वह उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकेगी। बुन्देलखंड में भविष्य में चल कर यह देखा जा सकता है कि ३० एकड़ कम है और उसमें वृद्धि होनी चाहिये। इसी से संभवतः पिछले वर्ष जब यह विधेयक, जब यह अधिनियम इस सम्मानित सदन द्वारा पारित हुआ था तो उस समय माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी का यह भाषण था और उसमें भी उन्होंने इसी बात पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने एक बात कही है बुंदेलखंड के क्षेत्र में भूमि में जितनी पैदावार कम है उस हिसाब से वहां ३० एकड़ के बजाय कुछ और रकबा होना चाहिये। मैं उनकी जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि मूल अधिनियम की धारा ४ के दूसरे प्रतिबन्ध में यह लिखा है कि प्रांतीय सरकार को अधिकार होगा कि निर्दिष्ट क्षेत्रों में पहले प्रतिबन्ध में उल्लिखित भूमि के क्षेत्रफल की मात्रा नियम द्वारा बढा दे।

ऐसा तो मूल अधिनियम में इस सदन के द्वारा ही अधिकार दिया हुआ है कि सरकार ऐसे क्षेत्रों के लिये उस सीमा को अधिक बढ़ा सकती है। श्रीमन्, पिछले वर्ष जबकि आपत्ति की गई थी तो यही तर्क, यही दलील माननीय द्वारकाप्रसाद जी ने दिया था और मैं आज यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उस परिस्थिति में क्या परिवर्तन हो गया है जो कि आज उस प्राविजो को हटा दिया गया है। अगर दोनों प्राविजों होते तो मैं मान सकता था कि सरकार, यदि भविष्य में, उचित समझे तो उस क्षेत्र में भी कर सकती है जिस पर किसी तरह का कर न माना जा सके। यदि अब माननीय मंत्री जी मेरी बात को ध्यान से सुनें (एक क्षण ठहरकर)- यदि वह श्रीमन्, नहीं सुनना चाहते तो मैं विवश हूं।

अधिष्ठाता---मैं माननीय मंत्री चरणसिंह जी से कहूंगा कि भाषण हो रहा है, ध्यान से सुनें।

श्री चरणसिंह---मैं अर्ज करूंगा कि मेरी तरफ से मौर्य जी सुन रहे हैं।

अधिष्ठाता---ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आप बैठे हुये थे वह हाउस की शान के खिलाफ है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस अमेंडिंग बिल द्वारा जो सेक्शन फोर का दूसरा प्राविजो हटाया जा रहा है उससे इस बात की अधिक आशंका है कि ३० एकड़ से उसका क्षेत्र ५० एकड़ हो जाय क्योंकि संभव है भविष्य में सरकार को आवश्यक प्रतीत हो और वैसी अवस्था में सरकार विवश हो जायेगी। अब दूसरी बात यह है कि पिछले वर्ष माननीय मंत्री ने स्वयं कहा कि नेट इन्कम जो वह समझते हैं वह ७५ रुपये। अगर यह ७५ रुपये थी और ठीक थी तो ४० तक तो उनको कोई आपत्ति नहीं हो सकती, उनके ही कथनानुसार। यदि माननीय मंत्री को कोई आशंका है तो मैं पढकर सुना सकता हूं "१५ एकड़ वाला संशोधन ब्रजवासी लाल ने वापस ले लिया" 'उन्होंने कहा :---

> "तीन हजार की आमदनी १५ एकड़ के काश्त से आम तौर पर नहीं होती। हम नेट इन्कम पर लगाते हैं। नेट इन्कम का अन्दाजा यह है कि ७५ रुपये प्रति एकड़ औसतन होती है तो इस हिसाब से १५ एकड़ से आमदनी तीन हजार से कम होती है।"

तो श्रीमन्, यदि यही सिद्धांत माना जाय, ७५ रुपया प्रति एकड़ मुनाफा तो भी ४० एकड़ तक कोई आपत्ति नहीं उत्पन्न हो सकती है। माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि ५८ तक ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी, जिसमें देना पड़े बशर्ते कि सरकिल रेट इस कदर हाई और ऊंचा न हो कि लोगों की आमदनी ३ हजार से बढ जाय। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने और द्वारकाप्रसाद जी ने जो भाषण पिछले वर्ष दिये थे उनसे एक भ्रम पैदा होता है और आपकी आज्ञा से मैं द्वारकाप्रसाद जी के भाषण से भी पढ़ देना चाहता हूं। यदि मैंने उनको ठीक समझा है और राजनारायण जी का कहना भी मैंने समझा है ठीक तरीके से, तो क्या माननीय मंत्री जी का विचार यह है कि ३० एकड़ से जिनकी जमीन कम है लेकिन, अगर आमदनी ३ हजार से अधिक है तो उस पर भी कर लगाया जा सकता है क्या मैं आपकी आज्ञा से उनसे पूछूं कि यही उनका मतलब है। अगर वह यह समझते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हीं के विभाग के सचिव ने पिछले साल यह कहा था:---

> "लेकिन इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि तीन हजार से कम की आमदनी पर कोई टैक्स लगेगा यानी अब इस संशोधित विधेयक के द्वारा ३० एकड़ से कम जिसके

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

पास भूमि है और ५० रुपये से कम जिससे लगान में वसूल होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी कृषि आयकर नहीं लगेगा।"

और उस संबंध में कोई जांच भी नहीं होगी कि इसकी आमदनी ३ हजार से ऊपर होती है या नहीं। उसको कोई नोटिस भी नहीं जायगी। लेकिन ३० एकड़ से अधिक भूमि अगर है या ५० रुपये से अधिक आमदनी होती है वैसी सूरत में यह कहा जायगा कि उसकी कृषि-आय ३ हजार से अधिक है अथवा नहीं।

तो भी यदि यह ठीक है जो कि मंत्री महोदय ने कहा है कि ३० एकड़ से कम होते हुये ३ हजार से अधिक आमदनी हो तो उस पर कर लग सकता है, तो क्या मैं आपके द्वारा उनका ध्यान ....

श्री चरणसिंह--मैं आपके जरिये से एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। मेरी जो तकरीर है वह जिस ऐक्ट और बिल के वक्त थी उसमें यह था कि ३० एकड़ से कम रकबा, हो लेकिन ५० रुपये से ज्यादा लगान की आमदनी होती हो तो ३० एकड़ से कम होते हुये अगर ३ हजार के ऊपर आमदनी है तो टैक्स लग सकता है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु इतना मुझे अवश्य कहना है कि ५० एकड़ जो संशोधन में आया है वह इन शब्दों के देखते हुये, उसकी पृष्ठभूमि पर इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुये, यह उचित है कि ३० एकड़ से ५० एकड़ बढा दी जाय। क्योंकि, जैसा मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि बहुत से लोग हैं, ५८ फीसदी ऐसे लोग हैं, जिन पर कि कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि ५८ एकड़ तक नीचे जो हैं उनपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुये सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और यदि मंत्री महोदय कुछ विशेष रूप से ध्यान दें तो संभवतः इसको बढ़ा सकते हैं।

श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मैंने जैसा अभी थोड़ी देर हुई कहा था कि हम एक निश्चित आय पर टैक्स लगा रहे हैं। ४,२०० की आय होगी तो टैक्स लगेगा, रकबा चाहे जितना हो, बस शर्त यह है कि ३० एकड़ से कम रकबा है और आमदनी अगर ४,२०० से भी ज्यादा होगी तो टैक्स नहीं लगेगा। ३१ पर लग सकता है १०० पर लग सकता है और १२० पर भी नहीं लग सकता है। यह तो जमीन की किस्म पर है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि ३० एकड़ की आमदनी ४,२०० होती है। जैसा कि एक माननीय सज्जन जोश खरोश से कह रहे थे कि ३० एकड़ की आमदनी ४,२०० होती है। इसलिये ३० एकड़ लफ्ज उसमें रखा गया। मैंने उनकी तकरीर के पहले ही यह कहा था कि ५८ एकड़ तक औसत किस्म की जमीन होगी तो उस पर लगेगा। खराब किस्म की है तो ५८ एकड़ से ज्यादा पर लगेगा, बेहतर किस्म की है तो ५८ एकड़ से कम पर लगेगा। एक लफ्ज मैंने नहीं कहा कि ३० एकड़ आमदनी ४,२०० होती है।

अधिष्ठाता--मैं जरा राजनारायण जी का जो संदेह है उसको दूर करना चाहता हूं। उनका मतलब यह है कि अगर ३० एकड़ से कम जमीन है और आमदनी ४,२०० से ज्यादा है तो आया उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा?

श्री चरणसिंह--नहीं लगेगा। पहले तो वह तकरीर कर रहे थे तो बावजूद मेरे कहने के कि मैंने यह नहीं कहा कि ३० एकड़ की आमदनी ४,२०० होती है, जमीन की किस्म पर है। रहा यह कि ३० एकड़ की आमदनी ४,२०० की होती है उन्होंने यह साबित किया कि गेहूं की पैदावार इतनी होती है।

अधिष्ठाता--(श्री राजनारायण जी के खड़े होने पर) अभी आप बैठ जायं, जब मंत्री जी बैठ जायं, तब आप कहें।

श्री चरणसिंह--एक शख्स तिहाई या चौथाई रकबे में गेहूं बोता है, चारा भी रखता है, अरहर भी बोता है और भी फसलें बोता है। गेहूं, ईख और धान सबसे ज्यादा हमारे यहां पैदावार की फसलें हैं। किसी की औसत होल्डिंग की आमदनी गेहूं धान की पैदावार फैला दी जाय, ठीक नहीं मालूम होता है। मैं इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। श्री उम्मेद सिंह की बात का मैं विरोध करता हूं और मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

***श्री उम्मेद सिंह**--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो यह निवेदन करना है कि माननीय मंत्री जी खुद बतला चुके हैं कि इस किस्म के आदमी बहुत ही थोड़े हैं जिनकी जमीन का इस किस्म का परता आता है कि जो ५८ से कम एकड़ की आराजी पर टैक्स लग सकता हो।

श्री चरणसिंह--मैं क्या अर्ज करूं, यह मेरी बदकिस्मती है कि गलतफहमी होती जा रही है। मैंने तो यह कहा कि ३० एकड़ की बहुत कम ऐसी आराजी हैं जिन पर टैक्स पड़ सकता है, आधे ५८ एकड़ से नीचे होंगे और आधे उससे ऊपर होंगे। मैंने यह कब कहा कि ५८ एकड़ की जमीन बहुत कम होगी। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में तो सारे के सारे आजायेंगे, यह मैंने कब कहा।

श्री उम्मेद सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपके जरिये मंत्री महोदय से यह निवेदन करना है कि जब कि पिछली दफा आमदनी ३ हजार थी और इस रकबे को ३० एकड़ रखा गया था तो इस वक्त क्या बात हुई कि इस तरह ४,२०० रुपये की रकम बढ़ाई जाती है और अगर ५० एकड़ हो जायगी तो क्या असर होगा। इस चीज को ध्यान में रखकर कबूल करना चाहिये। अब रहा यह कि कोई इस किस्म की दलील तो आती नहीं कि जब रकम तो ३,००० से ४,२०० बढ़ाई जाय और रकबा वही रखा जाय, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ख) में संख्या "३०" के स्थान पर संख्या "५०" रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री जोरावर वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ख) की तीसरी पंक्ति में संख्या "३०" के स्थान पर संख्या "२०" रख दी जाय।

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय की ओर से कहा गया है कि ४,२०० रुपये की जो आमदनी रखी गयी है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इससे ३० एकड़ का कोई संबंध नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यह प्रतिबन्ध क्यों रखा गया है। दूसरी चीज यह है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक परिवार में ३० एकड़ ही हो। जब जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट पेश हुआ तो उस समय जैसा कि हिन्दू ज्वाइन्ट फैमिली का नियम रहा है कि जो घर में वयोवृद्ध या कार्यकर्त्ता होता था उसी के नाम जमीन होती थी। लेकिन जब यह जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट पास हुआ तो भूतपूर्व जमींदारों ने अपनी जमीन को भतीजे, भाई, पुत्र और पौत्रों के नाम कर दीं और यह किया कि जो जमीन परती पड़ी हुई थी, उसको "ग्रो मोर फूड" स्कीम थी, उस सिलसिले में जमींदारों को हमारी इस सरकार ने जो गरीबों और दीन दुखियों की शुभचिन्तक होने का दावा करती है उन्हें यह मौका दिया कि वह जमीन जो परती पड़ी हुई थी उसको जोतें और उन्होंने उस परती जमीन को तोड़ दिया और उस जमीन का पट्टा अपने

[श्री जोरावर वर्मा]

भाई भतीजों के नाम कर दिया या संबंधियों के नाम कर दिया। इस प्रकार से जो जमीन एक ही आदमी के नाम होने चाहिये थी, उस परिवार में ३०-३० एकड़ करके कई आदमियों के नाम कर दी गई है।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी कल इसके ऊपर जनरल डिरकशन में कहा था कि जो ३० एकड़ जमीन है या जो बड़ा काश्तकार है, उसके अलावा उसके पास अन्य साधन भी जीवकोपार्जन के हैं, जैसे बिजनेस या सरविस। तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम जमीन की हद ३० एकड़ ही रखें, २० एकड़ क्यों न रखें? उस दिन उन्होंने अपने जवाब में यह भी फरमाया था कि यह जो २० एकड़, ३० एकड़ या ५० एकड़ है, यह अपनी-अपनी कल्पना या विचार के अनुसार है। यह रकबा कम हो सकता है, बढ सकता है। जो जैसा समझता है वह उसके अनुसार कम या अधिक हो सकता है। तो फिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि अगर उन्होंने यह ३० एकड़ रखा है तो उसको २० एकड़ क्यों न रखें।

अधिष्ठाता महोदय, अगर हम वास्तव में देखें कि इस प्रकार से लोगों ने जमीन पर अनाधिकार चेष्टा करके कब्जा कर रखा है कि जिनके पास अधिक जमीन है वह उन पर खेती नहीं कर पाते हैं। अधिकांश जमीन पड़ी रहती है। इस प्रकार से वास्तव में देश की जो एक राष्ट्रीय आय हो सकती है उस जमीन के द्वारा, वह नहीं हो पाती है। इस प्रकार से यह अधिक जमीन का रकबा उनके अधिकार में रखना राष्ट्रीय हानि की ओर प्रोत्साहन करना है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो ४,२०० रुपया इनकम रखी गयी है और यह ३० एकड़ का जो प्रस्ताव है इसका जब कोई संबंध नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसका कम से कम यह रकबा हो सकता है इसलिये मेरा जो प्रस्ताव है कि ३० एकड़ के बजाय २० एकड़ हो, उसको वह स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री राजनारायण--माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो जोरावर वर्मा का संशोधन है मेरी समझ में यह संशोधन ३० एकड़ के स्थान पर २० रखने का, अच्छा ही है। इसलिये कि जो खेती है अपने प्रांतमें और उस खेती के अनुसार कौन-कौन लोग, कितने-कितने लोग, कितनी-कितनी खेती से संबंधित हैं, अगर यह देखा जाता है तो खेतिहर का ५ फीसदी ही ऐसा ही है जो १० एकड़ के ऊपर की जोत वाले हैं और २० एकड़ की जोत वाले तो बहुत ही कम हैं। इसलिये २० एकड़ अगर ३० एकड़ के स्थान पर रख दिया जाय तो यह कोई अनउपयुक्त नहीं होगा।

एक बात मैं अवश्य चाहता था और इस सिलेक्ट कमेटी की बैठक श्रीमन्, जबकि मैं इस सरकार की कानपुर की जेल में पड़ा हुआ था तब उन दिनों, शायद हुयी थी, वरना मैं ऐसा संशोधन उस सिलेक्ट कमेटी में भी पेश करवाता कि जो इस रकबा पर बड़ा जोर दिया जाता है उसमें कुछ प्रोड्यूस यानी उत्पादक शक्ति भी आनी चाहिये। जैसा श्रीमन्, आपके समाचार पत्रों में पढा होगा कि बिहार की जो विरोधी पार्टी है, प्रजा सोशलिस्टपार्टी, उसने असेम्बली में एक बिल पेश किया कि १५ एकड़ से ज्यादा जमीन किसी खेतिहर के पास न रहे, वह जमीन जिसके एक एकड़ में १५ मन पैदा हो, उसी तरह से मैं चाहता था कि अपने यहां भी एक एकड़ की कोई पैदावार रख दी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे, २० एकड़ वह जमीन जिसके एक एकड़ में १० मन पैदा होता हो। माननीय जोरावर वर्मा का जो संशोधन है, उसमें वह अगर हमारे इस सुझाव को मान लेते तो ज्यादा अच्छा होता कि बीस एकड़ वह जमीन जिसमें एक एक एकड़ पर १० मन का परता पड़ रहा था तो जितना बुद्धि विभ्रम फैलता है वह न होता। उस बुद्धि विभ्रम को ज्यों-ज्यों साफ करने की कोशिश होती है त्यों त्यों बुद्धि विभ्रम फैलता जाता है। उसको कम करने के लिये हमारा यह सुझाव मान लिया जाय। आपने श्रीमन्, बड़ी मेहरबानी की, एक बात को माननीय राजस्व मंत्री से साफ करवाया कि तीस एकड़ से कम जिनको जमीन रहेगी उन पर यह एग्रीकल्चरल इनकम टैक्ट नहीं लगेगा। श्रीमन्, जहां तक मैं समझ पाया हूं बात यही है। आपने भी ऐसाही कहा। मगर मैं ऐसा समझता हूं कि इसी बात पर शायद यह सरकार या राजस्व

मंत्री का स्पष्टीकरण कानूनी कोर्ट में जाने पर मान्यता नहीं प्राप्त कर पायेगा। माननीय राजस्व मंत्री ने कई बार जमींदारी उन्मूलन धाराओं को कई तरह से स्पष्ट किया। कोर्ट ने उनके स्पष्टीकरण के बिलकुल विरुद्ध फैसला दिया, जिससे आप स्वतः परिचित है कि बनारस में हाहाकार मच गया था। उसमें कितनी बेदखलियां हो गयी थीं। और राजस्व मंत्री और उनका विभाग कहता है कि बनारस की कोर्ट गलत फैसला कर रही है। वह मल्टिपिल जब आयेगा तो सारा फैसला उसके अनुसार हो जायगा। मैं इस बात को खिदमत में रखूंगा क्योंकि बहुत ही दबी जबान से राजस्व मंत्री कहते हैं कि तीस एकड़ के कम जमीन का भी साढे बारह गुना मल्टिपिल ४२०० से ज्यादा हो जाय तो वहां क्या होगा? यानी तमाम बातों से कानून का मतलब यह होता है कि इन निदोष साफ और कम पेचीदा भाषा में हो कि एक साधारण आदमी समझ ले। गांधी जी ने कहा कि एक किसान प्रधान मंत्री हो, लेनिन ने कहा कि "एव्री कुक मस्ट लर्न हाऊ टु रूल दि स्टेट" यानी एक गृहणी, रसोईदारिन को क्षमता होनी चाहिये कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। उनके दिल में कौन सी बात थी, कि सीधा सादा कानून होगा, सीधी सादी भाषा होगी। थोड़ा सा भी पढा लिखा व्यक्ति कानून की बारीक से बारीक भाषा को समझ ले। मगर यहां परेशानी यह हो रही है, राजस्व मंत्री शायद वकील भी हैं, मैं तो जानता नहीं हूं कि कहां वकालत करते थे, पढ़े लिखे हैं और उनका जो विभाग है उसमें भी समझदार पढे-लिखे लोग होंगे ही। मगर उनकी मान्यता के विरुद्ध कोर्ट का फैसला होता जाता है। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि भाषा बझती चलती है। जनतंत्र में जहां कानून की भाषा बझती चलती है वहां जनतंत्र पर कुठाराघात होता रहता है। यह तो बुर्जुआ कंसेप्शन है कि बारीक भाषा में बझा कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति किया करते हैं। यहां बड़े बड़े नामों को छोटा कर दिया गया और बड़े बड़े नाम एक, दो तीन अक्षर में हो गये। हमारे कहने का मतलब सीधा सादा है। तीस एकड़ या चालीस एकड़ या पचास एकड़ या ७० एकड़ हो, अभी-अभी माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि ५८, साढ़े ५८, १००, ५०० एकड़ जमीन के करने की क्या जरूरत। आखिर वह स्पष्टीकरण महत्वहीन है जब कि कानून में साफ लिख दिया गया है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जो तीस एकड़ से अधिक भूमि पर खेती न करता हो।" जब यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ३० एकड़ के ऊपर जमीन रखने वाले को ही कर देना होगा तो इसका स्पष्टीकरण करने की माननीय मंत्री को क्या जरूरत थी। यह तो स्पष्ट है कि ३० एकड़ से ज्यादा जो खेती करेगा उस पर कर लगेगा, फिर स्पष्टीकरण की क्या आवश्यकता थी?

श्री चरण सिंह--४२०० की आमदनी की वजह से।

श्री राज नारायण--अब बात की सफाई हुई। ४२०० रुपये का उसका तारतम्य है। जब माननीय मंत्री जी कोई बात कहते हैं और उसे राजनारायण पकड़ लेते हैं तो वह चौंक उठते हैं और इतना चौकते हैं कि दूसरों को पढाने लगते हैं कि उनके भाषण में हस्तक्षेप करो।

अधिष्ठाता--यह बात आप नहीं कह सकते।

श्री राजनारायण--अच्छी बात है। लेकिन बात साफ है कि ४२०० और तीस एकड़ का एक तारतम्य है और साढे १२ गुने का जो मल्टिपिल होगा उसका भी कहीं तारतम्य है। अब श्रीमन्, इस सदन के आदरणीय सदस्य इस बात को समझ लें कि ४२०० में, ३० एकड़ में और साढे १२ गुना मल्टीपिल में तारतम्य है और इन तीनों के तारतम्य को मानते हुये इस सदन के सम्मानित सदस्य अपनी राय का इजहार करें तब जा कर वस्तुस्थिति पर प्रकाश पड़ेगा।

श्री चरणसिंह--एक बात जानना चाहता हूं कि कहीं आपका यह खयाल तो नहीं हो रहा कि ३० एकड़ से ज्यादा जितनी होल्डिंग्स होंगी सब पर टैक्स पड़ेगा।

श्री राजनारायण--जिसकी आमदनी ४२०० से ज्यादा होगी।

श्री चरणसिंह--तो तारतम्य ३० एकड़ का कहां हुआ ?

श्री राजनारायण--उसी का तारतम्य बतला रहा हूं। यह तो साफ है कि १०० एकड़ भी हो लेकिन ४२०० आमदनी न हो तो उस पर कर नहीं लगेगा। माननीय मंत्री जी कहीं इसमें बुद्धि विभ्रम में तो नहीं हैं। निहायत अदब के साथ वह समझ लें कि तीनों में तारतम्य है और इसमें हमारा एक ही संशोधन मान लें कि उत्पादक शक्ति को मान लिया जाय जैसे कि एक एकड़ में १० मन, १२ मन या १५ मन पैदा होता है, मंत्री जी एक फार्मूला लगा लें तो उस फार्मूले के मुताबिक ज्यों-ज्यों उत्पादक शक्ति बढ़ती जाती है या घटती जाती है उसी के मुताबिक (कर) टैक्सेशन में वृद्धि या कमी होती जायगी। मैं यही कह रहा था कि सरकार के पास मौलिक उसूल नहीं है। मेरे कहने का यह मतलब कभी नहीं कि जो टैक्स एक दफा लग गया वही बराबर रहे। अगर श्रीमान् यह हमारा मकसद होता तो आप स्वतः जानते हैं कि आपकी भदोही से इस नहर रेट के विरोध में दस बीस कार्यकर्ता क्यों आते। टैक्सेशन में परिवर्तन होगा, मगर क्यों होगा। यह लापरवाही तो बुद्धि के संतुलन की द्योतक नहीं होगी क्योंकि ४२०० इनकम टैक्स गत वर्ष तो न था, इसे आप स्वतः जानते होंगे। माननीय राजस्व मंत्री अगर कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स है उसी से मिलाने के लिये कर रहे हैं तो पारसाल यह बुद्धि कहां थी ?

श्री चरणसिंह--पारसाल नहीं थी, अब आ गई है।

श्री राजनारायण--पारसाल भी निवेदन किया था। पारसाल की प्रोसीडिंग्स पढ़ लीजिये, पारसाल जब इस नियम को चलाने के लिये कहा था तो राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि वह तो विरोधी पार्टी का काम है विरोध के लिये विरोध करना। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह एक भी अवसर बतला दें जब हमने केवल विरोध के लिये विरोध किया हो। हमने हमेशा अपने मत को प्रकट किया है चाहे वह आजमगढ़ में गलत इन्दराज का सवाल रहा हो। आज वही मंत्री महोदय कहते हैं कि हर जिले में गलत इन्दराजात हैं।

अधिष्ठाता--आप विषय से दूर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण--सरकार की ओर से हमेशा हमारी पार्टी को दूसरों की निगाह में कम करने की कोशिश होती रही है कि वे विरोध के लिये विरोध करते हैं। राजस्व मंत्री जी एक भी मौका ऐसा बतला दें जब कि विरोधी पार्टी ने केवल विरोध के लिये विरोध किया हो। हमने जिस मौके पर जो बात कही है वह ऐतिहासिक बात सत्य होकर रही है और सरकार की ओर से जो बराबर यह कहा जाता है कि हम यहां पर विरोध के लिये विरोध करते हैं यह बिल्कुल असत्य है। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके कोई स्वस्थ पार्लियामेंटरी प्रणाली यहां पर चालू नहीं कर रहे हैं। आप बातों का जवाब दें और यह बतायें कि ४,२०० और ३० एकड़ और फिर १२।। मल्टीपल (गुणांक) इनका तारतम्य कैसे हो सकता है। इनका स्पष्टीकरण सामने रखें तब उसका जवाब आने पर मैं इसके ऊपर निवेदन करूंगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन वर्मा जी ने पेश किया है मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके समर्थन में जो माननीय नेता विरोधी दल ने अपना मौलिक भाषण दिया उसको मैंने बहुत ध्यान से

सुना। उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी मेहनत के साथ काफी समय तक अपनी बुद्धि के अनुसार जितना सुन्दर तथा तर्कपूर्ण भाषण हो सकता था उसको यहां पर दिया। यह दूसरी बात है कि उसमें मुझे कोई तत्व दिखाई नहीं दिया हो। उन्होंने कहा और २० एकड़ भूमि के साथ-साथ माननीय वर्मा जी को उन्होंने सलाह दी कि अगर वह इसमें यह बात और जोड़ दें कि ऐसी भूमि जिसमें १० मन फी एकड़ पैदा हो। २० एकड़ में १० के हिसाब से २०० मन पैदा होगा तो उसकी कीमत उनके ही हिसाब से २,५०० रुपया होती है। बहस इस बात पर थी कि मिनीमम ३,००० रुपये से यह ४,२०० क्यों किया गया और भवन ने ४,२०० रुपये की बात स्वीकार कर ली है तो अब इस सलाह देने से नेता विरोधी दल की राय यह है कि ४,२०० पर टैक्स न करके यह २,५०० पर कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि हमको किसी बेसिस को मानकर आगे चलना पड़ता है। चाहे वह बेसिस भूमि की पैदावार ही मान ली जावे। यदि १२।।) मन का भाव मान लिया जाये तब ३३६ मन की पैदावार जाकर ४,२०० रुपये की होगी और वह लगभग ३४ एकड़ भूमि पर आएगी, तब फिर २० एकड़ की बात करना कहां तक मुनासिब है। फिर हर भूमि में १० मन फी एकड़ का औसत आना भी कठिन है। तब प्रश्न यह उठता है कि कितनी भूमि को टैक्स से मुक्त रखा जाय उसके लिये सरकार ने ३० एकड़ तक की सीमा निर्धारित की है। अगर उनकी ही बात मान ली जाए तब उस हिसाब से ३०० मन पैदावार ३० एकड़ की हुई तो इतने पर वह टैक्स नहीं लगेगा। वैसे तो बाजार का भाव आज कुछ है और कल को दूसरा हो सकता है इस कारण से उसके लिये एक निश्चित रकम मान ली गयी है कि ४,२०० से अधिक आय जिसकी होगी उस पर टैक्स लगाया जायगा। इसके साथ साथ इसका भी प्रतिबन्ध रखा है कि ३० एकड़ तक किसी किस्म का टैक्स नहीं लिया जायगा चाहे आय कितनी ही क्यों न हों ऐसे भी उदाहरण हैं कि कृषि की भूमि में जो १५, २० एकड़ तक हो उसमें सब्जी बोने से कहीं अधिक आय हो जाती है उसमें ४, ५ हजार तक की आमदनी हो जाती है मगर उसको नहीं माना गया है। इतना मान लिया गया है कि ३० एकड़ तक जिसके पास जमीन है उससे कोई टैक्स नहीं लिया जायगा। ३० एकड़ से ऊपर टैक्स लगाया जायगा। अगर आय ४,२०० रुपये या उससे अधिक होगी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि २५ एकड़ की जो जोत हैं वह करीब एक लाख १४ हजार के हैं उसमें ३२ हजार ऐसे हैं जिनको पहले जमींदार कहते थे किन्तु अब वह काश्तकार हो गये हैं। इसके माने यह हुये कि अगर पुराने विचार ही कायम रखे जायं तब इनकी तादाद २८ प्रतिशत है बाकी वह ७२ फीसदी ऐसे हैं जो पहले से किसान थे। तो सरकार यह चाहती है कि ३० एकड़ की सीमा रखने से कुछ प्रतिशत किसान बढ़ गये हैं। जिनको टैक्स से छूट मिल जायगी तो फिर समझ में नहीं आता कि हमारे समाजवादी नेता को इसमें क्या आपत्ति है। बल्कि आपको तो यह शिकायत थी कि हमारे टैक्स इतने ऊंचे हैं कि जिनको किसान बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसानों के परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, जो कि टैक्सेशन से बच जायंगे तो उसमें आपको आपत्ति पैदा होती है। नेता विरोधी दल को हमारे सरकार की नेकनियती पर, हमारी सरकार की नीति पर शक मालूम होता है यह उनके अपने दिमाग़ का भ्रम है, जिस प्रकार से एक काजल की कोठरी के अन्दर काला ही काला नजर आता है उसी प्रकार से उनको अपने दिमाग़ के कारण सरकार के हर कानून में कालापन दिखाई देता है। तो एक आपत्ति हमारी यह है कि जब उसूल की बात कही जाती है तो माननीय विरोधी दल के नेता को भी एक अपना उसूल बना लेना चाहिये। हमने उसूल बना दिया इस वास्ते कि जिसकी ४,२०० रू० से ऊपर की आमदनी होगी उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, उससे कम आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। माननीय नेता विरोधी दल ने जो २० एकड़ की बात कही, मैं समझता हूं कि इसके अन्दर कोई तर्क की बात नहीं है। ३० एकड़ तक की छूट मुनासिब ही है। उसके

[श्री नवल किशोर]

ऊपर जो भूमि होगी उसमें ४,२०० रु० के ऊपर जितनी आमदनी होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह--माननीय सभापति जी, जो संशोधन [illegible] वर्मा जी ने पेश किया है मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। मुझे विरोधी दल के नेता के भाषण को सुनकर बड़ा अचम्भा हुआ कि हम लोगों का तो यह मुख्यतर कर्तव्य है कि सरकार जब टैक्स लगावे चाहे वह किसी प्रकार का हो जिसका बोझ गरीबों के ऊपर पड़ता हो तो उसका विरोध तो करना ही है, लेकिन जब यहां गरीब और किसान का सवाल है तो हमको यह देखना है कि जो सरकार की ओर से कर निर्धारित हो रहा है उसको वे दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों का खयाल यह है कि किसान छोटे हों या बड़े हों लेकिन उनके ऊपर टैक्स जरूर लगना चाहिये। चूंकि उनके पास जमीन नहीं है, इसलिये वे समझते हैं कि २० एकड़ के ही ऊपर कर लगे। श्रीमन् अभी जो यह प्रस्ताव रखा गया है वह मंजूर करने के लिये कोई माने नहीं रखता जब कि ३० एकड़ का नियम रखा गया है और उसके ऊपर आमदनी ४,२०० या ३ हजार से ऊपर अवश्य होगी तो २० एकड़ रखना कोई माने नहीं रखता। ४,२०० रु० से ऊपर जो आमदनी होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसलिये यह संशोधन बिल्कुल बेकार होगा। उनके खयाल से जो बड़े-बड़े कुछ किसान हैं वे छूटे जा रहे हैं। मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार बने तब वे उस वक्त इस प्रश्न के ऊपर सोचें तो अच्छा है। लेकिन इस वक्त दूसरे की तरफ से यह प्रस्ताव लाना जब कि किसान और जमींदार अधिक तादाद में ऐसे हैं कि उनके पास भी वोट हैं और उनसे भी वोट पा सकते हैं तो इस तरह का विरोध करना उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल बेकार है, यह कोई माने नहीं रखता इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं समझता कि इस संशोधन से माननीय संशोधन कर्ता महोदय ने इस विधेयक का जो मुख्य आशय है उसमें क्या परिवर्तन कर दिया है और इस विधेयक पर भाषण करते हुए माननीय विरोधी दल के नेता ने बहुत सी बातें कह कर इसको इतना पेंचीदा बना दिया है कि इस सरल विधेयक के सम्बन्ध में इससे सदन के बहुत से माननीय सदस्यों के दिमाग में एक उलझन पैदा करने की कोशिश की है। यह स्पष्ट है कि ३० एकड़ से नीचे के किसी भी किसान पर यह कर नहीं लगेगा। हमारी स्कीम यह है कि ३० एकड़ से ऊपर जिनके पास होगा उन्हीं के सर्किल रेट्स को हम साढ़े १२ तक गुणनफल करके देखेंगे और अगर वह ४,२०० रुपये से ऊपर आता है तभी उनको नोटिस जायगा और अगर वह यह समझें कि जो गुणनफल ३० एकड़ के ऊपर सर्किल रेट से गुणा कर के आये वह ४,२०० रुपये न हो तो वह उज्रदारी कर सकते हैं। वह यह भी कर सकते हैं कि गुणनफल से तो ४,२०० से ज्यादा है लेकिन वास्तविक आय कम है तो वह हिसाब पेश कर सकते हैं। मैंने स्पष्ट जाहिर कर दिया है कि ३० एकड़ से नीचे हमारे यहां से देखा ही नहीं जायगा कि गुणनफल करने से ४,२०० आता है या नहीं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने भी साफ कह दिया था कि हो सकता है कि ३० एकड़ से कम वालों का भी गुणनफल ४,२०० हो जाय लेकिन हमें उसे देखना ही नहीं है। हम तो ३० से ऊपर वालों को ही देखेंगे कि उनका गुणनफल ४,२०० से अधिक है या नहीं अगर होगा तो उनको नोटिस जायगा इसलिये यह संशोधन बेकार है। यह इस माने में बेकार है कि चूंकि अगर २० एकड़ कर भी दिया जाय तो भी संशोधन कर्ता देखेंगे कि १७ रु० से भी अधिक अगर सर्किल रेट होगा तो कहीं जाकर ४,२०० होगा लेकिन ऐसा सर्किल रेट कहीं नहीं है। जब ऐसा है ही नहीं तो २० एकड़ रखने के कोई माने ही नहीं हैं।

असिल में अगर देखा जाय तो अगर ११ आना सर्किल रेट हो तब कहीं जाकर ३० एकड़ से ४,२०० पड़ता है और ४,२०० का संशोधन पहले ही स्वीकार हो चुका है और ३,६०० का स्वीकार नहीं हुआ है इसलिये २० एकड़ में ४,२०० की आमदनी आती नहीं है। अतः यह संशोधन निरर्थक है और उनकी २० एकड़ से ऊपर वालों को रखने की जो बात है वह हल नहीं होती। इसलिये यह ३० एकड़ बहुत समझबूझ कर रखा गया है। हम केवल ३० एकड़ से ऊपर वालों का ही हिसाब लेंगे। यह जहमत न करनी पड़ेगी कि हम १ से ३० एकड़ तक के हिसाब को देखने की अपने अफसरों को जहमत दें और समय बरबाद करें जबकि हम समझते हैं कि नीचे के लोग ४,२०० में नहीं आते। इसलिये वही ठीक है कि ३० एकड़ से ज्यादा का अगर सर्किल रेट से गुणा कर के फल ४,२०० से ऊपर आता है तब नोटिस जायगा और अधिकतर तो शायद ही कोई हिसाब रखे, लेकिन सुविधा दी गयी है कि अगर कोई हिसाब रखे और साबित करे कि हमारी आमदनी इतना खर्च काटकर इतनी बचती है तो उस पर भी गौर किया जायगा और अगर वह कम होगी तो वह भी बच सकता है। इसलिये मैं नहीं समझता किसी भी संशोधन से यह बिल इम्प्रूव हो सकता है जबकि उसूलन सिद्धांत ४,२०० रुपए का मान लिया गया है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री जोरावर वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, मुझे राजा वीरेन्द्र शाह जी के भाषण को सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि शायद जोरावर जी के पास जमीन नहीं है इसलिये उन्होंने ऐसा संशोधन रखा है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि उन्होंने यह कैसे समझ लिया कि मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास जमीन है। अगर उन का मतलब यह है कि हमारी बिरादरी यानी हरिजनों के पास जमीन नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि २दिन पहले ही मंत्रीजी ने बताया था कि हरिजनों के पास कितनी जमीन है। इसलिये मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसी पर्सनल बात क्यों की और आप की तरफ से उनको क्यों नहीं रोका गया। अब चूंकि बात यह है कि इस प्राविजन को रखकर तो ऐसा हुआ कि यह प्राविजो रखा गया है उसका विरोध वे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यह जो धारा रखी गयी है वह तो राजा साहब और उनके समाज के लिये कल्याणकारी है। मैं समझता हूं कि जितनी जमीन ज्यादा होगी और उसको एक आदमी को रखने का अधिकार होगा उतना ही अकल्याण यहां के गरीबों के लिये होगा। इसलिये मैंने यह प्रतिबन्ध रखा था।

जहां तक माननीय मंत्री जी की बात है मैं यह नहीं समझ सका कि जब ४२ सौ रुपए की आमदनी के लिये रखा ही गया है कि ४२ सौ आमदनी होगी तभी उस पर इन्कम टैक्स लगेगा तो फिर २० एकड़ वाली बात मानने में क्या एतराज है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे और इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

अधिष्ठाता--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री चरण सिंह--जी नहीं।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (ख) की तीसरी पंक्ति में संख्या "३०" के स्थान पर संख्या "२०" रख दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

†**श्री अवधेश प्रताप सिंह**--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ३ का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

खंड ३ का उपखंड (ख) इस प्रकार है :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जो ३० एकड़ से अधिक भूमि पर खेती न करता हो।"

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--प्वाइंट आफ आर्डर । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी संशोधन उपस्थित किया गया है वह अगर स्वीकार किया जाय तो उसका अर्थ यह होता है कि जो तीस एकड़ वाली बात अभी मंजूर की गयी वह बिलकुल निकाल दी जाय । जो प्राविजो है वह इस प्रकार है । मेरे पास अंग्रेजी का है उसी से पढ़ता हूं :

"Provided that the tax shall not be payable by a person who cultivates not more than 30 acres of land and whose agricultural income under section 2, sub-section 1, sub-clause (a) does not exceed Rs. 50"

तो अगर यह स्वीकार हो जाय तो उससे तीस एकड़ वाली बात निकल जायगी ।

अधिष्ठाता--आप के प्वाइंट आफ आर्डर में कोई तथ्य नहीं है । (श्री अवधेश प्रताप सिंह से) आप जारी रखिये ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--जिसमें श्रीमन्, उनको फिर भी कुछ भ्रम न हो मैं उस संशोधन की पृष्ठभूमि में यह पढ़ देना चाहता हूं जिससे यह मालूम होगा कि पुराने ऐक्ट में उसका क्या असर है । यह प्राविजो इस प्रकार है :--

"Provided that the tax shall not be payable by a person who cultivates not more than 30 acres of land and whose agricultural income under section 2, sub-section 1, sub-clause (a) does not exceec exceed Rs. 50."

अधिष्ठाता--आप इसका तजुर्मा हिन्दी में कर दें ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, उसका अभिप्राय यह है कि जिनके पास ३० एकड़ से कम भूमि होगी उनको कोई टैक्स न देना होगा और जिनके पास तीस एकड़ भूमि या सेक्शन २ के सब सेक्शन (१) के सब क्लाज (ए) के अनुसार लगान या मालगुजारी से ५० रुपए की आमदनी होती हो । ५० रुपए से जो कम न हो । श्रीमान् मैं यह समझता हूं कि संभवत: माननीय मंत्री महोदय को इस पर एक विशेष आपत्ति होगी । यदि वह ध्यान दें तो देखेंगे कि जहां तक भूमि का प्रश्न है वह ३० एकड़ ही है । उस पर कोई विवाद नहीं है । कोई आपत्ति ग्रस्त प्रश्न नहीं है परन्तु यदि यह कहा जाय कि आज जब कि यह माना जा सकता है कि फी एकड़ की आमदनी ७५ रुपए है, जैसा कि वह कहते हैं और बावजूद इस बात के कि गल्ले का भाव कम हो गया है, यह एक ऐसा प्रताव है कि इसको मान लेने में सरकार को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती है ।

श्री चरण सिंह--मैं एक बात कहना चाहता हूं । अगर मैं अपनी बात माननीय सदस्य को समझा सकूं तो शायद वह तकरीर न करेंगे ।

आज कानून यह है कि ३० एकड़ से कम जिनका रकबा है, लेकिन ५० रुपए से ज्यादा लगान की आमदनी होती है तो टैक्स उन पर लग सकता है । हम जो संशोधन करने जा रहे हैं वह यह है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जो ३० एकड़ से अधिक भूमि पर खेती न करता हो । आप तो अपने ही खिलाफ कह रहे हैं ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ का उपखंड (ग) निकाल दिया जाय ।

श्रीमान्, यह (ग) जो है यह दूसरा प्राविजो है धारा ४ का :

"Provided further that the Provincial Government may for specified areas, prescribe a higher limit for the area of land which may be cultivated by a person exempted from payment of tax under the first proviso."

अधिष्ठाता--एक कंफ्यूजन हो रहा है कि जो अमेंडिंग बिल है उसमें यह क्लियर लिखा है कि प्रतिबन्ध २ निकाल दिया जाय और उसी को आप कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह--आप यह कह रहे हैं कि जो संशोधन विधेयक का है, उसमें से निकाल रहे हैं यानी एक्जिस्टिंग ऐक्ट का प्रतिबन्ध रहेगा। इसको भी मैं समझा दूं तो अच्छा है।

इसकी जरूरत यहां नहीं है इसलिये कि जब हमने कर दिया कि ४,२०० रुपए आमदनी और उसको हम कैलकुलेट करेंगे सरकिल रेट से अब सर्किल रेट तो फर्टिलिटी के ऊपर है। हर डिवीजन का अलग अलग है। तो हर डिवीजन का रकबा अलग अलग आयेगा। मसलन मेरठ में ९.३२ है तो वहां ३६ एकड़ की होल्डिंग भी टैक्सेबिल हो जायगी। आगरे में सर्किल रेट ६.२२ है तो वहां ५४ की होल्डिंग जो औसत है वह टैक्सेबिल हो जायगी। इसी तरह रूहेलखंड में ५५, एकड़ इलाहाबाद में ५८ झांसी, में ११५ बनारस में ६७, गोरखपुर में ६५, नैनीताल में ९०, लखनऊ फैजाबाद में ५६ एकड़। यह औसत होल्डिंग फर्टिलिटी रेट या सेटेलमेंट रेट के अनुसार टैक्सेबिल है तो पहले वाला गैर जरूरी था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अधिष्ठाता महोदय, एक सवाल मैं पूंछना चाहता हूं।

अधिष्ठाता--नहीं आप नहीं पूंछ सकते। आप बैठ जायं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री महोदय जल्दी में हैं वह चाहते हैं कि किसी तरह से यह बिल पास हो जाय। अतः इन सब बातों को सुनते हुए मैं इसको भी वापस लेता हूं।

अधिष्ठाता--अब माननीय नारायण दत्त जी सवाल पूंछ सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, जब मंत्री महोदय ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स केवल सर्किल रेट से वसूल करना चाहते हैं तो ५०,३० एकड़ होल्डिंग की बात करना तो बिल्कुल बेकार है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी को यह संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, इसके पहले कि मैं इसको पेश करूं, मैं मंत्री महोदय, से पूंछना चाहता हूं बुन्देलखंड में जो ६० एकड़ थी उसकी लिमिट अब ११५ कर दी गयी है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं ११५ नहीं की गयी। ११५ औसत जमीन की होल्डिंग की होगी।

अधिष्ठाता--अगर आप संशोधन पेश करना चाहते हैं तो पेश कर दें और समझने की बात है तो हाउस के बाहर जाकर समझें।

श्री जोरावर वर्मा--अधिष्ठाता महोदय मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ का उपखंड (ग) निकाल दिया जायगा।

अधिष्ठाता महोदय, यह जो खंड है इसको माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने पढ़कर सुनाया था मैं भी.....

अधिष्ठाता--माननीय जोरावर वर्मा से मैं जानना चाहूंगा कि जो संशोधन वह पेश करना चाहते हैं यह तो वही है जिसको श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने किया था।

श्री जोरावर वर्मा--जी हां। वह प्रोवीजन यह है :

"Provided further that the Provincial Government may for specified areas, prescribe a higher limit for the area of land which may be cultivated by a person exempted from payment of tax under the first proviso."

अधिष्ठाता महोदय, यह जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि टैक्स जो है वह वहीं के सर्किल रेट के अनुसार होगा तो मुझे इसमें बड़ा संदेह है कि आखिर सर्किल रेट क्या होगा। अगर वह बता दें कि कम से कम यह उसकी दर होगी या तो एरिया इतना होगा या रकबा। क्योंकि बुन्देलखंड में जो लिमिट है इस ऐक्ट के अनुसार वह ६० एकड़ है। मुझे संदेह है इस प्राविजन के अनुसार माननीय मंत्री जी और लिमिट करदें तो वहां बेजमीन वालों के सामने एक बड़ी समस्या हो जायगी और राजा वीरेन्द्र शाह हैं उनको अच्छा मौका मिलेगा। इसलिये मैं इस संशोधन को पेश करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह--अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र ने रखा है उसकी जरूरत नहीं है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा।

अधिष्ठाता--एक बात मुझे निवेदन करना है (राजा वीरेन्द्र शाह से) जब आप लेक्चर दे रहे थे तो आपने श्री जोरावर वर्मा के बारें में कहा था कि उनके पास जमीन नहीं है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि सदन में इस तरह की बातें न कही जायं तो अच्छा है।

राजा वीरेन्द्र शाह--अधिष्ठाता महोदय, मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं था अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं इसको वापस लेता हूं। मैंने इसलिये कहा था कि जमीन वाला ऐसी बात नहीं कर सकता है। मेरी समझ में नहीं आया।

अधिष्ठाता--आपने स्पष्ट कहा था कि माननीय जोरावर वर्मा के पास जमीन नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह--अधिष्ठाता महोदय, अभी मंत्री जी ने बतलाया कि ११५ एकड़ तक पर कहीं-कहीं नहीं पड़ता। मैंने देखा तो हमारे यहां ७५ एकड़ पर पड़ेगा। इसी तरह से हमीरपुर में भी पड़ेगा। ६० एकड़ का तो इत्मीनान बिल्कुल है। जहां तक वह हिसाब रखते हैं वहां मैं भी हिसाब रखता हूं और यदि मुझे कुछ शक होता तो मैं सिलेक्ट कमेटी में ही कहता। लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि सर्किल रेट के हिसाब से पड़ेगा। अच्छी और खराब जमीन का सवाल नहीं है।

श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, पहले यह था कि तीन हजार पर टैक्स नहीं लगेगा, ३० एकड़ पर नहीं लगेगा। बुन्देलखंड में ६० एकड़ पर कर दिया, लेकिन वह गैर जरूरी था। यह प्राविजन गैर जरूरी था जबकि आमदनी रखी गयी है। बुन्देलखंड जहां पर आमदनी बहुत कम होती है वहां पर ज्यादा रकबे पर होगा और छोटे पर होगा ही नहीं, इसलिये यह गैर जरूरी था और निकाल दिया गया है। अब भी ६० एकड़ पर वह नहीं लगेगा। माननीय वीरेन्द्र शाह ने जैसा कहा मुमकिन है कि उनके हल्के में ७५ पड़ता हो, कहीं ८० पर पड़े, कहीं ६४ पर पड़े और कहीं ६१ पर पड़े क्योंकि वह तो सर्किल रेट पर है श्रीमन् सर्किल रेट जमीन किस्म के मुताबिक परगने में मुख्तलिफ है।

श्री जोरावर वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया। मैं इसे वापस ले लेता।

अधिष्ठाता---क्या आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जोरावर वर्मा---अधिष्ठाता महोदय, चूंकि मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि टैक्सेशन की लिमिट ४,२०० रुपये रहेगी। ३० एकड़ भी हो सकती है और ५५ एकड़ भी हो सकती है। इसलिये मैंने समझ लिया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और यह बिलकुल साफ है। इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ३,१९४९

४---(१) मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) में से प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(२) उक्त धारा की उपधारा (२) के वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाय---

की धारा ६ में संशोधन

"(क) कृषि-सम्बन्धी विपदाओं (agricultural calamities) के निमित्त ऐसी कटौतियों के पश्चात् जो नियत की जायं किसी भूमि की आय ऐसी धनराशि समझी जायगी जो उसके लगान तथा ऐसे गुणांक (multipe) के जो १२ १/२ से अधिक न हो, जैसा कि वह भूमि-व्यवस्था कमिश्नर (Land reforms commisonir)द्वारा निश्चित किया जाय, गुणनफल के बराबर हो और भिन्न-भिन्न जिलों या जिलों के भागों के लिए और भिन्नभिन्न बागों तथा फल के बागों के वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न बागों तथा फल के बागों के वर्गों के लिये भिन्न भिन्न गुणांक (multiple) निश्चित किये जा सकते हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूमि-व्यवस्था कमिश्नर यह आदेश दे सकता है कि नवजोत भूमि की आय लगाने के निमित्त कुछ निर्दिष्ट वर्षों तक के लिए ऐसा गुणांक (multiple) रखा जाय जो अपेक्षाकृत ऐसी कम संख्या हो जो नियत की जाय।

स्पष्टीकरण---इस धारा में लगान ऐसी धनराशि समझी जायगी जो फल के बागों तथा बागों की दशा में गांव की सब से अच्छी श्रेणी की भूमि के और अन्य दशाओं में उसी श्रेणी के भूमि के मौरूसी काश्तकारों पर लागू लगान की नवीनतम स्वीकृत दरों के अनुसार लगायी जाय।'

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के वर्तमान प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्न-लिखित रख दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चाय के बागों की पूर्वित कृषि सम्बन्धी आय की गणना उपधारा (२) के खंड (ख) के अनुसार की जायगी।"

इस संशोधन का आशय यह है कि चाय क बागों की आमदनी जो लगायी जाय वह उसमें खर्च वगैरह जो पड़ते हैं वह निकाल कर, जो हिसाब लगाकर होगा, उसके मुताबिक लगायी जाय इसमें सर्किल रेट के हिसाब से नहीं ली जायगी। यही आशय है कि चाय के बागों का ...टैक्स इस तरह से लगाया जाय और यह मुनासिब मालूम होता है कि उसकी आमदनी इस तरह से

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

मालूम की जाय, खेती की पैदावार के मुताबिक नहीं, बल्कि जो असली आमदनी है उसके उपर ली जाय ।

†श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय में इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं । श्रीमन्, जब १९५३ में इस ऐक्ट का अमेंडमेंट हुआ तो उस वक्त दफा ६ के भीतर ऐक्ट में यह प्रोवाइजो था कि :

"Provided that the Agricutural income as aforesaid, from groves, orchids and tea-gardens, shall be computed in accordance with clause (b) of sub-section (2)"

श्रीमन्, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर बागों का, या फल के बागों का एक रेट उन्होंने लगाया जिससे मैं सहमत हूं या न सहमत हूं, यह दूसरी वस्तु है, लेकिन उसका हिसाब उन्होंने इस प्रकार निश्चित किया है कि इस गणना के अनुकूल उस जमीन की आमदनी निकाली जायगी, तो मैं आपके द्वारा यह पेश करना चाहूंगा कि क्या कोई उपाय ऐसा नहीं था कि उनके साथ भी कोई इस तरह की चीज की जा सकती जिससे उनके कम्प्यूटेशन में कोई गलती न हो ? उनको यह आप्शन रहना चाहिये था कि वे भी आय की गणना (२)ए० से ही करायें, न कि (२) बी० से । अगर माननीय मंत्री महोदय, यह स्पष्ट कर दें तो सबके लिए कल्याणकारक और हितकारक प्रतीत होगा । यह मैं मानता हूं कि सन् १९५३ में इस प्रकार का प्रतिबन्ध फलदार बागों के लिये रखा गया था लेकिन सन् १९५४ में उन प्रतिबन्धों को हटा दिया गया, तो चाय के बागों के लिये यह प्रतिबन्ध क्यों न हटाया जाय । जिससे उनकी आमदनी या लगान आसानी से कम्प्यूट किया जा सके ।

श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, जो चाय के बागात होते हैं उनकी आमदनी, जो मामूली बागात होते हैं, उनसे ज्यादा होती है । हमारे बाग बगीचे जो हैं उनकी आमदनी के कुछ मल्टिपिल्स लैन्ड कमिश्नर ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मशविरे से तैयार कर लिये हैं तो वह बहुत कम है, नाम मात्र के हैं क्योंकि बाग बगीचे जो हैं उनको हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उन पर हम टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं । लेकिन जो टी गार्डन्स हैं उनकी आमदनी को अगर हम सर्किल रेट से आकेंगे तो वह बहुत कम बैठती है, जबकि दर वाकई उनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है । इसलिये उनके वास्ते हमने रखा है कि जो ऐक्चुअल इनकम है, उसके लिये रिडेक्शन्स देंगे, जैसा ६(२) बी में किया है लेकिन हमने उसको उसी हिसाब से रखा है और हम उनको यह आप्शन नहीं देना चाहते तो जो सर्किल रेट है उसके अनुसार वह अकंवाएं, क्योंकि वह आमदनी कुछ बैठती ही नहीं । टी गार्डन की आमदनी खेत की आमदनी से और बाग-बगीचे की आमदनी से कहीं ज्यादा है ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--स्पिरिट में यह अच्छा नहीं लगता ।

श्री चरणसिंह--बहुत सी बात कड़वी भी लगती हैं ।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के वर्तमान प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चाय के बागों की पूर्ववित कृषि सम्बन्धी आय की गणना उपधारा (२) के खंड (ख) के अनुसार की जायगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की तीसरी व चौथी पंक्ति में शब्द "तथा ऐसे" के स्थान पर शब्द "के" रख दिया जाय।

इसमें यह शाब्दिक गलती है और इसके करने से ठीक हो जायगा। मौजूदा जो शब्द है, लगान प्लस गुणांक और बाकी यह है कि जो लगान का मल्टिपिल होगा वह आमदनी समझी जायगी। इसलिये "तथा ऐसे" के स्थान पर "के" रख दिया जाय। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस को स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जैसा कह रहे हैं बात ऐसी नहीं है। मुझे भी पहले कुछ भ्रम हुआ था। लेकिन बाद में देखा कि शब्दावली ठीक है। ऐसे गुणांक के जो १२ १/२ से अधिक न हो, जैसा कि वह भूमि व्यवस्था कमिश्नर द्वारा निश्चित किया जाय गुणनफल के बराबर हो। "लगान तथा ऐसा गुणांक या मल्टिपिल" यह ठीक है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह उस संशोधन को वापस लेंगे।

श्री रतन लाल जैन--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री अवधेश प्रताप सिंह**--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (क) की पंक्ति ४ में १२।। के स्थान पर ७।। रख दिया जाय।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है यह सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही गम्भीर वस्तुस्थिति है जिस पर आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय तथा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीमन् पहले १९४८ में जब यह अधिनियम इस सदन द्वारा पारित हुआ तो उस समय जो गुणांक निर्धारित किया गया था वह साढ़े सात था। परन्तु इधर १९५३ में इस अधिनियम में संशोधन हुआ तो व साढ़े सात से बढ़ाकर साढ़े १२ कर दिया गया। श्रीमन्, पिछले वर्ष भी जब कि इस गुणांक में विरोध किया गया तो कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति प्रगट की। फलस्वरूप उस पक्ष से यह कहा गया कि आज आमदनी जो कि एक खेत से होती वह कई गुना है। माननीय मंत्री महोदय के भाषण में ही था कि पहले १/५ हिस्सा उस लगान में देते थे अब १।२० उसका लगान में देते हैं और बकाया उनके पास बच जाता है। लेकिन जब कि १९५३ में इस बात का ज्ञान मंत्री महोदय को हो सका कि आज गल्ले के भाव में जब वृद्धि है तो कृषि आय कर गुणांकमें वृद्धि होना आवश्यक है। कृषकोंके पास जो आमदनी जो मुनाफा बचता है उसमें सरकार का भी हिस्सा है क्योंकि इसमें जो यह प्रश्न है कि यह नैशनल एसेंट है, जहां तक सिद्धांत का प्रश्न है इसमें भी बहुत उलझन पैदा करना मुनासिब नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि सिद्धान्तों में जाना कि सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म या गांधीइज्स क्या है, भूमि किसकी है, किसको कितना भोगने का अधिकार है। इस समय इस प्रसंग में जाना असंगत होगा। इस समय केवल यह देखना है कि ५३ के मुकाबले में ५४ में जो गल्ले का भाव है उसमें कमी है या वृद्धि। अगर यह सिद्धान्त उस समय माना गया तो माननीय मंत्री जी को क्या आपत्ति हो सकती है। मैं यह समझता हूं कि साढ़े सात गुना उनको अप्रिय था। वह यह समझते हैं कि काफी पा चुके हैं। अगर इसमें थोड़ी सी न्यूनता होती तो मैं मानता कि माननीय मंत्री जी इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। अगर सिद्धांत के पीछे केवल वाक् चातुर्य या विपक्षियों की जबानों को बन्द करना ही उद्देश्य था तो दूसरी बात है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

लेकिन आशा यही की जाती है कि जो शख्स किसी सिद्धान्त को प्रतिवादित करे तो जिन्दगी भर न सही तो कुछ दिनों तक उस सिद्धांत को मानता रहेगा, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी में यह विचित्रता है कि पिछले साल जो कुछ कहा गया आज वह सिद्धान्त सदन में प्रतिवादित नहीं होगा।

मैंने यह माना था कि बहुत सी चीजों के भावों में कमी हुई लेकिन इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गल्ले के भाव में जितनी कमी हुई उतनी कमी और किन्हीं पदार्थों में नहीं हुई। बल्कि बहुत सी ऐसी चीजों पर कृषि आय कर लिया जा रहा है जिन पर कि पहले लगान भी नहीं देना होता था। जहां माननीय मंत्री यह समझते हैं कि चाय के बागों से आमदनी होती है वहां वह फल वाले बागों में भी वही सिद्धांत लागू करते हैं। क्या वह यह भूल जाते हैं कि हर पेड़ में प्रति वर्ष फल नहीं आते। फिर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो १०० वर्ष में, ५० वर्ष में परिपक्व होती हैं। बहुत से दरख्तों में ५, ६ साल तक फल ही नहीं आते और बहुत से स्थानों पर जलवायु के कारण फलों पर असर होता है। बहुत सी जगह तो ऐसा अंधेर होता है कि चाहे किसी जिले में फल नाम को भी न हुए हों लेकिन कर दाताओं के बागों पर आय के हेतु फलों की आमदनी लगा ली जाती है, श्रीमन् जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लगा ली जाती है, और उस पर उन्हें आय कर देना होता है, उसका भार वे सहन नहीं कर सकते।

श्रीमन्, यही नहीं बल्कि अगर इस सिद्धांत से माननीय मंत्री को कोई इन्कार हो तो मैं उनको यह भी दिखा सकता हूं और उनके सभा सचिव महोदय ने बारबार और उन्होंने स्वयं इस सदन में इस बात को दोहराया है कि कर हम इसलिये लगा रहे हैं कि कृषकों की आमदनी, करदाताओं की आमदनी बढ़ गयी है और उसका कारण यह बताया कि गल्ले का भाव बढ़ता जा रहा है और उसमें उत्पादन इतना काफी हो चुका है कि अब वह भली भांति लगान दे सकते हैं और उसके साथ-साथ यह कर भी दे सकते हैं और इन कारणों को उन्होंने यहां पर समझा भी है? एक तरफ तो उसको लगान देना पड़ता है दूसरी तरफ पंचायत टैक्स देना पड़ता है। इसी के साथ वह अपना जीवन सुखी रूप से व्यतीत करना चाहता है। आप भी चाहते हैं कि करदाता के जीवन का स्तर ऊंचा हो जो कि भारत के रहने के योग्य हो। अगर उसके जीवन स्तर में कुछ वृद्धि हो तो माननीय मंत्री के और इस देश के गौरव में वृद्धि होगी और भारतवर्ष की प्रत्येक सरकार इस गौरव की तब अधिकारी हो सकती है और इस बात के लिये सरकार को बधाई दी जा सकती है कि उन्होंने करदाताओं के जीवन के स्तर को ऐसा उन्नत कर दिया है जो कि प्रशंसा के योग्य है। लेकिन अगर यह बात नहीं है तो फिर सरकार के पास कर लेने के प्रश्न पर चाहे वह एग्रीकल्चरल कर हो या पंचायत कर हो उसके लिये बहुत से जस्टिफिकेशन मिल जाते हैं। कहीं पर निर्माण के लिये टैक्स लिया जाता है और कहीं पर गांव के सुधार के लिये पंचायतें टैक्स वसूल करती हैं और कहीं पर बगीचे की आमदनी को देखा जाता है और तरह तरह से टैक्स लिया जाता है। मगर उस किसान की हालत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो लोग सिद्धांतवादी होते हैं वह इसी प्रकार से अपने सिद्धांत की बात कहते हैं। हमारे कांग्रेसी भाइयों का सिद्धांत यही है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है और देखा जा सकता है और उसके लिये कोई शंका नहीं हो सकती है। आप किसी भी टैक्स के लिये एक नीति निर्धारित कर लें चाहे वह कोई टैक्स हो मगर उससे इतना पता चल जाता है कि आपका मन्शा क्या है और सरकार की नीति क्या है। मैं आपकी इस नीति को और इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आज इस गुणांक में न्यूनता नहीं की जाती है तो यह आगे चलकर इन्कम टैक्स के बारे में हितकर प्रतीत नहीं होगी। यह हो सकता है कि इन्कम टैक्स के बारे में कोई धमकी न आ सके परन्तु इस विषय में कोई

धमकी आ सकती है और माननीय राजनारायण जी इस गुणांक के विषय में यदि आगे आयेंगे तो सरकार की प्रतिष्ठा में एक कलंक लग सकता है। इस गुणांक के विषय में आपको विचार करना चाहिये अभी इस सदन में बहुत से लोगों ने इस विषय में बहस की। हम लोगों के लिये कहा जाता है कि हमने यानी पुराने जमींदारों ने बहुत शोषण किया, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमने तो कुछ भी शोषण नहीं किया था जो आजकल हो रहा है पहले वे आइने में अपना मुंह देख लें तब जमींदारों के लिये कुछ कहें। जैसा कि पं० जवाहर लाल जी ने कहा था मुद्दत और पुश्त की हुकूमत के बाद हमने उन पर अत्याचार किया, लेकिन यदि उनको एक महीने का भी मौका मिल जायगा तो मैं समझता हूं कि वे हमसे कहीं आगे बढ़ कर रहेंगे। श्रीमन्, इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लुबोलबाब है कि साढ़े १२ जो गुणनफल रखा गया है उसकी जगह पर साढ़े सात रखने का संशोधन हमारे मित्र श्री अवधेश बाबू ने पेश किया है। तो इसका जरा हिसाब लगाकर देखा जाय तो सफ़ाई ज्यादा होगी। अगर हिसाब लगा कर देखा जाय तो ३३६ का साढ़े १२ गुणा ४२०० होता है। अब यह देखा जाय कि ३३६ रु० लगान कितने एकड़ जमीन पर होगा। माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह बात कही थी कि ३० एकड़ से कम जमीन भी जिसके पास हो उसका लगान भी ३३६ रु० हो सकता है।

मैं यह कह रहा था कि ४२०० कितने का साढ़े बारह गुणा होता है? पहले यह हिसाब लगाया जाय तो ३३६ का साढ़े १२ गुणा ४२०० हो जाता है और अगर साढ़े ७ गुणा कितने का ४२०० होता है जो संशोधन में था उसका हिसाब लगाया जाय तो ५६० रु० हो जाता है। इस तरीके से अगर ३००० देखा जाय कि साढ़े १२ गुणा कितने का होता है तो २४० होता है। तो २४० की जगह अब हम उठकर चले जा रहे हैं ३३६ पर। यानी जहां पहले उस किसान पर खेती टैक्स लगता जो २४० रु० लगान देता था अब उस किसान पर खेती टैक्स लगेगा जो ३३६ रु० देगा। तो यह बात तो स्पष्ट हो गयी श्रीमन्। अब माननीय अवधेश जी कहते हैं कि ५६० रु० किया जाय। यानी ५६० रु० तथा उससे नीचे जो लगान दे वह सब फ्री था। (छूट रहे) तो अब जरा उनसे पूछा जाय मैं पहले ही उन लोगों से निवेदन कर दूं कि जहां तक हमारा अपना निज का सवाल है, हमारे पास तो भाई एक धूर भी जमीन नहीं है, इसको माननीय अधिष्ठाता महोदय अच्छी तरह से जानते होंगे मगर इस बात को भी मैं छिपाना नहीं चाहता हूं कि मैं उस खान्दान से जरूर आता हूं कि शायद उस सम्मानित सदन में मुश्किल से दस पांच सदस्य निकलें जिनके पास उतनी जमीन हो। यह भी मैं छिपाना नहीं चाहता इसलिये राजा वीरेन्द्र शाह जी व श्री अवधेश प्रताप सिंह जी व श्री जोरावर वर्मा जी यह तीनों यह समझ लें, कि वह हमको चाहे जिस रूप म समझ लें चाहे भिखारी के रूप में समझ लें चाहे सम्पन्न के रूप में, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि यह अधिकार एक भिखारी को भी है और एक सम्पन्न को भी है कि वह समझ ले कि सत्य क्या है, सत्य का निरूपण होना चाहिये और उसको जानना चाहिये कि सत्य है क्या। मैं एक भ्रम को और दूर कर दूं और वह यह है कि कभी-कभी माननीय मंत्रीगण 'हीगल' के राइट विंग (दक्षिण पक्ष) जो थे उसके मरने के बाद लोग कहने लगे कि "के जो है वह सत्य है" "और जो असत्य है वह हो ही नहीं सकता।" वह इस भ्रम में भी न रहें। यह एक दार्शनिक तथ्य है। यह भावनात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत चलता है उसमें डाइलेक्टिक्स कैसे चलते हैं, इतना दर्शन में भी जाऊंगा लेकिन माननीय मंत्रिगण.....मुझे अफसोस होता है कि यहां पर दर्शन की बात क्या करें, कभी-कभी इच्छा होती है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी या ऐसे लोग बैठे रहते हैं तो उत्साह मिलता है लेकिन इतना अवश्य निवेद न कर दूं ...

श्री चरण सिंह---This philosophical discourse may be spared now.

(यह दार्शनिक उपदेश अब बन्द हो जाना चाहिये।)

श्री राजनारायण--तो जो है वही सत्य नहीं है, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिये आज उस पक्ष के लोग जो बराबर इस बात की पुष्टि में रहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य है और इसी को मान लें जो सरकार कहे वही सत्य है।

एक सदस्य--क्या जो आप कह रहे हैं वह सत्य है ?

श्री राजनारायण---आज की जो हालत है उसमें सत्य क्या है। सत्य यह है कि जब इस सरकार के कुकर्म खत्म हो जायं, गलत कानून खत्म हो जाय, जब इस सरकार के जरिये जो कानून में परिवर्तन, संशोधन और परिमार्जन के नाम पर जनता के ऊपर मुसीबत लादी जाती है वह खत्म हो तो वह हमारे लिये सत्य होगा। इसीलिये हमने इतना भाषण सत्य के लिये कर दिया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---तो क्या आप चाहते हैं कि यह सरकार खत्म हो जाय ?

श्री राजनारायण--मेरी कभी यह इच्छा नहीं है कि श्री द्वारका प्रसाद मौर्य खत्म हो जायं मैं तो बराबर उनको स्वस्थ विरोधी के रूप में देखना चाहता हूं, स्वस्थ विरोधी कभी दुश्मन नहीं होता। यह हमारा अभाग्य है कि इस जनतंत्र के शैशवकाल में हम विरोधी दल और एनिमी का फर्क नहीं समझ पाते। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह विरोधी पक्ष और शत्रु पक्ष में विभेद करें।

तो मैं यह कह रहा था कि ५६० रुपया लगान कौन देगा। कितने आदमी ऐसे आज अपने यहां हैं ? मैं यह बतला दूं कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी निजी तौर से मेरे मित्र हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं और इज्जत इसलिये करता हूं कि वह एक अच्छे स्पष्ट वक्ता हैं और जो कुछ भी वह समझते हैं और जो उनका विचार होता है उसे व्यक्त करने में वह किसी पहाड़ तक से टकराने की परवाह नहीं करते और अपने जो स्वस्थ और सत्य विचार होते हैं उनको वह व्यक्त कर देते हैं। मैं अवधेश प्रताप सिंह जी से जानना चाहता हूं कि वे हमें बतावें कि किस प्रकार से ५६० रुपया लगान हो, उसी पर ऐग्रीकल्चर इन्कमटैक्स लगाना चाहते हैं। तो फिर इस सारे विधेयक की क्या आवश्यकता है इस सारे विधेयक को सीधे सीधे माननीय राजस्व मंत्री जी से कह दीजिये कि उठा लें। कितने आदमियों से टैक्स लिया जायगा, फिर १०, ५, २० अंगुलियों पर गिन लीजिये। दूसरे तरीके से माननीय राजस्व मंत्री जी उनसे रुपया ले सकते हैं, इसलिये मैं आप से तो नम्र निवेदन करता हूं कि अपने संशोधन को तो उठावें नहीं और वापस ले लें। मुझे तो ताज्जुब नहीं है श्रीमन्, क्योंकि जो इनका संशोधन होगा वह इस विधेयक के अस्तित्व को न रहने देने लायक ही हो सकता है। इसलिये मैं अवधेश प्रताप सिंह जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इस पर हठ न करें और वापस ले लें।

एक सदस्य--यह तो गवर्नमेंट का आप समर्थन कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इधर से एक आवाज आ रही है कि यह तो गवर्नमेंट का समर्थन है। मैं गवर्नमट का समर्थन करने में हिचकता नहीं और कभी-कभी मैं चाहता हूं कि यदि कोई अच्छा काम हो तो समर्थन करूं, मगर कभी इसका अच्छा काम होता ही नहीं। अब श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय राजस्व मंत्री ने इस पर अपना भाषण दे दिया होता तो हमारे लिये बड़ी आसानी होती कि ३३६ रुपये जिनका लगान होगा वह अगर ३० एकड़ से कम जमीन रखते हैं तो उनके ऊपर भी ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स लागू होगा या नहीं, क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कृपा करके कुछ सफाई की। मगर द्वारका प्रसाद जी ने उसको फिर गोल कर दिया कि अगर ३० एकड़ का साढ़े १२ मल्टीपिल ४२ सौ से पार हो जायगा तो फिर कमिश्नर महोदय वहां जांच पड़ताल करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि तीस एकड़ से कम जमीन या मल्टोपिल या ४२ सौ जो है उसमें संबंध रहेगा।

श्री राजनारायण––एक बड़ा भारी सवाल हल हो गया। मैं चाहता हूं कि अगर कहीं भी बाधा हो तो उसकी इसी तरह से सफाई हो जाय क्योंकि श्रीमन्, दूध का जला माठा फूंक फूंक पीता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी एक लाइन कहीं चार के (२) (क) में जोड़ दें कि तीस एकड़ से कम जमीन वाले से कोई ऐसा गुणांक निकालने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चरण सिंह––अगर न लिखा जाय तो भी क्या हर्ज है? आप तो २० एकड़ की बात को सपोर्ट कर रहे थे।

श्री राजनारायण––तो यही तो गुत्थी है। जो मैं २० एकड़ की बात कह रहा था तो उसमे हमने बिल्कुल सफाई से जोड़ दिया था कि २० एकड़ वह जहां एक एकड़ से १० मन से कम अन्न न पैदा हो। "यह हमने माननीय अधिष्ठाता महोदय आपकी ही उपस्थिति में किया था जब आप इस पद पर आसीन थे तब हमने इस बात को जोड़ दिया था। इसलिये भ्रम होने की कोई आशंका नहीं है। हां, अगर माननीय राजस्व मंत्री जी इस सदन में भ्रम पैदा करना चाहते हों किसी दूसरे परपज (उद्देश्य) से तो दूसरी बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि माननीय राजस्व मंत्री जी की जो कचहरियां हैं जिस तरीके की वे हैं जिस तरह से सरकार की मंशा के विरुद्ध, माननीय राजस्व मंत्री जी की मीटिंग में की हुई घोषणाओं के विरुद्ध कोर्ट फैसला देते रहे हैं उस बात को सामने रखते हुये माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि एक लाइन यहां पर जोड़ी जाय कि किसी भी हालत में तीस एकड़ से कम जमीन रखने वाले पर कोई इन्कम टैक्स के गुणन होने की आवश्यकता नहीं होगी।

अधिष्ठाता––(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर) माननीय राज नारायण जी को भाषण देने दीजिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––श्रीमान, आपके द्वारा मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी तय हो चुका है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जो ३० एकड़ से अधिक भूमि पर खेती न करता हो।" यह तो स्पष्ट ही है।

श्री राजनारायण––मेरे लिये तो यह स्पष्ट है मगर जब मैंने देखा कि राजस्व मंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उनके ट्रेजरी बेंचेज के तमाम लोग उसमें एक न एक बात, एक न एक पेंच पैदा कर रहे हैं तो मैंने समझा कि यह उनके लिये स्पष्ट नहीं है इसलिये उनकी स्पष्टता के लिये मैं यह चाहता हूं कि यह जोड़ दिया जाय। क्योंकि मेरे नजदीक ३० एकड़, ४२०० रु० और साढ़े १२ गुना इन तीनों में एक न एक लकीर फंसी हुई है और यह लकीर कोर्ट और वकीलों की आसानी के लिये है। मैं औरों की क्या कहूं अपनी ही बात कहता हूं कि अभी यहीं मेरे भाई की चिट्ठी आयी थी कि तुम पर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगने की चिट्ठी आई है, आकर जवाब दो। मैंने कहा कि मैं इस हकूमत में कोई फरियाद करने को तैयार नहीं हूं, जो चाहे हो। यद्यपि राजस्व मंत्री कहते हैं यदि कहीं भी गड़बड़ी होगी तो मैं देखने को तैयार हूं लेकिन उनके कर्मचारी जो कि एग्रीकल्चरल इंकम टैक्स लगा रहे हैं उनको किसी बात की परवाह नहीं है।

श्रीमान्, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझसे ज्यादा आप जानकारी में हैं। बनारस स्टेट जो पहले था उसके अन्दर रहने वाले जो सत्ताधारी १२ हजार और १० हजार रुपया इंकम टैक्स का दिया करते थे आज वह घट कर २ हजार और ३ हजार हो गया है और वह उसी हिसाब से दे रहे हैं। ऐसी बातें मैं बार बार इस सदन में नहीं कहना चाहता मगर सरकारी पक्ष चाहता है कि हम ऐसी बातें कहें। यह अच्छा नहीं लगता। इसको आप पढ़ें और देखें कि कितने व्यापक अधिकार दिये गये हैं। "कृषि संबंधी विपदाओं के निमित्त ऐसी कटौतियों के पश्चात् जो नियत की जायं किसी भूमि की आय ऐसी धनराशि समझी जायगी

[श्री राजनारायण]

जो उसके लगान तथा ऐसे गुणांक के जो साढ़े बारह से अधिक न हों, जैसा कि वह भूमि व्यवस्था कमिश्नर द्वारा निश्चित किया जाय, गुणनफल के बराबर हो और भिन्न-भिन्न जिलों या जिलों के भागों के लिये और भिन्न-भिन्न बागों तथा फलों के वर्गों के लिये भिन्न गुणांक निश्चित किये जा सकते हैं।"

कितना वेग है, कितने बड़े अधिकार यह सरकार दे रही है कमिश्नर साहब के हाथ में। आप श्रीमान् और इस सदन के सम्मानित सदस्य इस बात को देखें और मैं उनसे अपील करूंगा कि वह खुद समझें कि जो जायज लोग हैं जिन पर कि टैक्स लगाया जाना चाहिये उन पर यह टैक्स नहीं लगाया जायगा और कितने ही ऐसे निर्दोष, मेरे ऐसे गरीब, असहाय, साधन विहीन, जिनकी कि किसी मिनिस्टर से दोस्ती नहीं, परिचय नहीं और अगर परिचय है तो भी भुझी को खाने को तैयार हैं, तो मेरे ऐसे गरीब जो हैं, बेचारे, यह अधिकार उनको डुबा देगा। इसमें वह तमाम चापलूस जो कि पैसे वाले हैं और ज्यादा जमीन रखने वाले हैं वह सब बच कर चले जायंगे और इसीलिये मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि उनकी इच्छा है कि वह भी गरीबों का भला करें लेकिन पता नहीं कि उनकी बुद्धि खुद ही उलझ जाती है या वह उलझा दी जाती है कि वह गरीबों का भला कर नहीं पाते। तो मैं यह कह रहा था कि एक कमेटी वह बैठायें सिर्फ बनारस जिले के लिये और अगर मैं बनारस जिले से सिर्फ १०० केसेज से कम दूं तो वह कहें कि राज नारायण भी झूठ कहता था और मैं उनसे इस सदन में माफी मागूंगा कि मैंने उनसे गलत बात कही। वकील श्रीमन्, आकर के १०, १० दिन तक यहां टिके रहते हैं वह गरीब परिवार नष्ट हो रहा है, कराह रहा है। उस परिवार के लिये माननीय राजस्व मंत्री इस विधेयक के जरिये, इस धारा के जरिये फिर वही अधिकार दे रहे हैं कमिश्नर महोदय को कि जिले-जिले में विभिन्न गुणांक निश्चित किये जायंगे, भिन्न-भिन्न बाग, फलों के लिये गुणनांक निश्चित किये जा सकते हैं। यह बड़ी व्यापक, बड़ी बेग शोषित समाज के लिये संकट ला देने वाली धारा है। तो इस धारा का जितना जबर्दस्त विरोध होना चाहिये, इस अनिश्चितता का जितना अधिक विरोध होना चाहिये, इस वेगनेस का जिस तरीके से मजबूती के साथ इस सदन में विरोध करना चाहिये, हम चाहते हैं उतना करें। तो मैं श्रीमन्, आपके जरिये मोटी-मोटी बातें १, २, ३ करके रखना चाहता हूं कि सरकार की ओर से बार-बार कहा जाता है कि वह किसानों को राहत देना चाहती है। अगर वह किसानों को राहत देना चाहती है, सच्ची बात है, तो राजस्व मंत्री जी कृपा करके हमें बताने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो २४० को ३३६ कर दिया इसमें कितने किसान आते हैं। इसका जवाब श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी की ओर से आना चाहिये और हम चाहते हैं कि उनके विधेयक का हम तहे दिल से समर्थन करें, इसके लिये हमारे लिये जरूरी है कि राजस्व मंत्री जी कृपा करके अपने डिपार्टमेंट से इसी सदन में कल २४० और ३३६ के बीच में कितने किसान होते हैं, कितने लोग होते हैं, जरा उसके आंकड़े इस सदन में पेश कर दें। उससे मालूम हो जायगा किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माननीय जोरावर वर्मा जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम हरिजन लोग २४० या ३३६ के बीच में आते हैं या नहीं। तो क्या श्रीमन् मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से यह भी निवेदन करने का अधिकारी नहीं कि वह २४० और ३३६ के बीच कितनी तादाद है इसको सदन में व्यक्त करें? २४० का साढ़े बारह गुना ३००० हो जाता था। अब तीन हजार के बजाय ४२०० कर रहे हैं। तो ३३६ का साढ़े बारह गुना ४२०० हो रहा है। तो २४० तक लगान देने वाले कितने किसान हैं और ३३६ के ऊपर लगान देने वाले कितने किसान हैं और इन दोनों का अन्तर उससे मालूम होगा कि कितने.....

(तार टूट जाने से थोड़ा विघ्न)

तो श्रीमन्, एक बहुत ही अहम सवाल है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार कल यह आंकड़े प्रस्तुत करे, क्योंकि प्रेस के और इस सदन के सम्मानित

सदस्य जायंगे तो हम नहीं चाहते कि समाज के अन्दर यह बात फैले कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने बढ़े हुये सिंचाई रेट का विरोध किया, मगर जब किसान को राहत दी जा रही है, ३,००० के बजाय ४,२०० हो रहे हैं तो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि अगर यह भावना सरकार की है तो सरकार नजर खोल करके सामने आये और लोगों को यह मालूम हो कि २४० और ३३६ के बीच कितने ऐसे किसान आते हैं जिनको यह सरकार राहत दे रही है। राहत उन्हीं को मिलेगी कि जो ग़रीब नहीं हैं, जो परेशान नहीं हैं, जो विवशताओं में घिरे नहीं हैं, उनको राहत होगी और जिनकी जिन्दगी मजे में बीत रही है....

अधिष्ठाता—अब हम उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३० अगस्त, १९५४।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर ।)

प्रश्न संख्या १४ से सम्बन्धित सूची

जिला	तहसील व पेशकारी	ग्रामों की संख्या जिनमें हानि		ग्रामों की संख्या जिनमें सहायता दी गई या दी जायगी	मालगुजारी की छूट जो दी गई या दी जायगी	तकावी जो बांटी गई
		८ आना या उससे अधिक हुई	६ आना या ८ आना से कम हुई			
१	२	३	४	५	६	७
					रु०	रु०
नैनीताल						
तराई भाबर क्षेत्र	.. काशीपुर ..	७८	..	७८	२०,८९५	६५,०००
	हलद्वानी ..	५	५	५	२००	१,८५०
	बाजपुर ..	..	३	..	..	..
मुरादाबाद	.. ठाकुरद्वारा ..	९६	२३	९६	४९,१७१	..
रामपुर	.. विलासपुर ..	७०	२७	७०	९,६७३	
	स्वार ..	३	४	३	५९९	२३,०००
					लगान में	पूरे जिले में

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर।)

जौनपुर जिले में इस समय निम्नलिखित गौशालायें सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा स्थापित हैं :—

१—श्री पिंजरा पोल पशुअनाथालय, जौनपुर

२—श्री मकबूल गौशाला सराय यूसफ मछली शहर

३—श्री बृजेश गौशाला गुलालपुर

४—श्री गौशाला, शाहगंज

५—श्री गोपाल गौशाला, मढ़ियाहूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

जमींदारी उन्मूलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की लगान मालगुजारी (१३६१ फसली) से जिले वार आय की सूची—

जिला	खरीफ	रबी	मांग १३६१ फसली
		रु०	रु०
आगरा प्रान्त			
देहरादून ..	२,४७,७४२	२,३७,१३०	४,८४,८७२
सहारनपुर ..	२३,२७,१६६	२२,०४,७७५	४५,३१,९४१
मुजफ्फ़रनगर .	२०,४२,९३५	१९,६९,११२	४०,१२,०४७
मेरठ ..	३०,९१,१९७	२९,५७,१०१	६०,४८,२९८
बुलन्दशहर ..	२८,९३,५०८	२७,५१,७२२	५६,४५,२३०
अलीगढ़ ..	३०,९७,६२६	२९,८५,४६५	६०,८३,०९१
मथुरा ..	१४,७७,७३२	२२,३३,३९१	३७,११,१२३
आगरा ..	१५,९९,९९०	१८,४०,१८५	३४,४०,१७५
मैनपुरी ..	१८,८१,९६७	१८,०३,७३१	३६,८५,६९८
ऐटा ..	१८,१९,१८८	१७,१८,९०७	३५,३८,०९५
बरेली ..	२५,१०,५४३	२१,५१,३७७	४६,६१,९२०
बिजनौर ..	३२,८५,४२६	१६,९६,७९६	४९,८२,२२२
बदायूं ..	२२,६३,९३९	२६,३७०,४७	४९,००,९८६
मुरादाबाद ..	३९,२४,३४१	३१,१५,५०६	७०,३९,८४७
शाहजहांपुर ..	२०,४७,५३८	१३,७३,४०८	३४,२०,९४६
पीलीभीत ..	१४,२१,३७४	११,८२,११३	२६,०३,४८७
रामपुर ..	५,७४,६३८	४,२१,२३६	९,९५,८७४
फ़र्रुखाबाद ..	१७,६०,२९८	१६,९३,२५३	३४,५३,५५१
इटावा ..	१९,५९,५८१	१८,४९,१८६	३८,०८,७६७
कानपुर ..	२१,२४,९२१	३३,९४,७४२	५५,१९,६६३
फतेहपुर ..	१३,१२,९४०	२०,४२,७४०	३३,५५,६८०
इलाहाबाद ..	२६,०५,०१४	३१,५६,१७५	५७,६१,१८९
बांदा ..	१२,८९,३९६	१५,०२,२०६	२७,९१,६०२
हमीरपुर ..	१२,२८,९१७	१९,२५,४७४	३१,५४,३९१
झांसी ..	१०,५२,०२७	११,७६,३७६	२२,२८,४०३
जालौन ..	१०,१७,०२६	१८,२४,५२८	२८,४१,५५४
बनारस ..	१८,७६,६७६	२२,१०,६०९	४०,८७,२८५
मिर्जापुर ..	१२,१०,८५२	१२,४९,०७५	२४,५९,९२७
जौनपुर ..	१५,८८,७२१	१५,८६,४२०	३१,७५,१४१
गाजीपुर ..	१३,८८,७१२	१३,६८,०८१	२७,५६,७९३
बलिया ..	९,९१,९३६	११,५९,७५०	२१,५१,६८६
गोरखपुर ..	१३,५१,५४६	१६,११,२२०	२९,६२,७६६
बस्ती ..	२९,०५,७३८	२८,१४,९८४	५७,२०,७२२
आजमगढ़ ..	२७,३९,४९३	२१,८८,७१६	५९,२८,२०९
देवरिया ..	२२,९५,९१३	१५,८३,५३४	३८,७९,४४७

जिला	खरीफ	रबी	मांग १३६१ फसली
		रु०	रु०
नैनीताल ..	१,४९,४२९	१,४५,२९६	२,९४,७२५
अलमोड़ा ..	१,५२,५४५	१,५९,९५६	३,१३,५०१
गढ़वाल ..	१,२०,५४५	१,२०,५४५	२,४१,०९०
टेहरी-गढ़वाल	१,६६,२९३	१,६५,६४२	३,३१,९३५
लखनऊ ..	१५,६६,५६६	१५,५६,३४२	३१,२२,९
उन्नाव ..	२०,०९,१४५	२६,६६,५६६	४६,७५,७११
रायबरेली ..	२२,१५,०२०	२१,६६,८२९	४३,८१,८४९
सीतापुर ..	३१,९९,०८९	४२,५६,७४८	७४,५५,८३७
हरदोई ..	२१,२०,३९४	३९,४१,४६२	६०,६१,८५६
खेरी ..	२६,६१,२६०	२३,०४,४२९	४९,६५,६८९
फैजाबाद ..	१८,८२,४४०	२१,५२,५९०	४०,३५,०३०
गोंडा ..	३३,६१,६२२	३२,६२,१३५	६६,२३,७५७
बहराइच ..	३१,९२,५४९	२६,७९,८६३	५८,७२,४१२
सुल्तानपुर ..	२१,०६,४४०	२०,७०,०९९	४१,७६,५३९
प्रतापगढ़ ..	१९,७५,८८०	१८,५७,४२७	३८,३३,३०७
बाराबंकी ..	३३,२८,७९३	३३,१६,९३८	६६,४५,७३१
योग ..	९,७४,१४,५६७	१०,०४,३८,९३८	१९,७८,५३,५०५

केवल संदर्भ प्रदर्शन

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर।)

परिशिष्ट

यू० पी० कामर्शियल कारपोरेशन से ट्रैक्टर लिये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें ।

---

(१) कम से कम ६ ट्रैक्टर्स सरकार को २५-५-४७ से पहले दिये जांय।

(२) बाक़ी ट्रैक्टर्स आगामी १९४७ दिसम्बर से कम से कम १० ट्रैक्टर्स प्रति मास के हिसाब से दिये जायं।

(३) दस या दस से अधिक ट्रैक्टरों के प्रत्येक किस्त में दो टी० डी० ट्रैक्टर्स केटर पिलर टाइप और बुलडोजर (T. D. tractors caterpallers type and Bulldozers) भी सम्मिलित होंगे।

(४) कारपोरेशन सरकारी ट्रैक्टरों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिये उचित और विस्तृत व्यवस्था करेगा।

(५) कारपोरेशन विशेषज्ञों की देख रेख में एक ट्रैक्टर ट्रेनिंग स्कूल में सरकारी मिस्त्रियों को समुचित शिक्षण देने की व्यवस्था करेगा।

(६) उपरोक्त शर्त ३ और ४ से सम्बन्धित तफसील शासन से बाद में तय कर लिया जाय।

(७) उपरोक्त १०० ट्रैक्टर, ट्रैक्टरों की कुल संख्या है जो कारपोरेशन के द्वारा खरीदे जाने वाले हैं। इनमें वे ट्रैक्टर भी सम्मिलित हैं जिनको खरीदने के लिये मुख्य कृषि इन्जीनियर ने सीधे ही आर्डर दिया था।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १२५ एल० ए०--१९५४--८५० ।